सिडबी

वृद्धिशील क्लस्टर

भारत के एमएसएमई की संभावनाओं को करें साकार

वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 (भाग-II)

आंतरिक

परिशिष्ट I पेज 01-42

परिशिष्ट II पेज 43-90

परिशिष्ट I

सिडबी का एकल तुलनपत्र तथा लाभ-हानि लेखा एवं नकदी प्रवाह विवरण

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सदस्य
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा संबंधी रिपोर्ट

राय

1. हमने **भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक** ("बैंक") के एकल वित्तीय विवरणों, जो साथ में रखे गए हैं, की लेखापरीक्षा की है, जिनमें यथा मार्च 31, 2025 का तुलन-पत्र, उसी तारीख को समाप्त वर्ष हेतु लाभ-हानि लेखा, नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के सार एवं अन्य स्पष्टीकरणपरक सहित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ शामिल हैं।

   हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपर्युक्त एकल वित्तीय विवरण भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सामान्य विनियम, 2000 के विनियम 14 (1) के अनुसार आवश्यक जानकारी अपेक्षित तरीके से देते हैं और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा अधिसूचित लेखा मानकों और भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप यथा मार्च 31, 2025 को बैंक के कार्यकलापों की स्थिति और उस तारीख को समाप्त वर्ष हेतु इसके लाभ और इसके नकदी प्रवाह को सही और उचित रूप में दर्शाते हैं।

राय के लिए आधार

2. हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारी का और अधिक ब्योरा हमारी रिपोर्ट के 'एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षकों के दायित्व' खंड में दिया गया है। हम आईसीएआई द्वारा जारी "आचार संहिता" के अनुसार बैंक से स्वतंत्र हैं और हमने इन अपेक्षाओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा विश्वास है कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे एकल वित्तीय विवरणों पर हमारी राय के लिए पर्याप्त और उपयुक्त आधार प्रदान करते हैं।

विशेष रूप से ध्यातव्य मामले

3. हम एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूची XVI के नोट संख्या 25 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जो बोर्ड द्वारा अनुमोदित त्वरित प्रावधान नीति के अनुसार, आईआरएसी मानदंडों के तहत न्यूनतम निर्धारित दरों से अधिक दरों पर मानक अग्रिमों पर अतिरिक्त प्रावधान से संबंधित है। इस मामले के संबंध में हमारी कोई अलग राय नहीं है।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

4. प्रमुख लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारी पेशेवर दृष्टि से मार्च 31, 2025 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के एकल वित्तीय विवरण की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों पर समग्र रूप से एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा और उन पर हमारी राय निर्धारित करने के संदर्भ में विचार किया गया था और इन मामलों के संबंध में हम अलग से राय नहीं देते हैं।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामला	हमारी लेखापरीक्षा में प्रमुख लेखापरीक्षा मामले पर किस तरह विचार किया गया
I. अग्रिमों का वर्गीकरण, गैर-निष्पादक अग्रिमों का निर्धारण, आय निर्धारण और अग्रिमों पर प्रावधान (एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूची VIII, अनुसूची XV के नोट 6 के साथ पठित, देखें) अग्रिमों में बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, अल्प वित्त संस्थाओं तथा एनबीएफसी को पुनर्वित्त ऋण; और प्रत्यक्ष ऋण, नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट, मांग पर चुकौतीयोग्य ऋण और सावधि ऋण सहित, शामिल हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकों के लिए अग्रिमों के संबंध में आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान संबंधी विवेकपूर्ण मानदंड (आईआरएसीपी मानदंड) निर्धारित किए हैं। निष्पादक और गैर-निष्पादक अग्रिमों (लागू आईआरएसीपी मानदंडों के अंतर्गत पुनःसंरचित अग्रिमों सहित) के निर्धारण में उचित तंत्र की स्थापना शामिल है और बैंक से अपेक्षा की जाती है कि वह विनियमों द्वारा निर्धारित मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों कारकों को लागू करते हुए प्रत्येक अग्रिम के लिए अपेक्षित प्रावधान की मात्रा की पहचान करने और निर्धारित करने के लिए पर्याप्त मात्रा में स्वविवेक का प्रयोग करे।	अग्रिमों के वर्गीकरण, गैर-निष्पादक अग्रिमों के निर्धारण, आय निर्धारण और अग्रिमों पर प्रावधान के प्रति हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण/प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल हैं: - गैर-निष्पादक आस्तियों के निर्धारण और प्रावधान के लिए बैंक की लेखांकन नीतियों को समझना और उन पर विचार करना और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों (आईआरएसीपी मानदंडों) के अनुपालन, जिसमें पुनःसंरचित अग्रिमों पर अतिरिक्त प्रावधान और प्रदत्त आस्ति वर्गीकरण लाभ शामिल हैं, का आकलन करना, - भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित आईआरएसीपी संबंधी मौजूदा दिशानिर्देशों के आधार पर ह्रासित खातों के निर्धारण और प्रावधान के लिए प्रमुख नियंत्रणों (सिस्टम आधारित स्वचालित नियंत्रणों सहित) को समझना। - बैंक द्वारा एनपीए के निर्धारण को कवर करने वाली सारभूत लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं सहित अन्य प्रक्रियाओं को निष्पादित करना। इन प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल हैं: क) जहां अग्रिम दर्ज किए गए हैं, उन एप्लीकेशन सिस्टमों से उत्पन्न अपवाद रिपोर्टों के परीक्षण पर विचार करना

प्रमुख लेखापरीक्षा मामला	हमारी लेखापरीक्षा में प्रमुख लेखापरीक्षा मामले पर किस तरह विचार किया गया
निष्पादक और गैर-निष्पादक अग्रिमों (लागू आईआरएसीपी मानदंडों के अंतर्गत पुनःसंरचित अग्रिमों सहित) के निर्धारण में उचित तंत्र की स्थापना शामिल है और बैंक से अपेक्षा की जाती है कि वह विनियमों द्वारा निर्धारित मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों कारकों को लागू करते हुए प्रत्येक अग्रिम के लिए अपेक्षित प्रावधान की मात्रा की पहचान करने और निर्धारित करने के लिए पर्याप्त मात्रा में स्वविवेक का प्रयोग करे। एनपीए के निर्धारण और प्रावधान के लिए काफी स्वविवेक और अनुमान की विद्यमानता निम्नलिखित के विषय में सारभूत गलतबयानी को जन्म दे सकते हैं: - आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार गैर-निष्पादक आस्तियों के निर्धारण की पूर्णता और समय; - ऋण एक्सपोजर, ऋणों की आयु और वर्गीकरण, प्रतिभूति के वसूलीयोग्य मूल्य के आधार पर गैर-निष्पादक आस्तियों के लिए प्रावधान की माप - गैर-निष्पादक आस्तियों की अप्राप्त आय का उपयुक्त प्रतिवर्तन चूंकि अग्रिमों का वर्गीकरण, गैर-निष्पादक आस्तियों का निर्धारण और अग्रिमों पर प्रावधान करना (लागू आईआरएसीपी के तहत पुनःसंरचित अग्रिमों पर अतिरिक्त प्रावधान सहित) और अग्रिमों पर आय निर्धारण - में उपयुक्त नियंत्रण कार्यप्रणाली और बैंक द्वारा महत्वपूर्ण स्तर के अनुमानों की आवश्यकता होती है; - बैंक के समग्र वित्तीय विवरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं;	ख) दबाव निर्धारण हेतु, सिडबी और अन्य बैंकों द्वारा विशेष उल्लेख खातों (एसएमए) के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के बड़े ऋणों से संबंधित केंद्रीय भंडार(क्रिलिक) में रिपोर्ट किए गए खातों पर विचार करना ग) मात्रात्मक और गुणात्मक जोखिम कारकों के आधार पर चुने गए उधारकर्ताओं की खाता विवरणियों, आहरण शक्ति परिकलन, प्रतिभूति और अन्य संबंधित जानकारी की समीक्षा करना घ) ऋण और जोखिम समिति की बैठकों के कार्यवृत्त पढ़ना और बैंक से पूछताछ करना ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या किसी ऋण खाते या किसी उत्पाद में दबाव या चूक की घटना के संकेतक थे। ङ) बैंक की नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसार किए गए आंतरिक लेखा परीक्षा और समवर्ती लेखा परीक्षा की प्रमुख टिप्पणियों पर विचार करना च) वर्ष के दौरान बैंक के संबंध में आरबीआई की वित्तीय निरीक्षण रिपोर्ट, टिप्पणियों पर बैंक के प्रत्युत्तर तथा आरबीआई के साथ हुए अन्य पत्राचार पर विचार करना छ) बैंक की कोर बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से आईआरएसीपी प्रक्रियाओं के स्वचालन पर आरबीआई परिपत्र के अनुपालन को सत्यापित करने के लिए बैंक द्वारा नियुक्त बाहरी विशेषज्ञ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की समीक्षा करना। ज) भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर परिपत्रों/दिशानिर्देशों के अनुपालन के संबंध में नमूना आधार पर अग्रिमों, दबावग्रस्त / पुनःसंरचित अग्रिमों सहित, का परीक्षण। झ) प्रतिदर्श उधारकर्ताओं के लिए खाता शेष की स्वतंत्र पुष्टि प्राप्त करना। ञ) शाखाओं/कार्यालयों का दौरा तथा अग्रिमों से संबंधित प्रलेखन और अन्य अभिलेखों की जांच करना। निर्धारित गैर-निष्पादक अग्रिमों के लिए हमने, दबावग्रस्त क्षेत्रों और खाता सारभूतता सहित विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए, नमूना आधार पर आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार आस्ति वर्गीकरण तिथियों, वसूल न हुए ब्याज के प्रतिवर्तन, उपलब्ध प्रतिभूति के मूल्य और प्रावधानों की जांच की। हमने प्रमुख निविष्टि कारकों पर विचार करने के बाद ऐसे नमूनों पर एनपीए हेतु प्रावधान की पुनःगणना की और उसके परिणाम की तुलना प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए आंकड़ो से की।
II. निवेशों का मूल्यांकन, गैर-निष्पादक निवेशों का निर्धारण और उनके लिए प्रावधान (एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूची VII, अनुसूची XV के नोट 3 के साथ पठित) निवेशों को राजकोष परिचालन और व्यवसाय परिचालन के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। निवेशों में बैंक द्वारा केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों, बॉण्डों, डिबेंचरों, शेयरों, म्युचुअल फंडों, वीसीएफ और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में किए गए निवेश शामिल हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्रों और निर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ निवेशों का मूल्यांकन, निवेशों का वर्गीकरण, गैर-निष्पादक निवेशों का निर्धारण, गैर-निष्पादक निवेशों के संबंध में आय का अनिर्धारण तथा प्रावधान शामिल हैं। उपर्युक्त प्रतिभूतियों की प्रत्येक श्रेणी (प्रकार) का मूल्यांकन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों और निर्देशों में निर्धारित पद्धति के अनुसार किया जाना है, जिसमें एफबीआईएल / एफआईएमएमडीए दरों, बीएसई/एनएसई पर कोट की गई दरें, गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के वित्तीय विवरण जैसे विभिन्न स्रोतों से आंकड़े/सूचना एकत्र करना शामिल है।	भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्रों/निदेशों के संदर्भ में निवेशों के प्रति हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण/प्रक्रियाओं में निवेशों से संबंधित मूल्यांकन, वर्गीकरण, गैर-निष्पादक निवेशों (एनपीआई) के निर्धारण और प्रावधान/मूल्यह्रास के विषय में आंतरिक नियंत्रणों और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को समझना शामिल है। विशेष रूप से- - हमने निवेश से संबंधित मूल्यांकन, वर्गीकरण, गैर-निष्पादक निवेशों के निर्धारण, गैर-निष्पादक निवेशों पर आय के प्रतिवर्तन और प्रावधान/मूल्यह्रास के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक के प्रासंगिक दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन किया और उसे समझा; - हमने इन निवेशों के बाजार मूल्य का निर्धारण करने के लिए विभिन्न स्रोतों से जानकारी एकत्र करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का आकलन और मूल्यांकन किया; - विद्यमान निवेश के चुनिंदा नमूनों के लिए, हमने प्रतिभूति की प्रत्येक श्रेणी हेतु पुनः मूल्यांकन करके सटीकता और आरबीआई मास्टर परिपत्रों और निर्देशों के अनुपालन का परीक्षण किया;

प्रमुख लेखापरीक्षा मामला	**हमारी लेखापरीक्षा में प्रमुख लेखापरीक्षा मामले पर किस तरह विचार किया गया**
हमने निवेश के मूल्यांकन और गैर-निष्पादक निवेशों के निर्धारण को एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया क्योंकि लागू नियामक दिशानिर्देशों और बैंक की नीतियों के आधार पर कतिपय निवेशों (बॉण्ड और डिबेंचर, वीसीएफ) के मूल्य का निर्धारण करने में प्रबंधन का स्वविवेक शामिल रहता है, एचटीएम बही के ह्रासमान मूल्यांकन में प्रबंधन स्वविवेक शामिल होता है, इस विषय में नियामकीय फोकस अधिक है और बैंक के वित्तीय परिणामों के लिए ये समग्र रूप से महत्वपूर्ण हैं।	- हमने आरबीआई के परिपत्रों और निर्देशों के अनुसार रखे जाने वाले प्रावधान का स्वतंत्र रूप से पुनः परिकलन करने के लिए सारभूत लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं निष्पादित कीं। तदनुसार, हमने प्रत्येक श्रेणी के निवेश से नमूनों का चयन किया और आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार गैर-निष्पादक निवेशों के लिए उनका परीक्षण किया और रखे जाने वाले प्रावधान का पुनः परिकलन किया और यह देखा कि क्या गैर-निष्पादक निवेशों के उन चयनित नमूनों के लिए आय का उपचय आरबीआई परिपत्र के अनुसार है।
III. सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और नियंत्रण, जो वित्तीय रिपोर्टिंग को प्रभावित करते हैं बैंक की प्रमुख वित्तीय लेखांकन और रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं की इनफॉर्मेशन सिस्टम्स, सिस्टम में विद्यमान स्वचालित नियंत्रणों सहित, पर इतनी अधिक निर्भरता है कि यह जोखिम मौजूद है कि आईटी नियंत्रण वातावरण में गैप के परिणामस्वरूप वित्तीय लेखांकन और रिपोर्टिंग अभिलेख सारभूत रूप से अशुद्ध हो सकते हैं। आईटी परिवेश के व्यापक स्वरूप और जटिलता के साथ-साथ सटीक और समय पर वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में इसके महत्व के कारण, हमने इस क्षेत्र को एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया है।	वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए बैंक की आईटी प्रणालियों और संबंधित नियंत्रणों की समीक्षा के लिए हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के एक भाग के रूप में: - हमने बैंक के आईटी सिस्टम और नियंत्रणों के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया जो वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। - उचित समय-अंतराल पर चिह्नित एप्लीकेशन सिस्टमों के लिए एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर ऑडिट कराने के लिए बैंक में एक कार्य प्रणाली विद्यमान है। बैंक द्वारा समुचित समय-अंतरालों पर सूचना प्रणाली (आईएस) लेखापरीक्षा की जाती है। - वर्ष के दौरान बैंक के आईटी सिस्टम्स पर किए गए ऑडिट से प्राप्त प्रमुख टिप्पणियों की हमने समीक्षा की।
IV. प्रावधानों और आकस्मिक देयताओं का आकलन (एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूची XV के नोट 10 और नोट 12): कतिपय मुकदमों, प्रत्यक्ष कर सहित, ऋण के रूप में स्वीकार न किए गए अन्य पक्षों द्वारा दायर विभिन्न दावों (एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूची XI) और विभिन्न कर्मचारी लाभ योजनाओं (एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूची V) के संबंध में प्रावधानों और आकस्मिक देयताओं के आकलन को एक महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा क्षेत्र के रूप में निर्धारित किया गया । कर मामलों और अन्य कानूनी दावों के संबंध में आवश्यक प्रावधान के स्तर का आकलन करने में और प्रावधानों और आकस्मिक देयताओं, दोनों का प्रकटन करने में उच्च स्तर का स्वविवेक शामिल रहता है। बैंक का आकलन मामले के तथ्यों, उसके अपने विवेक, पिछले अनुभव और कानूनी और स्वतंत्र कर परामर्शदाताओं की सलाह, जहाँ आवश्यक समझी जाए, पर आधारित होता है। तदनुसार, अप्रत्याशित प्रतिकूल परिणाम बैंक के रिपोर्ट किए गए लाभ और तुलनपत्र में प्रस्तुत स्थिति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं। कर्मचारी लाभ देयताओं के मूल्यांकन को विविध बीमांकिक धारणाओं और निविष्टियों, बट्टा दर, मुद्रास्फीति की दर और मृत्यु दर सहित, के संदर्भ में परिकलित किया जाता है। इसके संबंध में वित्तपोषित आस्तियों का मूल्यांकन भी धारणाओं में परिवर्तन के प्रति संवेदनशील होता है। जिन मामलों में कानून की व्याख्या, प्रत्येक मामले की परिस्थितियों और शामिल अनुमानों में स्वविवेक लागू करने की आवश्यकता होती है, उन मामलों के परिणामों से जुड़ी हुई अनिश्चितता के मद्देनजर हमने उपर्युक्त क्षेत्र को एक महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा क्षेत्र के रूप में निर्धारित किया है।	हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण/प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल थे: - मुकदमों/कर निर्धारण की वर्तमान स्थिति को समझना; - विभिन्न कर प्राधिकारियों/न्यायिक मंचों से प्राप्त हाल के आदेशों और/या पत्रादि और उन पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की जांच करना; - महत्वपूर्ण मानी गई विषयवस्तु के गुणदोष का मूल्यांकन उसमें प्रस्तुत आधारों और उपलब्ध स्वतंत्र कानूनी/कर सलाह, बैंक के कर परामर्शदाताओं की राय सहित, के संदर्भ में करना; - चर्चाओं, विचाराधीन विषय वस्तु के ब्योरो के संग्रह, उन मुद्दों के संभावित परिणाम और उसके फलस्वरूप संभावित धन निर्गम के माध्यम से बैंक के तर्कों की समीक्षा और मूल्यांकन,; और - डेटा की पूर्णता और सटीकता सुनिश्चित करना, योजनाओं की आस्तियों के उचित मूल्य का मापन, विशिष्ट योजनाओं और बाजार परिपाटियों के संदर्भ में कर्मचारी देयताओं के मूल्यांकन के लिए प्रबंधन द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली धारणाओं को निर्धारित करने में किए गए निर्णयों को समझना। - हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में बीमांकक द्वारा उपयोग की जाने वाली कुछ धारणाओं का मूल्यांकन शामिल है, जो प्रासंगिक मृत्यु दर तालिकाओं के साथ जीवन प्रत्याशा धारणाओं की तुलना, बाहरी बाजार डेटा के प्रति मुद्रास्फीति और बट्टा दर की बेंचमार्किंग करके किया गया है। हमने योजना आस्तियों का प्रबंधन करने वाली आस्ति प्रबंधन कंपनियों द्वारा प्रदत्त विवरणियों से योजना आस्तियों के मूल्य का सत्यापन किया। - एकल वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण मुकदमों, कराधान मामलों और कर्मचारी लाभ देयताओं से संबंधित प्रकटनों का सत्यापन।

एकल वित्तीय विवरणों से इतर अन्य जानकारी और उस पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

5. अन्य जानकारी के लिए बैंक का प्रबंधन जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में वार्षिक रिपोर्ट में दी गई जानकारी शामिल है, लेकिन उसमें एकल वित्तीय विवरण और उस पर हमारे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं है। बैंक की वार्षिक रिपोर्ट इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराई जाने की उम्मीद है।

   एकल वित्तीय विवरणों पर हमारी राय के अंतर्गत अन्य जानकारी और बेसल III प्रकटनों के तहत स्तंभ 3 प्रकटनों को कवर नहीं किया गया है और हम उस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं और न करेंगे।

   एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी ज़िम्मेदारी यह है कि जब अन्य जानकारी उपलब्ध हो जाए तो उसे पढ़ें और ऐसा करते हुए यह विचार करें कि क्या अन्य जानकारी एकल वित्तीय विवरणों से सारभूत रूप से असंगत है अथवा ऑडिट के जरिए या अन्यथा प्राप्त हमारी जानकारी सारभूत रूप से अयथार्थ प्रतीत होती है। जब हम बैंक की वार्षिक रिपोर्ट पढ़कर इस निष्कर्ष पर पहुंचें कि इस अन्य जानकारी में सारभूत गलतबयानी की गई है, तो आवश्यक है कि हम उक्त मामले में उन लोगों को सूचित करें जिनके पास अभिशासन का प्रभार है।

एकल वित्तीय विवरणों हेतु प्रबंधन एवं अभिशासन के प्रभारियों का उत्तरदायित्व

6. बैंक का प्रबंधन भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सामान्य विनियम, 2000 और आईसीएआई द्वारा जारी लागू लेखा मानकों एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों और दिशानिर्देशों सहित भारत में समान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार इन एकल वित्तीय विवरणों को तैयार किए जाने के संबंध में उत्तरदायी है, जो बैंक की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्यनिष्पादन और नकद प्रवाह को सही और उचित रूप में दर्शाते हैं। इस उत्तरदायित्व में बैंक की आस्तियों की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का पता लगाने और रोकने के लिए पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन और लागू किया जाना; उचित और विवेकपूर्ण निर्णय लेना और अनुमान लगाना; और ऐसे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की निर्मिति, कार्यान्वयन एवं रखरखाव करना शामिल है, जो लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम करें, और सही और उचित स्थिति दर्शाने वाले ऐसे एकल वित्तीय विवरणों को तैयार और प्रस्तुत करने के लिए प्रासंगिक हों, जो धोखाधड़ी या त्रुटि जन्य गलतबयानियों से मुक्त हों।

   एकल वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन सतत संस्था के रूप में जारी रहने की बैंक की क्षमता का आकलन करने, सतत संस्था से जुड़े मामलों को प्रकट करने, जैसा लागू हो, और लेखांकन के सतत संस्था आधार का इस्तेमाल करने के लिए उत्तरदायी है, जब तक कि प्रबंधन का इरादा बैंक का परिसमापन करने या परिचालन बंद करने का न हो या ऐसा करने का कोई यथार्थपरक विकल्प न हो। बैंक प्रबंधन बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करने के लिए भी जिम्मेदार है।

एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों के उत्तरदायित्व

7. हमारा उद्देश्य यह है कि इस विषय में उचित आश्वासन प्राप्त किया जाए कि एकल वित्तीय विवरण समग्र रूप से सारभूत गलतबयानियों, चाहे वे धोखाधड़ीजन्य हों या त्रुटिजन्य, से मुक्त हैं, और एक ऐसी लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी की जाए जिसमें हमारी राय शामिल हो। उचित आश्वासन आश्वासन का एक उच्च स्तर है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार संचालित लेखापरीक्षा, किसी सारभूत गलतबयानी के विद्यमान होने पर हमेशा उसका पता लगा लेगी। गलतबयानियाँ धोखाधड़ी या त्रुटि के फलस्वरूप हो सकती हैं और उन्हें तब सारभूत माना जाता है, जब यह संभावना हो कि इन एकल वित्तीय विवरणों के आधार पर प्रयोक्ताओं द्वारा किए गए आर्थिक निर्णयों को ये गलतबयानियाँ अलग अलग या सामूहिक रूप से प्रभावित कर सकती हैं।

   लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा के हिस्से के रूप में, हम पेशेवर विवेक का इस्तेमाल करते हैं और पूरी लेखापरीक्षा के दौरान पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। इसके अतिरिक्त, हम :

- एकल वित्तीय विवरणों में सारभूत गलतबयानी के जोखिमों को पहचानते हैं और उनका आकलन करते हैं, चाहे वे धोखाधड़ीजन्य हों या त्रुटिजन्य, उन जोखिमों के प्रति अनुक्रियाशील लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार और निष्पादित करते हैं और ऐसे ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हो। त्रुटिजन्य गलतबयानी की तुलना में धोखाधड़ीजन्य गलतबयानी का पता न लगने का जोखिम अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, इरादतन चूक, त्रुटिपूर्ण कथन या आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना शामिल हो सकते हैं।
- लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रणों की समझ हासिल करते हैं, ताकि ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन किया जा सके जो उन परिस्थितियों में उपयुक्त हों, किंतु वे प्रभावशीलता पर राय व्यक्त करने के लिए नहीं होतीं।
- प्रबंधन द्वारा एकल वित्तीय विवरणों में प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटनों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करते हैं।
- प्रबंधन द्वारा लेखांकन के सतत संस्था आधार के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालते हैं और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर यह निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई सारभूत अनिश्चितता मौजूद है जो सतत संस्था के रूप में जारी रहने की बैंक की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हमारा निष्कर्ष होता है कि सारभूत अनिश्चितता विद्यमान है, तो यह अपेक्षित है कि हम अपनी लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में एकल वित्तीय विवरणों के संबंधित प्रकटीकरण की ओर ध्यान आकर्षित करें अथवा यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हों, तो अपनी संशोधित राय दें। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। तथापि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण बैंक का एक सतत संस्था के रूप में जारी रहना बंद हो सकता है।
- प्रकटीकरण सहित एकल वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषयवस्तु का मूल्यांकन करते हैं और यह देखते हैं कि क्या एकल वित्तीय विवरण अंतर्निहित संव्यवहारों और घटनाओं को इस तरह से दर्शाते हैं जिससे उचित प्रस्तुति का लक्ष्य हासिल होता हो।

सारभूतता एकल वित्तीय विवरणों में विद्यमान गलतबयानी की वह मात्रा है, जो अलग-अलग या सामूहिक रूप से यह संभाव्यता पैदा करती है कि वित्तीय विवरणों के पर्याप्त जानकार प्रयोक्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने में; और (ii) वित्तीय विवरणों में चिह्नित किसी गलतबयानी के प्रभाव का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक सारभूतता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम उन लोगों के साथ संवाद करते हैं जिन पर, अन्य मामलों के साथ-साथ, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे एवं समय और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों और लेखापरीक्षा के दौरान हमारे द्वारा चिह्नित की जाने वाली किसी महत्वपूर्ण कमी के संबंध में अभिशासन का प्रभार है।

हम अभिशासन के प्रभारियों को इस आशय का कथन भी प्रस्तुत करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन किया है और ऐसे सभी रिश्तों तथा अन्य मामलों की जानकारी देते हैं जिनके विषय में तर्कसंगत रूप से यह सोचा जा सकता है कि वे हमारी स्वतंत्रता पर प्रभाव डालेंगे और और जहां लागू हों वहां संबंधित सुरक्षा उपायों की भी जानकारी देते हैं।

अभिशासन के प्रभारियों को सूचित किए गए मामलों में से हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं जो मार्च 31, 2025 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष हेतु एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपनी लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन उक्त मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता न हो अथवा जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हमने यह न निर्धारित किया हो कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में सूचित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसी पर्याप्त संभावना है कि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम इस तरह की सूचना देने से होने वाले सार्वजनिक हित लाभों से अधिक होंगे।

8. अन्य मामले

i. इन एकल वित्तीय परिणामों में प्रधान कार्यालय सहित उन 33 शाखाओं की संबंधित विवरणियां का समावेश हैं, जिनका दौरा/ लेखापरीक्षा हमारे द्वारा की गई है, जिसके अंतर्गत यथा मार्च 31, 2025 को अग्रिमों का 82.53%, जमाराशियों का 98.54%, उधारियों का 100% और 01.04.2024 से 31.03.2025 तक की अवधि हेतु अग्रिमों पर ब्याज आय का 82.83%, जमा पर ब्याज व्यय का 97.27% और उधारियों पर ब्याज-व्यय का 99.77% कवर करता है। इन शाखाओं का चयन बैंक प्रबंधन के परामर्श से किया गया है। अपनी लेखापरीक्षा संपन्न करने के दौरान, हम बैंक की उन शेष शाखाओं, जिनके दौरे हमने नहीं किए, से प्राप्त विभिन्न सूचनाओं और विवरणियों निर्भर रहे हैं, जो कि प्रधान कार्यालय के केंद्रीकृत डेटाबेस के माध्यम से जनरेट की गईं।

उक्त मामलों के संबंध में हमारी कोई अलग राय नहीं है।

अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

9. एकल तुलनपत्र और एकल लाभ-हानि लेखा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सामान्य विनियम, 2000 के विनियम 14 (i) के प्रावधानों के अनुसार तैयार किए गए हैं।

हम रिपोर्ट करते हैं कि:

क) हमने ऐसी सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, हमारी लेखापरीक्षा से संबंधित प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे और उन्हें संतोषजनक पाया है;

ख) बैंक के जो संव्यवहार हमारे संज्ञान में आए हैं, वे बैंक की शक्तियों के अंतर्गत हैं और

ग) बैंक के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त विवरणियां हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए पर्याप्त पाई गई हैं।

10. हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि:

क) हमारी राय में, बैंक ने विधि द्वारा यथाअपेक्षित लेखा-बहियों का समुचित रूप से रखरखाव किया है, जहाँ तक कि इन लेखा-बहियों की हमारी जाँच से पता चलता है। जिन शाखाओं का हमने दौरा नहीं किया है, उनसे समुचित विवरणियाँ प्राप्त हुई हैं, जो हमारे लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त थीं।

ख) इस रिपोर्ट द्वारा जिस तुलनपत्र और लाभ-हानि लेखा तथा नकदी प्रवाह विवरणी पर विचार किया गया है, वह लेखा-बही के अनुरूप है;

ग) हमारी राय में, उक्त एकल वित्तीय विवरण लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।

कृते जे. काला एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 118769W

(जयेश काला)
भागीदार
एम नं.: 101686
यूडीआईएन: 25101686BMJLOH7463

दिनांक: अप्रैल 29, 2025
स्थान: मुंबई

एकल तुलनपत्र

यथा मार्च 31, 2025

(₹)

		मार्च 31, 2025 धनराशि	मार्च 31, 2024 धनराशि
पूँजी और देयताएँ	**अनुसूची**		
पूँजी	I	5,68,54,11,690	5,68,54,11,690
आरक्षितियां, अधिशेष और निधियाँ	II	3,58,39,43,32,847	3,11,47,97,41,280
जमाराशियाँ	III	19,55,99,82,24,608	20,63,84,20,90,591
उधारियाँ	IV	31,72,64,23,02,850	27,05,45,48,39,639
अन्य देयताएँ और प्रावधान	V	1,89,66,75,64,272	1,38,74,75,34,843
आस्थगित कर देयता		-	-
योग		**56,82,38,78,36,267**	**52,25,20,96,18,043**
आस्तियाँ			
नकद और बैंक शेष	VI	1,76,71,52,14,833	2,33,08,59,93,676
निवेश	VII	4,69,37,92,11,815	3,64,09,90,81,370
ऋण एवं अग्रिम	VIII	49,62,81,81,98,876	45,60,15,07,04,381
स्थिर आस्तियाँ	IX	2,80,36,24,047	2,86,18,84,189
अन्य आस्तियाँ	X	70,67,15,86,696	65,01,19,54,427
योग		**56,82,38,78,36,267**	**52,25,20,96,18,043**
आकस्मिक देयताएँ	XI	31,60,99,11,918	37,97,40,02,169

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ XV

लेखा से संबंधित नोट्स XVI

ऊपर उल्लिखित अनुसूचियां तुलन पत्र का अभिन्न अंग हैं।

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार **निदेशक मण्डल के आदेश से**

कृते **जे. काला एंड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
एफआरएन.118769W

वाई एम कुमारी
मुख्य वित्तीय अधिकारी

प्रकाश कुमार
उप प्रबंध निदेशक

सुदत्त मंडल
उप प्रबंध निदेशक

मनोज मित्तल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

जयेश काला
भागीदार
एम. सं. 101686

लक्ष्मी चंद मीना
निदेशक

पी जे थॉमस
निदेशक

स्थान: मुंबई
दिनांक: अप्रैल 29, 2025

एकल लाभ और हानि लेखा

मार्च 31, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹)

	अनुसूची	मार्च 31, 2025	मार्च 31, 2024
आय			
ब्याज और भुनाई	XII	3,78,31,26,14,244	3,13,09,96,10,081
अन्य आय	XIII	6,79,89,93,046	6,32,13,04,418
योग		**3,85,11,16,07,290**	**3,19,42,09,14,499**
व्यय			
ब्याज और वित्तीय प्रभार		2,83,51,57,22,750	2,28,81,47,69,951
परिचालन व्यय	XIV	14,29,89,82,245	18,65,06,99,392
प्रावधान और आकस्मिकताएं		23,31,48,13,000	19,05,50,87,556
योग		**3,21,12,95,17,995**	**2,66,52,05,56,899**
कर-पूर्व लाभ		**63,98,20,89,295**	**52,90,03,57,600**
आयकर हेतु प्रावधान		21,02,17,57,080	17,72,36,61,000
आस्थगित कर समायोजन [(आस्ति)/देयता]		(5,14,70,71,000)	(5,08,63,10,000)
कर-पश्चात लाभ		**48,10,74,03,215**	**40,26,30,06,600**
आगे लाया गया लाभ		80,53,00,000	66,87,00,000
कुल लाभ/(हानि)		**48,91,27,03,215**	**40,93,17,06,600**
विनियोजन			
सामान्य आरक्षिति में अंतरण		44,56,35,20,877	37,14,57,71,449
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत विशेष आरक्षिति में अंतरण		2,05,00,00,000.00	1,65,00,00,000
अन्य			
निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षिति में अंतरण		-	2,50,52,813
स्टाफ कल्याण निधि में अंतरण		20,00,00,000	16,85,00,000
शेयरों पर लाभांश		1,13,70,82,338	1,13,70,82,338
लाभांश पर कर		-	-
लाभ और हानि लेखा का आगे ले जाया गया अधिशेष		96,21,00,000	80,53,00,000
योग		**48,91,27,03,215**	**40,93,17,06,600**
प्रति शेयर मूल/तनुकृत अर्जन		84.62	70.82

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	XV
लेखा से संबंधित टिप्पणियां	XVI

ऊपर उल्लिखित अनुसूचियां लाभ और हानि लेखा का अभिन्न अंग हैं।

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते **जे. काला एंड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
एफआरएन.118769W

जयेश काला
भागीदार
एम. सं. 101686

निदेशक मण्डल के आदेश से

वाई एम कुमारी
मुख्य वित्तीय अधिकारी

प्रकाश कुमार
उप प्रबंध निदेशक

सुदत्त मंडल
उप प्रबंध निदेशक

मनोज मित्तल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

लक्ष्मी चंद मीना
निदेशक

पी जे थॉमस
निदेशक

स्थान: मुंबई
दिनांक: अप्रैल 29, 2025

एकल तुलनपत्र की अनुसूचियां

पूंजी और देयताएँ

अनुसूची I: पूंजी

(₹)

	मार्च 31, 2025	मार्च 31, 2024
(क) प्राधिकृत पूंजी	10,00,00,00,000	10,00,00,00,000
- इक्विटी शेयर पूंजी (दस-दस रुपए के 75,00,00,000 इक्विटी शेयर)	7,50,00,00,000	7,50,00,00,000
- अधिमानी शेयर पूंजी (दस-दस रुपए के 25,00,00,000 मोचनीय अधिमानी शेयर)	2,50,00,00,000	2,50,00,00,000
(ख) जारी, अभिदत्त और चुकता पूंजी:	5,68,54,11,690	5,68,54,11,690
- इक्विटी शेयर पूंजी (दस-दस रुपए के 56,85,41,169 इक्विटी शेयर)	5,68,54,11,690	5,68,54,11,690
- अधिमानी शेयर पूंजी	-	-
योग	**5,68,54,11,690**	**5,68,54,11,690**

अनुसूची II: आरक्षितियाँ, अधिशेष और निधियां

(₹)

	मार्च 31, 2025	मार्च 31, 2024
क) आरक्षितियाँ		
i) सामान्य आरक्षिति		
- अथशेष	2,55,50,39,11,366	2,18,35,81,39,917
- वर्ष के दौरान परिवर्धन	44,56,35,20,878	37,14,57,71,449
- वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
- इतिशेष	**3,00,06,74,32,244**	**2,55,50,39,11,366**
ii) शेयर प्रीमियम		
- अथशेष	**30,54,25,88,310**	**30,54,25,88,310**
- वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
- वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
- इतिशेष	**30,54,25,88,310**	**30,54,25,88,310**
iii) विशिष्ट आरक्षितियाँ		
अ) निवेश आरक्षिति		
- अथशेष	-	-
- वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
- वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
- इतिशेष	-	-
ब) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के तहत सृजित और अनुरक्षित विशेष आरक्षिति		
- अथशेष	20,17,00,00,000	18,52,00,00,000
- वर्ष के दौरान परिवर्धन	2,05,00,00,000	1,65,00,00,000
- वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
- इतिशेष	**22,22,00,00,000**	**20,17,00,00,000**
स) अन्य आरक्षितियाँ		
i) निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षिति		
- अथशेष	**1,28,40,05,769**	**1,25,89,52,956**
- वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	**2,50,52,813**
- वर्ष के दौरान उपयोग		
- इतिशेष	**1,28,40,05,769**	**1,28,40,05,769**
ख) लाभ और हानि लेखा में अधिशेष	**96,21,00,000**	**80,53,00,000**
ग) निधियाँ		
अ) राष्ट्रीय ईक्विटी निधि		

अनुसूची II: आरक्षितियाँ, अधिशेष और निधियां (जारी)

(₹)

		मार्च 31, 2025	मार्च 31, 2024
-	अथशेष	2,65,61,42,832	2,65,61,42,832
-	वर्ष के दौरान परिवर्धन/पुनरांकन	-	-
-	वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
-	**इतिशेष**	**2,65,61,42,832**	**2,65,61,42,832**
ब)	स्टाफ कल्याण निधि		
-	आरंभिक शेष	51,77,93,003	40,24,51,534
-	वर्ष के दौरान परिवर्धन	20,00,00,000	16,85,00,000
-	वर्ष के दौरान उपयोग	5,57,29,310	5,31,58,531
-	**इतिशेष**	**66,20,63,693**	**51,77,93,003**
स)	अन्य	-	-
योग		**3,58,39,43,32,847**	**3,11,47,97,41,280**

अनुसूची III: जमा

(₹)

		मार्च 31, 2025	मार्च 31, 2024
क)	**सावधि जमा**	**1,44,74,77,49,607**	**1,25,99,96,09,590**
ख)	**बैंकों से**		
अ)	एमएसएमई पुनर्वित्त निधि के तहत	17,64,60,14,30,000	18,91,19,34,36,000
ब)	एमएसएमई जोखिम पूँजी निधि के तहत	-	-
स)	अन्य - विदेशी और निजी क्षेत्र के बैंकों से	31,65,49,75,000	31,65,49,75,000
द)	एमएसएमई इंडिया एस्पिरेशन फंड के तहत	14,99,40,70,001	14,99,40,70,001
य)	एमएसएमई क्षेत्र में उद्यम पूंजी हेतु निधि 2014-15 के तहत	-	-
उप - योग (ख)		**18,11,25,04,75,001**	**19,37,84,24,81,001**
कुल		**19,55,99,82,24,608**	**20,63,84,20,90,591**

अनुसूची IV: उधार

(₹)

	मार्च 31, 2025	मार्च 31, 2024
(I) भारत में उधार		
1. भारतीय रिज़र्व बैंक से	-	-
2. भारत सरकार से (भारत सरकार द्वारा अभिदत्त बॉण्ड सहित)	4,10,81,90,830	4,36,28,02,083
3. बॉण्ड और डिबेंचर	12,02,61,64,00,000	8,11,80,29,00,000
4. अन्य स्रोतों से		
- वाणिज्यिक पत्र	1,61,75,00,00,000	2,25,24,00,00,000
- जमा प्रमाण पत्र	4,08,70,00,00,000	3,54,90,00,00,000
- बैंकों से सावधि ऋण	11,35,45,00,00,000	10,88,19,00,00,000
- सावधि मुद्रा उधार	-	-
- अन्य	2,48,04,62,76,130	1,89,37,08,41,814
उप-योग (I)	**31,60,67,08,66,960**	**26,73,86,65,43,897**
(II) भारत के बाहर से उधार		
(क) केएफडब्ल्यू, जर्मनी	6,81,50,53,292	1,38,94,71,253
(ख) जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जीका)	4,19,89,00,553	6,07,59,66,719
(ग) आईएफएडी, रोम	95,74,82,045	99,22,22,858
(घ) विश्व बैंक	-	22,85,75,57,273
(ङ) अन्य	-	27,30,77,639
उप-योग (II)	**11,97,14,35,890**	**31,58,82,95,742**
योग (I और II)	**31,72,64,23,02,850**	**27,05,45,48,39,639**

एकल तुलनपत्र की अनुसूचियां

अनुसूची V: अन्य देयताएँ और प्रावधान:

(₹)

	मार्च 31, 2025	मार्च 31, 2024
उपचित ब्याज	66,64,27,96,855	46,36,54,05,347
सिडबी कर्मचारी भविष्य निधि के लिए प्रावधान	4,63,09,37,137	4,17,08,65,424
सिडबी पेंशन निधि के लिए प्रावधान	64,96,91,844	1,12,40,51,149
कर्मचारियों के अन्य लाभ के लिए प्रावधान	3,38,79,87,164	3,35,42,75,456
विनिमय दर में उतार-चढ़ाव के लिए प्रावधान	1,53,73,62,766	1,53,73,62,766
मानक आस्तियों के प्रति आकस्मिक प्रावधान	57,48,24,21,806	34,43,01,42,221
प्रस्तावित लाभांश (लाभांश पर कर सहित)	1,13,70,82,338	1,13,70,82,338
फंड जैसे एस्पायर फंड, स्टार्टअप हेतु एफओएफ, पीआरएफ, पीआरएसएफ आदि	41,96,94,06,251	33,27,13,78,808
फ्लोटिंग प्रावधान	4,95,67,37,932	4,95,67,37,932
अन्य (प्रावधानों सहित)	7,27,31,40,179	8,40,02,33,402
योग	**1,89,66,75,64,272**	**1,38,74,75,34,843**

आस्तियाँ
अनुसूची VI: नकद और बैंक शेष

(₹)

	मार्च 31, 2025	मार्च 31, 2024
1. हाथ में नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष राशियाँ	6,16,080	5,93,895
2. अन्य बैंकों के पास शेष राशि		
(क) भारत में		
i) चालू खातों में	2,35,86,81,298	1,93,95,29,201
ii) अन्य जमा खातों में	1,74,34,95,88,302	2,31,12,83,11,702
(ख) भारत के बाहर		
i) चालू खातों में	63,29,153	1,75,58,878
ii) अन्य जमा खातों में	-	-
योग	**1,76,71,52,14,833**	**2,33,08,59,93,676**

अनुसूची VII: निवेश [प्रावधानों का घटाकर]

(₹)

	मार्च 31, 2025	मार्च 31, 2024
क) राजकोषीय परिचालन		
1. केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां	3,39,80,04,69,838	2,69,04,48,00,772
2. बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के बॉण्ड और डिबेंचर	19,50,59,38,570	19,53,22,74,081
3. औद्योगिक प्रतिष्ठानों के स्टॉक, शेयर, बॉण्ड और डिबेंचर	46,93,62,000	51,56,74,010
4. म्यूचुअल फंड	-	-
5. वाणिज्यिक पत्र	47,64,56,00,724	17,96,12,57,158
6. जमा प्रमाण पत्र	31,80,45,40,753	15,55,01,34,525
7. अन्य	-	11,00,00,00,000
उप-योग (क)	**4,39,22,59,11,885**	**3,33,60,41,40,546**
ख) व्यवसाय परिचालन		
1. बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के शेयर	1,61,51,09,902	1,61,51,09,902
2. बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के बॉण्ड और डिबेंचर	-	-
3. औद्योगिक प्रतिष्ठानों के स्टॉक, शेयर, बॉण्ड और डिबेंचर	3,14,55,00,059	3,47,28,88,561
4. सहायक संस्थाओं में निवेश	17,51,04,98,740	17,51,04,98,740
5. वेंचर कैपिटल फंड- आरसीएफ में निवेश	3,84,26,39,611	4,67,17,29,717
6. अन्य	4,03,95,51,618	3,22,47,13,904
उप-योग (ख)	**30,15,32,99,930**	**30,49,49,40,824**
योग (क + ख)	**4,69,37,92,11,815**	**3,64,09,90,81,370**

अनुसूची VIII: ऋण और अग्रिम[प्रावधानों का घटाकर]

(₹)

	मार्च 31, 2025	मार्च 31, 2024
क) निम्नलिखित को पुनर्वित्त		
- बैंक और वित्तीय संस्थाएं	38,53,26,81,83,749	36,31,01,26,04,304
- अल्प वित्त संस्थाएँ	60,54,19,66,035	87,71,32,31,093
- एनबीएफसी	6,41,88,78,89,000	5,52,05,42,45,997
- पुनर्भुनाई किए गए बिल	-	-
उप-योग (क)	**45,55,69,80,38,784**	**42,70,78,00,81,394**
ख) प्रत्यक्ष ऋण		
- ऋण और अग्रिम	3,85,42,39,02,964	2,75,09,88,63,090
- प्राप्य वित्त योजना	-	-
- भुनाए गए बिल	21,69,62,57,128	14,27,17,59,897
उप-योग (ख)	**4,07,12,01,60,092**	**2,89,37,06,22,987**
योग (क + ख)	**49,62,81,81,98,876**	**45,60,15,07,04,381**

अनुसूची IX: स्थिर आस्तियाँ [मूल्यह्रास को घटाकर]

(₹)

	मार्च 31, 2025	मार्च 31, 2024
1. परिसर	2,74,17,59,764	2,81,35,50,735
2. अन्य	6,18,64,283	4,83,33,454
योग	**2,80,36,24,047**	**2,86,18,84,189**

अनुसूची X : अन्य आस्तियां

(₹)

	मार्च 31, 2025	मार्च 31, 2024
उपचित ब्याज	25,22,94,43,365	30,65,77,13,429
अग्रिम कर (प्रावधान को घटाकर)	5,16,03,08,996	2,89,32,29,192
स्टाफ ऋण	2,65,32,97,934	2,23,69,85,494
डेरिवेटिव आस्तियाँ	53,98,51,268	4,56,03,84,977
बट्टे खाते में न डाली गई मात्रा तक व्यय	24,09,23,88,652	16,76,79,45,998
अन्य	12,99,62,96,481	7,89,56,95,337
कुल	**70,67,15,86,696**	**65,01,19,54,427**

अनुसूची XI: आकस्मिक देयताएँ

(₹)

		मार्च 31, 2025	मार्च 31, 2024
i)	बैंक के खिलाफ दावे, जिन्हें ऋण नहीं माना गया है	6,32,89,48,451	9,89,43,47,386
ii)	गारंटी/साख पत्र के फलस्वरूप	88,47,44,343	67,38,62,553
iii)	वायदा संविदाओं के फलस्वरूप	12,05,81,52,678	72,24,92,243
iv)	हामीदारी प्रतिबद्धताओं के फलस्वरूप	-	-
v)	आंशिक रूप से चुकता शेयरों, डिबेंचरों के संबंध में न माँगी गई धनराशि और वीसीएफ आदि के तहत अनाहरित प्रतिबद्धता के फलस्वरूप	81,61,31,595	97,00,54,081
vi)	डेरिवेटिव संविदाओं के फलस्वरूप	11,52,19,34,852	25,71,32,45,906
vii)	अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से दायी है	-	-
योग		**31,60,99,11,918**	**37,97,40,02,169**

एकल लाभ और हानि लेखा की अनुसूचियां

अनुसूची XII: ब्याज और भुनाई

(₹)

		मार्च 31, 2025	मार्च 31, 2024
1.	ऋण, अग्रिम और बिलों पर ब्याज और भुनाई	3,30,42,30,76,954	2,71,81,93,58,227
2.	निवेश/बैंक शेष राशि पर आय	47,88,95,37,290	41,28,02,51,854
	योग	**3,78,31,26,14,244**	**3,13,09,96,10,081**

अनुसूची XIII: अन्य आय:

(₹)

		मार्च 31, 2025	मार्च 31, 2024
1.	अपफ्रंट और प्रोसेसिंग शुल्क	1,08,92,39,594	1,16,43,48,452
2.	कमीशन और दलाली	2,84,42,684	2,02,56,743
3.	निवेश की बिक्री पर लाभ	1,53,51,92,721	86,65,00,642
4.	सहायक /सहयोगी संस्थाओं से लाभांश आदि के माध्यम से अर्जित आय	34,13,05,185	34,13,05,185
5.	पहले के वर्षों के प्रावधान, जो पुनरांकित किए गए	-	-
6.	डूबंत ऋणों से वसूली	2,56,63,75,233	2,27,76,44,029
7.	प्रावधानों/एफसीएल के तहत ईआरएफएफ का प्रतिवर्तन	-	-
8.	अन्य	1,23,84,37,629	1,65,12,49,367
योग		**6,79,89,93,046**	**6,32,13,04,418**

अनुसूची XIV: परिचालन व्यय:

(₹)

	मार्च 31, 2025	मार्च 31, 2024
कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान	7,72,70,85,644	8,27,60,25,569
किराया, कर और प्रकाश व्यवस्था	25,77,70,940	22,08,27,134
मुद्रण और स्टेशनरी, डाक/कूरियर और टेली तथा बीमा	2,30,75,739	2,20,75,109
विज्ञापन और प्रचार	9,30,88,017	27,63,00,600
बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास/परिशोधन	21,60,85,424	61,19,85,624
निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय	48,52,267	53,14,229
लेखापरीक्षक शुल्क	39,41,733	33,21,257
विधि प्रभार	2,78,14,289	1,97,89,911
मरम्मत और अनुरक्षण	66,40,18,107	39,81,24,019
निर्गम व्यय	5,82,40,586	7,77,36,100
पूंजी प्रतिबद्धता, प्रबंधन शुल्क आदि	59,77,75,349	13,37,33,616
अनुपलब्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट	48,70,26,632	31,67,48,282
सीजीटीएमएसई को अंशदान	-	5,00,00,00,000
अन्य व्यय	4,13,82,07,518	3,28,87,17,942
योग	**14,29,89,82,245**	**18,65,06,99,392**

अनुसूची XV- महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

1. तैयार करने का आधार

वित्तीय विवरण सभी महत्वपूर्ण दृष्टियों से भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 एवं उसके विनियमों, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदण्डों, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी प्रयोज्य लेखा मानकों और बैंकिंग उद्योग में प्रचलित पद्धतियों के अनुपालन में तैयार किए गए हैं। जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो, समेकित वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत पद्धति के अंतर्गत उपचय आधार पर तैयार किए गए हैं। जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो, बैंक द्वारा लागू की गई लेखा-नीतियाँ पिछले वर्ष प्रयोग की गई नीतियों के अनुरूप हैं।

आकलनों का प्रयोग:

सामान्यत: स्वीकार्य लेखांकन सिद्धान्तों की अनुरूपता में वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन से अपेक्षित होता है कि वह ऐसे आकलन और अनुमान करे, जो समेकित वित्तीय विवरण की तारीख में आस्तियों और देयताओं की रिपोर्ट की गई राशियों, आकस्मिक देयताओं के प्रकटन और रिपोर्टिंग अवधि हेतु रिपोर्ट की गई आय और व्यय को प्रभावित करते हैं। प्रबंधन का मानना है कि ये अनुमान और मान्यताएँ उचित और विवेकपूर्ण हैं। तथापि वास्तविक परिणाम उक्त आकलनों से भिन्न हो सकते हैं। लेखा आकलनों में किसी पुनरीक्षण को संबंधित लेखा-मानक की अपेक्षाओं के अनुरूप भविष्यलक्षी प्रभाव से वर्तमान और भावी अवधियों में दर्शाया जाता है।

2. राजस्व निर्धारण

राजस्व निर्धारण उस सीमा तक किया जाता है, जहां तक आर्थिक लाभ बैंक को प्राप्त होने की संभाव्यता हो और राजस्व विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता हो।

क) आय:

i. दांडिक ब्याज सहित ब्याज आय को उपचय आधार पर हिसाब में लिया जाता है, सिवाय गैर निष्पादक आस्तियों के मामलों के, जहाँ उसे वसूली के बाद हिसाब में लिया जाता है।

ii. लाभ और हानि लेखा में आय को सकल रूप में अर्थात् आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधानों और बैंक की आंतरिक नीति के अनुसार अन्य प्रावधानों के पूर्व दर्शाया जाता है।

iii. बिलों की भुनाई/ पुनर्भुनाई से प्राप्त भुनाई को तथा भुनाए गए लिखतों की भुनाई को लिखतों की पूरी मीयाद में सतत प्रतिफल आधार पर दर्शाया जाता है।

iv. मानक (निष्पादक) आस्तियों के संबंध में वचनबद्धता प्रभार, बीज पूँजी/ सुलभ ऋण सहायता पर सेवा-प्रभार और रॉयल्टी आय को उपचय आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

v. औद्योगिक प्रतिष्ठानों और वित्तीय संस्थाओं में धारित शेयरों पर लाभांश को आय के रूप में तब निर्धारित किया जाता है जब लाभांश प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है।

vi. उद्यम पूंजी निधियों से होने वाली आय को वसूली के आधार पर हिसाब में लिया जाता है। उद्यम पूंजी निधि के यूनिटों/ शेयरों, जो ₹परिपक्वता तक धारित' श्रेणी में हों, के मोचन को बिक्री नहीं माना जाता है।

vii. गैर-निष्पादक आस्तियों की वसूली को निम्नलिखित क्रम से विनियोजित किया जाएगा:

क) गैर-निष्पादक आस्ति बनने की तारीख तक अतिदेय ब्याज, जिसमें अन्य ब्याज/दांडिक ब्याज शामिल है,

ख) मूलधन,

ग) ब्याज, अतिरिक्त ब्याज सहित,

घ) अन्य ब्याज / दांडिक ब्याज

ङ) लागत, प्रभार, व्यय तथा अन्य राशियाँ आदि

viii. प्रत्यक्ष समनुदेशन के जरिए ऋणों एवं अग्रिमों की बिक्री पर हुए लाभ/हानि को भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार हिसाब में लिया जाता है।

ix. पिछले वर्षों में बट्टे खाते में डाले गए ऋणों के प्रति प्राप्त राशियों को लाभ और हानि लेखा में आय के रूप में लिया जाता है।

x. किसी भी श्रेणी के निवेशों की बिक्री से लाभ या हानि को लाभ और हानि लेखा में दर्शाया जाता है। तथापि 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के निवेशों की बिक्री पर लाभ के मामले में, समतुल्य राशि से लागू करों को घटाकर उसे पूँजी आरक्षितियों में विनियोजित कर दिया जाता है।

xi. सात वर्ष से अधिक की अवधि हेतु दावा न की गई देयताओं (सांविधिक देयताओं को छोड़कर) के रूप में पड़ी राशि को आय के रूप में दर्शाया जाता है।

xii. बैंक ने आयकर रिफंड पर ब्याज को, आयकर विभाग द्वारा जारी ऐसे रिफंड आदेशों/उन्हें प्रभावी करने वाले आदेशों की प्राप्ति के बाद, हिसाब में लिया है।

xiii. उधारकर्ताओं से सीजीटीएमएसई शुल्क, मूल्यांकन प्रभार, अधिवक्ता शुल्क, बीमा, अपफ्रंट शुल्क /प्रसंस्करण शुल्क आदि की वसूली नकद आधार पर हिसाब में ली जाती है।

xiv. एलसी /बैंक गारंटी पर कमीशन को उपचय आधार पर, अवधि के अनुपात में, दर्शाया जाता है।

xv. म्युचुअल फंड की यूनिट से आय को नकद आधार पर दर्शाया जाता है।

ख) व्यय:

(i) विकास व्यय को छोड़कर शेष सभी व्यय उपचय आधार पर हिसाब में लिए जाते हैं। विकास व्यय को नकद आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

(ii) जारी किए गए बॉण्डों और वाणिज्यिक पत्रों पर बट्टे को बॉण्डों और वाणिज्यिक पत्रों की मीयाद के अनुसार परिशोधित कर दिया जाता है। बॉण्ड जारी करने संबंधी व्ययों को बॉण्डों की मीयाद के अनुसार परिशोधित कर दिया जाता है।

3. निवेश

(i) निवेश वर्गीकरण और मूल्यांकन के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, संपूर्ण निवेश संविभाग को 'परिपक्वता तक धारित', 'बिक्री हेतु उपलब्ध' तथा 'व्यापार हेतु धारित' की श्रेणियों में विभाजित कर दिया जाता है। निवेशों का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। प्रत्येक श्रेणी के निवेशों को निम्नवत पुनः वर्गीकृत किया जाता है:

क) सरकारी प्रतिभूतियाँ,

ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ,

ग) शेयर,

घ) डिबेंचर तथा बॉण्ड,

ङ) सहायक संस्थाएँ/संयुक्त उद्यम और

च) अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्युचुअल फंड यूनिट, प्रतिभूति रसीदें, जमा प्रमाणपत्र आदि)

(क) परिपक्वता तक धारित:

परिपक्वता तक बनाए रखने के उद्देश्य से किए गए निवेशों को 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। ऐसे निवेशों को अर्जन लागत पर रखा जाता है, बशर्ते वह अंकित मूल्य से अधिक न हो। अर्जन लागत अंकित मूल्य से अधिक होने पर, प्रीमियम को परिपक्वता की शेष अवधि में परिशोधित कर दिया जाता है। सहायक संस्थाओं में निवेश को परिपक्वता तक धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

इस श्रेणी के अंतर्गत निवेशों के मूल्य में कमी (अस्थायी को छोड़कर) के लिए प्रत्येक निवेश के संबंध में अलग-अलग प्रावधान किया जाता है।

(ख) व्यापार हेतु धारित:

अल्पावधि मूल्य/ब्याज-दर परिवर्तन का लाभ उठाते हुए 90 दिनों में पुनः बेचने के उद्देश्य से किए गए निवेशों को 'व्यापार हेतु धारित' श्रेणी में रखा जाता है। इस श्रेणी के निवेशों का स्क्रिप-अनुसार पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और निवल मूल्यवृद्धि/मूल्यह्रास को अलग-अलग स्क्रिपों के बही-मूल्य में तत्संगत परिवर्तन करते हुए लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है।

ट्रेड / कोट किए गए निवेशों के संबंध में, बाजार मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों पर उपलब्ध ट्रेड / कोट से लिया जाता है।

(ग) बिक्री हेतु उपलब्ध:

(i) उपर्युक्त दो श्रेणियों के अंतर्गत न आनेवाले निवेशों को 'बिक्री हेतु उपलब्ध' श्रेणी में रखा जाता है। इस श्रेणी के अंतर्गत अलग-अलग स्क्रिपों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और उक्त वर्गीकरण में से किसी के भी अंतर्गत हुए निवल मूल्यह्रास को लाभ और हानि लेखे में दर्शाया जाता है। किसी भी वर्गीकरण के अंतर्गत निवल मूल्यवृद्धि को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। पुनर्मूल्यांकन के बाद अलग-अलग स्क्रिपों के बही-मूल्य में परिवर्तन नहीं किया जाता है।

(ii) निवेश को उसकी खरीद के समय ₹परिपक्वता तक धारित', या ₹बिक्री के लिए उपलब्ध' या ₹व्यापार के लिए धारित' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है तथा बाद में इसकी श्रेणियों में अंतरण और उसका मूल्यांकन भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जाता है।

(iii) बट्टेवाले लिखत होने के नाते राजकोष बिलों, वाणिज्यिक पत्रों और जमा प्रमाणपत्रों का मूल्यनिर्धारण रखाव मूल्य पर किया जाता है।

(iv) उद्धृत सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्य निर्धारण बाजार मूल्यों पर किया जाता है और जो सरकारी प्रतिभूतियां उद्धृत नहीं होती हैं / जिनका व्यापार नहीं होता है, उनका मूल्य निर्धारण फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्रा. लि. (एफबीआईएल) द्वारा घोषित मूल्यों पर किया जाता है।

(v) जो निवेश भारत सरकार द्वारा प्रदत्त समूहनिधि या निधि में से किए जाते हैं और जिन्हें संबंधित निधि शेषराशियों से घटा दिया जाता है, उन्हें लागत पर रखा जाता है और वे भारतीय रिजर्व बैंक के मूल्य निर्धारण संबंधी दिशानिर्देशों के अधीन नहीं होते।

(vi) निवेशों में खरीद और बिक्री के संव्यवहारों को 'निपटान-तारीख' लेखांकन पद्धति के अनुसार दर्ज किया जाता है।

(vii) जो डिबेंचर/बॉण्ड/शेयर अग्रिम के स्वरूप के माने जाते हैं, वे ऋण और अग्रिमों पर लागू सामान्य विवेकपूर्ण मानदंडों के अधीन होते हैं।

(viii) निवेशों की लागत का निर्धारण भारित औसत लागत पद्धति से किया जाता है।

(ix) खरीद/बिक्री के समय अदा की गई दलाली, कमीशन आदि को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है।

(x) ऋण-निवेश पर प्रदत्त/प्राप्त खंडित अवधि-ब्याज को ब्याज व्यय/आय माना जाता है और उसे लागत/बिक्री-राशि में शामिल नहीं किया जाता है। सरकारी प्रतिभूतियों पर निवेश के संबंध में लागत के तौर पर विक्रेता को प्रदत्त खंडित अवधि ब्याज को पूँजीकृत नहीं किया जाता है और इसे लाभ और हानि लेखा के अंतर्गत व्यय की मद माना जाता है।

(xi) बीज पूँजी योजना के अंतर्गत औद्योगिक प्रतिष्ठानों में गैर-उद्धृत निवेशों के संबंध में पूर्ण प्रावधान किया गया है।

(xii) भारतीय रिजर्व बैंक के संबंधित दिशानिर्देशों के अनुसार, म्यूचुअल फंड की यूनिटों का मूल्य निर्धारण उनके पुनर्खरीद मूल्य पर किया जाता है।

(xiii) गैर-उद्धृत निश्चित आय वाली प्रतिभूतियों (सरकारी प्रतिभूतियों को छोड़कर) का मूल्यनिर्धारण परिपक्वता पर प्रतिफल आधार पर किया जाता है, जो समान परिपक्वता अवधि वाली केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों हेतु परिपक्वता पर प्रतिफल की दर के ऊपर उपयुक्त मार्क-अप के साथ होता है। ये मार्क अप और परिपक्वता पर प्रतिफल की दरें एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित संगत दरों के अनुसार होती हैं।

(xiv) गैर-उद्धृत शेयरों का मूल्यनिर्धारण ब्रेकअप मूल्य पर किया जाता है, यदि निवेशिती कंपनियों के नवीनतम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण उपलब्ध हों, या फिर भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार ₹1/- प्रति कंपनी आधार पर होता है।

4. विदेशी मुद्रा संव्यवहार

विदेशी मुद्रा संव्यवहारों को लेखा-बहियों में संबंधित विदेशी मुद्रा में संव्यवहार के दिन लागू विनिमय दरों पर दर्ज किया जाता है। विदेशी मुद्रा वाले संव्यवहारों का लेखांकन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस)-11 के अनुसार निम्नलिखित रूप में किया जाता है।

(i) बकाया वायदा विनिमय संविदाओं, गारंटियों, संस्वीकृतियों, बेचानों एवं अन्य दायित्वों के संबंध में आकस्मिक देयता की गणना भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) द्वारा अधिसूचित समापन विनिमय दरों पर की जाती है।

(ii) विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) द्वारा तुलन-पत्र की तारीख को अधिसूचित समापन विनियम दरों पर परिवर्तित किया जाता है।

(iii) विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय मदों को वास्तविक बिक्री/खरीद के माध्यम से मासिक अन्तरालों पर परिवर्तित किया जाता है और उन्हें तदनुसार लाभ-हानि लेखा में दर्शाया जाता है।

(iv) विदेशी मुद्रा ऋण-व्यवस्था संबंधी पुनर्मूल्यांकन अन्तर को, विदेशी मुद्रा जोखिम के प्रबंध हेतु भारत सरकार के परामर्श से, खोले गए और रखे गए एक विशेष खाते में समायोजित और दर्ज किया जाता है।

(v) विदेशी मुद्रा संविदाओं और डेरिवेटिव संव्यवहारों के संबंध में बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार बचाव व्यवस्था (हेज) लेखांकन का अनुसरण करता है।

(vi) मौद्रिक मदों के निपटान से उत्पन्न विनिमय अंतर को उस अवधि में आय या व्यय के रूप में दर्शाया जाता है, जिस अवधि में वे उत्पन्न होते हैं।

(vii) जो बकाया वायदा विनिमय संविदाएं व्यापार के लिए नहीं होतीं, उनका पुनर्मूल्यांकन फेडाई द्वारा अधिसूचित विनियम दरों पर किया जाता है।

5. डेरिवेटिव

बैंक अपनी विदेशी मुद्रा देयताओं की बचाव व्यवस्था के लिए वर्तमान में मुद्रा डेरिवेटिव जैसे अंतर-मुद्रा ब्याज-दर विनिमयों का व्यापार करता है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार, बचाव- व्यवस्था के उद्देश्य से किए गए उक्त डेरिवेटिव संव्यवहारों का लेखांकन उपचय आधार पर किया जाता है। संविदायी रुपया राशि पर डेरिवेटिव संविदाओं से उत्पन्न आकस्मिक देयताओं को तुलन-पत्र की तारीख को रिपोर्ट किया जाता है।

6. ऋण एवं अग्रिम

(i) ऋण और अन्य सहायता संविभाग को निरूपित करने वाली आस्तियों को भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप निष्पादक और गैर-निष्पादक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। गैर-निष्पादक आस्तियों के लिए प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है।

(ii) तुलन-पत्र में उल्लिखित अग्रिम, गैर निष्पादक अग्रिमों एवं पुनःसंरचित गैर-निष्पादक आस्तियों के लिए किए गए प्रावधानों को घटाकर दर्शाए जाते है।

(iii) मानक आस्तियों के प्रति सामान्य प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार किए जाते हैं।

(iv) चल प्रावधान, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों एवं निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीतियों के अनुरूप, किए जाते हैं और उपयोग में लाए जाते हैं।

7. कराधान

(i) कर संबंधी व्यय में वर्तमान कर और आस्थगित कर, दोनों शामिल हैं। वर्तमान आयकर की गणना आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार आयकर प्राधिकारियों को अदा की जाने वाली संभावित राशि और आय परिकलन और प्रकटीकरण मानकों के आधार पर की जाती है।

(ii) आस्थगित आय-कर, वर्ष की कर-योग्य आय तथा लेखांकन आय के मध्य वर्तमान वर्ष के समयांतराल और पूर्ववर्ती वर्षों के समयांतराल के प्रतिवर्तन के प्रभाव को दर्शाता है। आस्थगित कर की गणना तुलन-पत्र की तारीख तक अधिनियमित अथवा सारभूत रूप से अधिनियमित कर-कानूनों और कर की दरों के आधार पर की जाती है।

(iii) आस्थगित कर आस्तियाँ केवल उस सीमा तक निर्धारित की गई हैं, जिस सीमा तक यह समुचित विश्वास है कि भविष्य में पर्याप्त कर-योग्य आय होगी, जिसके प्रति ऐसी आस्थगित कर आस्तियों का उपयोग हो सकता है। पूर्ववर्ती वर्षों की अनिर्धारित आस्थगित कर आस्तियों का पुनर्मूल्यांकन और उस सीमा तक निर्धारण किया गया है, जिस सीमा तक यह समुचित विश्वास है कि भविष्य में पर्याप्त कर-योग्य आय होगी, जिसके प्रति ऐसी आस्थगित कर आस्तियों का उपयोग हो सकता है।

(iv) विभागीय अपीलों सहित जिन विवादित करों हेतु प्रावधान नहीं किए जाते हैं, उन्हें आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत शामिल किया जाता है।

8. प्रतिभूतीकरण

(i) बैंक क्रेडिट रेटिंग-युक्त सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम आस्ति-समूहों को बैंकों/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से विशेष प्रयोजन संस्था द्वारा जारी पास-थ्रू प्रमाणपत्रों के ज़रिए खरीदता है। इस प्रकार के प्रतिभूतीकरण संव्यवहार निवेश के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं और निवेश के उद्देश्य के आधार पर उनका आगे वर्गीकरण व्यापार हेतु धारित/विक्रय हेतु उपलब्ध के रूप में किया जाता है।

(ii) बैंक द्विपक्षीय प्रत्यक्ष समनुदेशन के अंतर्गत क्रेडिट रेटिंग-युक्त सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम आस्ति-समूहों को खरीदता है। ऐसे प्रत्यक्ष समनुदेशन संव्यवहारों को बैंक द्वारा 'अग्रिम' के रूप में लेखांकित किया जाता है।

(iii) बैंक प्रत्यक्ष समनुदेशन द्वारा ऋण एवं अग्रिम की बिक्री करता है। अधिकतर मामलों में बैंक इन संव्यवहारों के अंतर्गत बेचे गए ऋण एवं अग्रिम की चुकौती करना जारी रखता है तथा बेचे गए ऋणों एवं अग्रिमों पर अवशेष ब्याज का हकदार होता है। आस्तियों पर नियंत्रण के समर्पण के सिद्धान्त के आधार पर प्रत्यत्क्ष समनुदेशन के अंतर्गत बेची गई आस्तियों को बैंक की बहियों के हिसाब से निकाल दिया जाता है।

(iv) बेचे गए ऋणों एवं अग्रिमों पर अवशेष आय को अंतर्निहित ऋणों एवं अग्रिमों की जीवन अवधि तक हिसाब में लिया जा रहा है।

(v) आस्ति पुनर्गठन कंपनियों द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों का मूल्यनिर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट ऐसे दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है, जो इन लिखतों पर लागू होते हैं।

9. आस्ति पुनर्गठन कंपनियों (एआरसी) को वित्तीय आस्तियों की बिक्री

(i) गैर-निष्पादक आस्तियों की बिक्री नकद आधार पर अथवा प्रतिभूति रसीदों (एसआर) में निवेश आधार पर होती है। यदि बिक्री प्रतिभूति रसीद आधार पर होती है, तो उसके बिक्री प्रतिफल या उसके भाग को प्रतिभूति रसीदों के रूप में निवेश माना जाता है।

(ii) यदि आस्तियों की बिक्री निवल बही मूल्य (अर्थात् बही-मूल्य में से धारित प्रावधान घटाने पर प्राप्त मूल्य) से कम पर की जाती है, तो कमी को लाभ-हानि लेखा के नामे किया जाता है। यदि बिक्री मूल्य निवल बही मूल्य से अधिक है, तो धारित बेशी प्रावधान को उस वर्ष लाभ-हानि लेखा में प्रतिवर्तित किया जा सकता है, जिस वर्ष राशि प्राप्त हुई हो। बेशी प्रावधान का प्रतिवर्तन उतना ही होता है, जितनी कि प्राप्त राशि आस्ति के निवल बही मूल्य से अधिक होती हो।

10. स्टाफ लाभों हेतु प्रावधान

क] सेवानिवृत्ति पश्चात् लाभ:

(i) भविष्य निधि बैंक द्वारा चलाई जा रही एक निश्चित अंशदायी योजना है और उसमें किए गए अंशदान लाभ और हानि लेखा पर भारित होते हैं।

(ii) ग्रेच्युटी देयता तथा पेंशन देयता निश्चित लाभ दायित्व हैं और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ, जैसे- क्षतिपूरित अनुपस्थितियाँ, सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा लाभ आदि का प्रावधान तुलन-पत्र की तारीख को स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है, जो एएस 15 (यथोसंशोधित 2005)- कर्मचारी लाभ के अनुसार अनुमानित इकाई जमा पद्धति पर आधारित होता है।

(iii) बीमांकिक लाभों या हानियों को संबंधित अवधि के बीमांकिक मूल्यांकनों के आधार पर लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है।

(iv) नई पेंशन योजना निश्चित अंशदायी योजना है। यह उन कर्मचारियों पर लागू है, जो दिसंबर 1, 2011 या उसके बाद बैंक की सेवा में आए हैं। बैंक पूर्व-निर्धारित दर पर निश्चित अंशदान करता है और बैंक का दायित्व उक्त निश्चित अंशदान तक ही सीमित होता है। यह अंशदान लाभ और हानि लेखा पर भारित होता है।

(v) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत किए गए भुगतान उस वर्ष के लाभ और हानि लेखा पर भारित होते हैं, जिस वर्ष व्यय होता है।

ख] सेवा-कालिक लाभ (अल्पावधि)

अल्पावधि लाभों के फलस्वरूप होने वाली देयता गैर-बट्टाकृत आधार पर निश्चित की जाती है और उसका निर्धारण उस सेवा अवधि में विस्तीर्ण होता है, जिसके कारण कर्मचारी ऐसे लाभ का हकदार होता है।

11. स्थिर आस्तियाँ और मूल्यह्रास

(i) स्थिर आस्तियाँ अर्जन की लागत में से संचित मूल्यह्रास और क्षति-हानियाँ, यदि कोई हो, को घटाकर दर्शाई जाती हैं।

(ii) आस्ति की लागत में खरीद लागत और आस्ति को उपयोग की स्थिति में लाने से पूर्व उस पर किए गए सभी व्यय शामिल होते हैं। उपयोग की स्थिति में आ चुकी आस्तियों पर उसके बाद किए गए व्यय केवल तभी पूंजीकृत किए जाते हैं जब इन आस्तियों से भावी लाभों या उनकी कामकाजी क्षमता में वृद्धि हो।

(iii) पूरे वर्ष के लिए मूल्यह्रास का प्रावधान निम्नानुसार किया जाता है, चाहे पूँजीकरण की तारीख जो भी हो:

क) फर्नीचर और फिक्स्चरः बैंक के स्वामित्व वाली आस्तियों के लिए - 100 प्रतिशत की दर से

ख) कम्प्यूटर तथा कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर - 100 प्रतिशत की दर से

ग) भवन - अवलिखित मूल्य पद्धति पर - 5 प्रतिशत की दर से

घ) विद्युत संस्थापनाएं: बैंक के स्वामित्व वाली आस्तियों के लिए - अवलिखित मूल्य-पद्धति - 50 प्रतिशत की दर से

ङ) मोटर कार- सरल रेखा पद्धति- 50 प्रतिशत की दर से

(iv) परिवर्द्धनों पर मूल्यह्रास का प्रावधान पूरे वर्ष के लिए होता है, और बिक्री/निस्तारण वर्ष में मूल्यह्रास का प्रावधान नहीं किया जाता।

(v) पट्टे वाली भूमि का परिशोधन पट्टे की पूरी अवधि में किया जाता है।

12. आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों हेतु प्रावधान

एएस 29 (प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियाँ) के अनुसार, जब पिछली घटनाओं के फलस्वरूप कोई वर्तमान दायित्व बनता है, संसाधनों के व्यय की संभावना रहती है और दायित्व की राशि के विषय में विश्वसनीय अनुमान किया जा सकता है, तब गणना में पर्याप्त सीमा तक अनुमान करते हुए बैंक द्वारा प्रावधान किए जाते हैं। वित्तीय विवरणों में आकस्मिक आस्तियों का न तो निर्धारण होता है, न ही प्रकटन। आकस्मिक देयताओं हेतु प्रावधान नहीं किया जाता है और तुलनपत्र में उनका प्रकटन होता है तथा विवरण तुलनपत्र की अनुसूची के जरिए दिए जाते हैं। प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों की समीक्षा प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख को की जाती है।

13. अनुदान एवं सब्सिडी

सरकार तथा अन्य एजेंसियों से प्राप्त अनुदान एवं सब्सिडी का लेखांकन करार की शर्तों के अनुसार किया जाता है।

14. परिचालन लीज

एएस -19 के अनुसार, लीज किराए को लाभ और हानि लेखा में व्यय /आय के रूप में लीज अवधि में सरल रेखा पद्धति के आधार पर दर्शाया जाता है।

15. आस्तियों की क्षति

यदि आंतरिक व बाह्य कारणों के आधार पर किसी क्षति का संकेत होता है, तो प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख को आस्तियों की रखाव राशियों की समीक्षा की जाती है, ताकि निम्नलिखित का निर्धारण किया जा सकेः

क) क्षति-हानि हेतु प्रावधान, यदि अपेक्षित हो; अथवा

ख) पूर्ववर्ती अवधियों में निर्धारित क्षति-हानि हेतु प्रतिवर्तन, यदि अपेक्षित हो,

क्षति-हानि का निर्धारण तब किया जाता है, जब किसी आस्ति की रखाव राशि वसूली योग्य राशि से अधिक होती है।

16. नकदी और नकदी समतुल्य

नकदी प्रवाह विवरणी के प्रयोजन के लिए नकदी और नकदी समतुल्यों में हाथ में नकदी, भारतीय रिजर्व बैंक में शेषराशियाँ, अन्य बैंकों में शेषराशियाँ, माँग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि तथा म्यूचुअल फंड में ऐसा निवेश शामिल होता है, जिसकी मूल परिपक्वता अवधि तीन माह या उससे कम हो।

अनुसूची XVI - लेखा नोट्स

1. इंड-एएस का कार्यान्वयन:

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मई 15, 2019 को बैंकों को जारी पत्र के अनुसार अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों (एआईएफआई) के लिए इंड-एएस के कार्यान्वयन को अगली सूचना तक स्थगित कर दिया गया है। तदनुसार, बैंक के वित्तीय विवरणों का आईजीएएपी के तहत तैयार किया जाना जारी है।

2.1. लेखांकन मानक 22 के अनुसार, आय पर कर के लिए लेखांकन की अपेक्षाओं के अनुसार, बैंक ने आस्थगित कर आस्तियों / देयताओं की समीक्षा की है और मार्च 31, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखे में आस्थगित कर आस्ति के रूप में ₹5,14,70,71,000/- की राशि को मान्यता दी है (पिछले वर्ष - आस्थगित कर आस्ति ₹5,08,63,10,000/- थी)

2.2. मार्च 31, 2025 को आस्थगित कर आस्तियों /(देयताओं) के अलग-अलग आँकड़े निम्नानुसार हैं :

(₹)

	समय का अंतर	मार्च 31, 2025 आस्थगित कर आस्ति / (दायित्व)	मार्च 31, 2024 आस्थगित कर आस्ति /(दायित्व)
ए)	स्थिर आस्तियों पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	6,87,16,872	9,90,90,331
बी)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधि	(4,98,92,02,491)	(4,47,95,70,414)
सी)	गैर निष्पादक आस्तियों के लिए प्रावधान	45,89,12,406	25,11,88,222
डी)	खातों की पुनर्संरचना के लिए प्रावधान	-	-
ई)	गैर-निष्पादक निवेशों के लिए प्रावधान	75,81,90,678	75,81,90,678
एफ)	मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	14,46,71,75,920	8,66,53,78,194
जी)	अन्य	1,32,22,06,715	1,64,46,52,052
	निवल आस्थगित कर आस्ति / (देयता)	**12,08,60,00,100**	**6,93,89,29,063**

3. आयकर के प्रावधान में निम्नलिखित शामिल हैं;

(₹)

क्र. सं.	विवरण	मार्च 31, 2025	मार्च 31, 2024
(i)	वर्तमान आयकर प्रावधान	20,60,89,28,000.00	17,72,36,61,000
(ii)	पिछले वर्षों का कम /(अधिक) आयकर प्रावधान	41,28,29,080.00	-

कर देयता की जाँच कर-परामर्शदाता द्वारा की गई है।

4. अनुसूची XI में उल्लिखित आकस्मिक देयताएं

आकस्मिक देयताओं में ₹ 6,32,89,48,415 (पिछले वर्ष ₹9,89,43,47,386) के "बैंक के खिलाफ दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया" शामिल है। ये वर्तमान में चल रहे विभिन्न कानूनी मामलों तथा आयकर और अन्य वैधानिक अधिकारियों द्वारा उठाई गई मांगों से संबंधित व्यवसाय के सामान्य अवधि में बैंक के विरुद्ध दायर दावों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन पर बैंक द्वारा विवाद किया जा रहा है और विशेषज्ञ की राय के आधार पर प्रावधान को आवश्यक नहीं माना गया है।

5. अनुसूची IV में उधार के अंतर्गत बांड और डिबेंचर में निम्नलिखित शामिल हैं:

(₹)

		मार्च 31, 2025	मार्च 31, 2024
ए)	अप्रतिभूत बांड	12,02,61,64,00,000	8,11,80,29,00,000

6. अनुसूची X में अन्य आस्तियों के अंतर्गत बट्टे खाते में नहीं डाले गए व्यय में निम्नलिखित शामिल हैं:

(₹)

		मार्च 31, 2025	मार्च 31, 2024
ए)	उधारियों पर अग्रिम भुगतान किया गया ब्याज	-	-
बी)	अग्रिम रूप से अदा किया गया ब्याज – जमा पत्र	21,75,99,69,069	14,47,55,57,816
सी)	अग्रिम रूप से अदा किया गया ब्याज - वाणिज्य पत्र	2,30,92,13,596	2,25,45,45,806
डी)	अप्रतिभूत बॉण्ड जारी करने पर व्यय	2,32,05,987	3,78,42,376
	कुल	**24,09,23,88,652**	**16,76,79,45,998**

7. ब्याज व वित्तीय प्रभार

(₹)

		मार्च 31, 2025	मार्च 31, 2024
ए)	उधारियों पर ब्याज	1,74,00,44,97,594	1,41,98,14,76,356
बी)	जमा पर ब्याज	1,08,50,01,81,682	85,68,71,97,079
सी)	वित्तीय प्रभार	1,01,10,43,474	1,14,60,96,516
	कुल	**2,83,51,57,22,750**	**2,28,81,47,69,951**

8.	गैर प्रावधान किए गए पूंजी लेखा पर निष्पादित किए जाने के लिए शेष संविदाओं की अनुमानित राशि (प्रदत्त अग्रिम को छोड़कर)	1,12,00,000	-

9. अनुसूची IX में परिसरों में परिसर अधिग्रहण के लिए अग्रिम राशि शून्य (पिछले वर्ष शून्य) और प्रगति पर पूंजीगत कार्य ₹ 2,55,35,504.75 (पिछले वर्ष ₹ 60,85,989.66) शामिल हैं।

10. भारत सरकार से जाइका IV और जाइका VI के अंतर्गत लिए गए उधार पूरी तरह से चुका दिए गए हैं और मार्च 31, 2025 तक इनमें कोई भी बकाया शेष नहीं है। नियमानुसार, इस ईआरएफएफ खाते में 8% की दर से प्रयोज्य ब्याज जमा किया जाता है और जेपीवाई (आईएनआर में परिवर्तित समतुल्य राशि) में देय ब्याज इस खाते से डेबिट किया जाता है। जाइका IV और जाइका VI ऋणों के लिए अनुरक्षित ईआरएफएफ में मार्च 31, 2025 तक बकाए शेष में क्रमशः ₹ 27,76,93,498.71 का डेबिट शेष और ₹ 1,53,73,62,766 का क्रेडिट शेष विद्यमान है।

चूँकि ये ऋण पूरी तरह से चुका दिए गए हैं, इसलिए इन ईआरएफएफ खातों में बकाया राशि को घटाकर आय खाते में अंतरित करने की अनुमति के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया गया है।

11. दीर्घकालिक और उत्तरदायित्व पूर्ण अल्प वित्त परियोजना को बड़े पैमाने पर चलाने के लिए बैंक ने विश्व बैंक से 300 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण व्यवस्था की संविदा की, इसमे 65.9 मिलियन एसडीआर (100 मिलियन अमरीकी डालर के समतुल्य) का आईडीए का हिस्सा भी शामिल है। आईडीए ऋण व्यवस्था के तहत, भारत सरकार उधारकर्ता है और भारत सरकार सिडबी को रुपए में ऋण देती है, यद्यपि करार की शर्तों के अनुरूप विनिमय जोखिम का वहन सिडबी द्वारा किया जाना अपेक्षित है। इस प्रकार, यद्यपि कि भारत सरकार ने सिडबी को रुपये में निधि जारी की है, इसे सिडबी के खातों में सही स्थिति के निदर्शन हेतु एसडीआर देयता के रूप में दर्ज किया गया, ताकि वर्षांत में आंकड़ों में पुनर्मूल्यांकन अंतर उपयुक्त रूप से परिलक्षित हो सके। तदनुसार, उक्त ऋण व्यवस्था के अंतर्गत कुल आहरण मार्च 31, 2025 तक भारत सरकार से प्राप्त 36.25 मिलियन एसडीआर (₹ 410.82 करोड़ के समतुल्य) [पिछले वर्ष 39.54 मिलियन एसडीआर (₹ 436.28 करोड़ के समतुल्य)] को एसडीआर देयता के रूप में दर्ज किया गया है और निहित देयता को क्रॉस करेंसी इंटरेस्ट रेट स्वैप के माध्यम से हेज किया गया है। इसे अनुसूची IV - 'भारत में उधार' के अंतर्गत समूहीकृत किया गया है।

12. **(क)** एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार ने निधियों की निधि के लिए ₹310 करोड़ की आकांक्षा निधि (ऐस्पायर फंड) का आवंटन सिडबी को किया है जिसका प्रबंध सिडबी को करना है। उक्त निधि का उपयोग ग्रामीण अर्थ व्यवस्था में कृषि आधारित उद्योगों एवं क्षेत्रों से संबंधित स्टार्ट-अप/ नए उद्यमों में उद्यम पूंजी निधियों में निवेश तथा नवोन्मेषिता, उद्यमिता, विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र में उत्पादनोपरांत और उत्पादन-पूर्व वैल्यू चेन से लिंकेज को बढ़ावा देने तथा त्वरित रूप से सहायता उपलब्ध कराने के लिए होगा। ये निवेश न्यासी रूप में सिडबी के पास सुरक्षित हैं। निवेश की धनराशि को हटाकर, आकांक्षा निधि की शेष निधि को तुलनपत्र की अन्य देयताओं" के अंतर्गत समूहित किया गया है तथा सभी लाभ/हानियां/आय/व्यय इस निधि का हिस्सा हैं। यथा मार्च 31, 2025 तक निधि में शेष राशि ₹ 2,52,27,89,597 (गत वर्ष ₹ 2,69,35,96,760) रही।

(ख) भारत सरकार ने स्टार्ट अप्स में ईक्विटी सहायता बढ़ाने के मुख्य उद्देश्य से निधियों की निधि योजना बनाई है। योजना के अंतर्गत ₹10,000 करोड़ की निधियों की निधि योजना प्रस्तावित है, जिसका प्रबंध सिडबी को करना है। सरकार ने निधियों की निधि की उक्त समूह निधि से ₹ 68,86,29,44,000 सिडबी को दिए हैं तथा निधियों की निधि के अंतर्गत अतिरिक्त प्रतिबद्धता की भी अनुमति प्रदान की है। वर्ष के दौरान, भारत सरकार ने सिडबी को सूचित किया है कि वह वैकल्पिक निवेश निधि से प्रतिबद्धता जारी रखे। ये निवेश (एफएफएस में से) न्यासी रूप में सिडबी के पास सुरक्षित हैं। निवेश की धनराशि को हटाकर, निधियों की निधि की शेष राशि को तुलनपत्र की "अन्य देयताओं" के अंतर्गत समूहित किया गया है तथा सभी लाभ/हानियां/आय/व्यय इस निधि का हिस्सा हैं। यथा मार्च 31, 2025 तक निधि में शेष राशि ₹28,25,18,18,492 (गत वर्ष ₹20,05,10,85,853) रही।

(ग) यूपी आईटी और स्टार्ट-अप नीति 2017 के तहत, उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में स्टार्ट-अप को स्थापित करने और विकसित करने के लिए 1,000 करोड़ रुपये का प्रारंभिक कोष स्थापित करेगी। फंड फंड ऑफ फंड्स के रूप में होगा। इस मॉडल में, फंड को सीधे स्टार्ट-अप कंपनियों में निवेश नहीं किया जाएगा, बल्कि यह सेबी द्वारा अनुमोदित फंडों में भाग लेगा। फंड मैनेजर, सिडबी द्वारा फंड का पेशेवर प्रबंधन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने तब से 325 करोड़ रुपये की राशि जारी की है । ये निवेश (यूपी स्टार्टअप फंड से) सिडबी द्वारा प्रत्ययी क्षमता में रखे जाएंगे। यूपी स्टार्टअप फंड का फंड बैलेंस, निवेश के बाद बैलेंस शीट में "अन्य देयताओं" के तहत समूहीकृत किया गया है। यथा मार्च 31, 2025 तक फंड में शेष राशि ₹ 2,85,81,70,527 है (गत वर्ष ₹ 2,14,75,58,298)।

(घ) ओडिशा सरकार का एमएसएमई विभाग स्टार्टअप्स को दीर्घकालिक समर्थन देने के लिए ₹ 100 करोड़ का एक प्रारंभिक कोष स्थापित करेगा। यह कोष फंड ऑफ फंड्स के रूप में होगा। इस मॉडल में, कोष को सीधे स्टार्टअप कंपनियों में निवेश नहीं किया जाएगा, बल्कि यह सेबी द्वारा अनुमोदित कोषों में भाग लेगा। कोष का प्रबंध व्यावसायिक रूप से निधि प्रबंधक सिडबी द्वारा किया जाएगा। ओडिशा सरकार ने तब से ₹ 50 करोड़ की राशि जारी की है। ये निवेश (ओडिशा स्टार्टअप ग्रोथ फंड में से) सिडबी द्वारा प्रत्ययी क्षमता में रखे गए हैं। ओडिशा स्टार्टअप ग्रोथ फंड का फंड बैलेंस, निवेश के बाद, बैलेंस शीट में "अन्य देयताओं" के तहत समूहीकृत किया गया है और सभी लाभ/हानि/आय/व्यय फंड का हिस्सा हैं । यथा मार्च 31, 2025 तक फंड में शेष राशि ₹ 30,22,08,539 है (गत वर्ष ₹ 24,73,36,066)।

13. बैंक ने त्रिपक्षीय रेपो डीलिंग और निपटान (टीआरईपीएस) के लिए क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के पास कुल अंकित मूल्य ₹ 3,42,00,00,00,000 (बही मूल्य ₹ 3,39,80,04,69,839.08) [पिछले वर्ष ₹ 2,72,40,00,00,000 (बही मूल्य ₹ 2,69,04,48,00,772.83)] की सरकारी प्रतिभूतियाँ गिरवी रखी हैं।

14. आईएफएडी ने फरवरी 18, 2002 के ऋण करार के माध्यम से, सिडबी को 16.35 मिलियन एसडीआर का विदेशी मुद्रा ऋण दिया है। ऋण करार की शर्तों के अनुसार, आईएफएडी ने यूएस डालर में ऋण संवितरण किया है और इसकी चुकौती एसडीआर के समतुल्य यूएस डालर में की जानी है। बैंक ने अपनी लेखा बहियों में तदनुसार लेखांकन किया है। मार्च 31, 2025 तक इस ऋण का शेष ₹ 95,74,82,045 (गत वर्ष ₹ 99,22,22,858) है।

15. कर्मचारी लाभ

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी "कर्मचारी लाभ" (एएस 15) (संशोधित 2005) पर लेखांकन मानक के अनुसार, बैंक ने कर्मचारियों को प्रदान किए जाने वाले विभिन्न लाभों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया है:

(क) सुपरिभाषित अंशदान योजना

बैंक ने निम्नलिखित राशियाँ लाभ एवं हानि खाते में निर्धारित की हैं :

(₹)

विवरण	मार्च 31, 2025	मार्च 31, 2024
भविष्य निधि में नियोक्ता का योगदान	12,47,35,367	12,15,49,983
नई पेंशन योजना में नियोक्ता का योगदान	10,39,09,645	12,81,87,062

(ख) बैंक की सुपरिभाषित लाभ पेंशन एवं ग्रेच्युटी योजनाएं हैं, जिनका प्रबंध ट्रस्ट के माध्यम से किया जाता है।

(₹ करोड़)

	पेंशन		उपदान	
	वित्त वर्ष 2025	वित्त वर्ष 2024	वित्त वर्ष 2025	वित्त वर्ष 2024
1. अवधारणाएँ				
छूट की दर	6.69%	7.20%	6.69%	7.20%
नियोजित आस्तियों पर प्रतिलाभ की दर	7.00%	7.20%	7.00%	7.20%
वेतन बढोतरी	5.50%	5.50%	5.50%	5.50%
संघर्षण दर	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
2. लाभ दायित्व में परिवर्तन दर्शाने वाली तालिका				
वर्ष के आरंभ में देयता	767.70	679.80	111.88	107.40
ब्याज लागत	55.27	25.92	8.06	7.57
वर्तमान सेवा लागत	21.25	14.45	5.49	5.98
पिछली सेवा लागत (गैर निहित लाभ)	0.00	0.00	0.00	0.00
पिछली सेवा लागत (निहित लाभ)	0.00	0.00	0.00	0.00
देयता अंतरण आगत	0.00	0.00	0.00	0.00
(देयता अंतरण निर्गम)	0.00	0.00	0.00	0.00
(लाभ भुगतान)	0.00	0.00	(12.14)	(13.97)
देयताओं पर बीमांकिक (लाभ) / हानि	29.89	47.53	13.82	4.90
वर्ष के अंत में देयता	**874.11**	**767.70**	**127.11**	**111.88**

(₹ करोड़)

	पेंशन		उपदान	
	वित्त वर्ष 2025	वित्त वर्ष 2024	वित्त वर्ष 2025	वित्त वर्ष 2024
3. योजनागत आस्तियों के उचित मूल्य संबंधी तालिकाएं				
वर्ष के आरंभ में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	682.17	635.76	95.39	102.30
योजनागत आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	49.12	47.68	6.87	7.41
अंशदान	80.00	0.00	20.00	0.01
अन्य कंपनी से अंतरण	0.00	0.00	0.00	0.00
(अन्य कंपनी को अंतरित)	0.00	0.00	0.00	0.00
(प्रदत्त लाभ)	0.00	0.00	(12.14)	(13.97)
योजनागत आस्तियों पर बीमांकिक लाभ / (हानि)	(0.68)	(1.27)	(0.09)	(0.36)
वर्ष के अंत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	**810.61**	**682.17**	**110.03**	**95.39**
4. बीमांकिक लाभ (हानि) निर्धारण की तालिका				
अवधि के दायित्व के लिए बीमांकिक (लाभ) / हानि	29.89	47.53	13.82	4.90
अवधि की आस्तियों के लिए बीमांकिक लाभ / (हानि)	0.68	1.27	0.09	0.36
आय और व्यय विवरणी में चिह्नित बीमांकिक लाभ / (हानि)	**30.57**	**48.80**	**13.91**	**5.26**
5. योजनागत आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल				
योजनागत आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	49.12	47.68	6.87	7.41
योजनागत आस्तियों पर बीमांकिक लाभ / (हानि)	(0.68)	(1.27)	(0.09)	(0.36)
योजनागत आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	**48.44**	**46.41**	**6.78**	**7.05**
6. तुलनपत्र में निर्धारित की गई राशि				
वर्ष के अंत में देयता	(874.11)	(767.70)	(127.11)	(111.88)
वर्ष के अंत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	810.61	682.17	110.03	95.39
अंतर	(63.50)	(85.53)	(17.08)	(16.49)
वर्ष के अंत में अनिर्धारित विगत सेवा लागत	0.00	0.00	0.00	0.00
वर्ष के अंत में अनिर्धारित संक्रमणीय देयता	0.00	0.00	0.00	0.00
तुलनपत्र में निर्धारित की गई निवल राशि	**(63.50)**	**(85.53)**	**(17.08)**	**(16.49)**

7. आय विवरणी में निर्धारित व्यय

	पेंशन		उपदान	
	वित्त वर्ष 2025	वित्त वर्ष 2024	वित्त वर्ष 2025	वित्त वर्ष 2024
चालू सेवा लागत	21.25	14.46	5.49	5.98
ब्याज लागत	55.27	25.92	8.06	7.57
योजनागत आस्तियों पर संभावित प्रतिफल	(49.12)	(47.68)	(6.87)	(7.41)
वर्ष के दौरान निर्धारण में ली गई विगत सेवा लागत (गैर निहित लाभ)	0.00	0.00	0.00	0.00
वर्ष के दौरान निर्धारण में ली गई विगत सेवा लागत (निहित लाभ)	0.00	0.00	0.00	0.00
वर्ष के दौरान संक्रमण देयता का निर्धारण	0.00	0.00	0.00	0.00
बीमांकिक (लाभ) / हानि	30.57	48.80	13.91	5.26
लाभ और हानि खाते में निर्धारण में लिए गए व्यय	**57.97**	**41.50**	**20.59**	**11.40**
8. तुलनपत्र समाधान				
आरंभिक निवल देयता	85.53	44.03	16.49	5.10
यथोक्त व्यय	57.97	41.50	20.59	11.40
नियोक्ता अंशदान	(80.00)	0.00	(20.00)	(0.01)
तुलनपत्र में निर्धारित राशि	**63.50**	**85.53**	**17.08**	**16.49**

9. अन्य विवरण

कर्मचारियों की पदोन्नति, कर्मचारियों की मांग व आपूर्ति के संबंध में उद्योग में प्रचलित परंपरा के अनुरूप वेतन बढोतरी को ध्यान में रखा जाता है।

10. आस्तियों की श्रेणी

	पेंशन		उपदान	
	वित्त वर्ष 2025	वित्त वर्ष 2024	वित्त वर्ष 2025	वित्त वर्ष 2024
भारत सरकार की आस्तियां	0.00	0.00	0.00	0.00
कॉरपोरेट बॉन्ड	0.00	0.00	0.00	0.00
विशेष जमा योजना	0.00	0.00	0.00	0.00
सूचीबद्ध कंपनियों के इक्विटी शेयर	0.00	0.00	0.00	0.00
संपत्ति	0.00	0.00	0.00	0.00
बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित निधियां	810.61	682.17	110.03	95.39
अन्य				
कुल	**810.61**	**682.17**	**110.03**	**95.39**

11. अनुभव समायोजन

	पेंशन					उपदान				
	वित्त वर्ष 2025	वित्त वर्ष 2024	वित्त वर्ष 2023	वित्त वर्ष 2022	वित्त वर्ष 2021	वित्त वर्ष 2025	वित्त वर्ष 2024	वित्त वर्ष 2023	वित्त वर्ष 2022	वित्त वर्ष 2021
योजनागत देयता पर (लाभ) / हानि	**60.44**	17.32	85.05	15.71	(1.14)	**9.77**	3.44	1.60	0.65	(0.43)
योजनागत आस्ति पर (लाभ) / हानि	**(0.68)**	1.27	3.40	53.76	(1.15)	**(0.09)**	(0.36)	1.70	(0.22)	(0.13)

(ग) स्वतंत्र बीमांकक द्वारा प्रदत्त बीमांकिक मूल्यांकन पर आधारित अन्य दीर्घावधि लाभ योजनाओं से संबंधित राशियों को लाभ -हानि खाते में निम्नांकित रूप से प्रभारित किया गया है ।

क्र. सं.	विवरण	मार्च 31, 2025	मार्च 31, 2024
1	साधारण छुट्टी का नकदीकरण	28.56	31.61
2	रुग्ण अवकाश	0.69	(0.08)
3	पुनर्स्थापन व्यय	1.31	0.75
4	सेवानिवृत्ति पश्चात् स्वास्थ्य योजना की सुविधाएँ	6.40	9.21

16. प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस) (एएस-20):

बैंक लेखांकन मानक एएस 20 के अनुसार प्रति शेयर मूल और तुनूकृत (डायल्यूटेड) अर्जन के संबंध में रिपोर्ट करता है। प्रति शेयर, मूल अर्जन का परिकलन वर्ष के अंत में बकाया ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से कर-पश्चात शुद्ध लाभ को विभाजित करके किया जाता है। तुनूकृत प्रति शेयर अर्जन उस संभावित कमी को दर्शाता है, जो उस स्थिति में हो सकती है, जब संबंधित अवधि के दौरान प्रतिभूतियों या संविदागत ईक्विटी शेयर जारी कर निष्पादन या रूपांतरण किया गया हो। तुनूकृत प्रति शेयर अर्जन का परिकलन, कर-पश्चात निवल लाभ को वर्षांत पर बकाया ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या तथा तुनूकृत किए जाने योग्य संभावित ईक्विटी शेयरों के योग से विभाजित कर किया जाता है।

	मार्च 31, 2025	मार्च 31, 2024
अर्जित प्रति शेयर परिकलन के लिए निवल लाभ (₹)	48,10,74,03,215	40,26,30,06,600
प्रति शेयर ₹10/ के अंकित मूल्य के ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	56,85,41,169	56,85,41,169
प्रति शेयर अर्जन (₹)	84.62	70.82

* मूल प्रति शेयर अर्जन तथा तुनूकृत प्रति शेयर अर्जन समान है, क्योंकि कोई तुनूकृत संभावित ईक्विटी शेयर नहीं हैं।

17. लेखाबही में प्रस्तावित लाभांश, यदि कोई हो तो, देयता के रूप में अनुसूची V में दर्ज किया जाता है।

18. प्रबंधन की राय में लेखांकन मानक 28 - आस्तियों की हानि की दृष्टि से बैंक की स्थिर आस्तियों में कोई भी उल्लेखनीय हानि नहीं हुई है।

19. लेखांकन मानक 29 के अंतर्गत आकस्मिकताओं के संबंध में प्रावधान हेतु प्रकटन। बैंक के कर्मचारियों के वेतन भत्तों का प्रत्येक पाँच वर्षों के अंतराल पर समीक्षा की जाती है। इस प्रकार की समीक्षा नवंबर 1, 2022 से अपेक्षित है।

विवरण	वित्त वर्ष 2025	वित्त वर्ष 2024
	बकाया वेतन / प्रोत्साहन ₹	बकाया वेतन / प्रोत्साहन ₹
अथ शेष	**1,39,15,33,676**	**23,64,78,635**
अतिरिक्त:		
बकाया राशि	60,92,49,606	1,17,22,22,552
प्रोत्साहन		
उपयोग:	61,16,18,134	1,71,67,511
वापस लिखना		
इति शेष	**1,38,91,65,148**	**1,39,15,33,676**

20. बैंक ने अपने आरक्षित विदेशी मुद्रा ऋण लेने वाले ग्राहकों के लिए ऋण जोखिम से बचाव के लिए एक पद्धति बना रखी है। आवधिक आधार पर इस प्रकार के अरक्षित विदेशी मुद्रा संविभाग की समीक्षा की जाती है। आरबीआई के दिनांक 15.01.2014 के परिपत्र डीबीओडी सं. बीपी.बीसी.85/21.06.200/2013-14 और दिनांक 03.06.2014 के परिपत्र डीबीओडी सं. बीपी.बीसी. 116/21.06.200/2013-14 के माध्यम से दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर, मार्च 31, 2025 तक यूएफसीई के लिए प्रावधान ₹ 43.16 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 15.72 करोड़) है, जिसे अनुसूची V के अंतर्गत मानक आस्तियों के प्रावधानों में शामिल किया गया है।

21. निरंतर अपनाई जाने वाली प्रथा के अनुसार, वेंचर कैपिटल फंडों में मोचन का लेखांकन वेंचर कैपिटल फंडों से प्राप्त वितरण पत्र के अनुसार किया जाता है। यह अंशदान करार में निर्दिष्ट विनियोग नीति से निरपेक्ष होता है।

22. निवेशकों की शिकायतें:

अप्रैल 1, 2024 तक बैंक के पास निपटान हेतु निवेशकों की "शून्य" लंबित शिकायतें थीं। चालू वित्त वर्ष के दौरान निवेशकों से "07" शिकायतें प्राप्त हुई और वर्ष के दौरान "07" शिकायतों का निपटारा किया गया। तदनुसार, मार्च 31, 2025 तक निपटान हेतु "शून्य" शिकायत लंबित थी।

23. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र - वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के अधीन पंजीकृत एमएसएमई उधारकर्ताओं के ऋणों की पुनर्संरचना:

फरवरी 11, 2020 को आरबीआई के परिपत्र के अनुसार, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत पंजीकृत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) उधारकर्ताओं के लिए अग्रिमों का पुनर्संरचना किया गया था। आरबीआई ने 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र - अग्रिमों की पुनर्संरचना' पर अगस्त 6, 2020 के अपने परिपत्र के माध्यम से कोविड-19 के परिणाम के कारण व्यवहार्य एमएसएमई संस्थाओं का समर्थन करने के लिए उपरोक्त योजना का विस्तार किया। इसके अलावा आरबीआई ने परिपत्र आरबीआई/2021-22/32 डीओआर.एसटीआर.आरईसी.12/21.04.048/2021-22 दिनांक मई 5, 2021 के माध्यम से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के कोविड -19 के दुष्प्रभावों से संबन्धित संकल्प फ्रेमवर्क 2.0 के संबंध में सूचित किया है। इन दिशानिर्देशों के तहत पुनर्संरचित एमएसएमई खाते इस प्रकार हैं:

पुनर्संरचित खातों की संख्या	राशि (₹ करोड़ रुपये में)
634	334.35

24. दिनांक जून 7, 2019 के आरबीआई के परिपत्र सं. डीबीआर बीपी बीसी 45/21.04.048/2018-19 के संबंध में वर्ष के दौरान कार्यान्वित समाधानपरपक योजनाओं से संबंधित प्रकटीकरण :

i)

मार्च 31, 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान सफलतापूर्वक कार्यान्वित किए गए आर.पी.	
मामलों की संख्या	बकाया राशि (₹ करोड़ रुपये में)
शून्य	शून्य

ii) **पुनर्गठन प्रक्रिया के दौरान ऋण को इक्विटी में परिवर्तित करने के कारण अर्जित प्रतिभूतियों के विवरण:**

विवरण	शेयरों/इकाइयों की संख्या	प्रति शेयर अंकित मूल्य (₹ में)	अंकित मूल्य (₹ में)
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

iii) आरबीआई के परिपत्र दिनांक अगस्त 6, 2020 (समाधान ढांचा 1.0) और मई 5, 2021 (समाधान ढांचा 2.0) के अनुसार, मार्च 31, 2025 तक कोविड-19 के दुष्प्रभावों के संबंध में आरबीआई समाधान ढांचे के तहत लागू समाधानपरक योजनाओं के विवरण निम्नानुसार विनिर्दिष्ट हैं

उधारकर्ता का स्वरूप	समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों में जोखिम - पिछले छमाही के अंत में स्थिति (ए)	(ए) में से, कुल ऋण जो छमाही के दौरान एनपीए में बदल गया	(ए) छमाही के दौरान बट्टे खाते में डाली गई राशि	(ए) छमाही के दौरान उधारकर्ताओं द्वारा भुगतान की गई राशि $	समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों में जोखिम - इस छमाही के अंत तक स्थिति
व्यक्तिगत ऋण	-	-	-	-	-
नैगम इकाई	7.50	0.00	0.00	(1.41)	6.09
किन एमएसएमई इकाइयों में से है	7.50	0.00	0.00	(1.41)	6.09
अन्य	-	-	-	-	-
कुल	**7.50**	**-**	**-**	**(1.41)**	**6.09**

$ बकाया शेष में निवल संचलन को दर्शाता है।

iv) समाधान ढाँचा-2.0: व्यक्तियों और लघु व्यवसायों के कोविड-19 संबंधी दबाव के समाधान पर आरबीआई के दिनांक मई 5, 2021 के परिपत्र संख्या डीओआर.एसटीआर.आरईसी.11/21.04.048/2021-22 के अनुसार, जिन उधारकर्ता खातों में समाधान योजना लागू की गई है, उनकी संख्या शून्य है। इसके अलावा, समाधान ढाँचा 1.0 के अंतर्गत लागू किए गए खातों के संबंध में कोई संशोधन स्वीकृत या कार्यान्वित नहीं किया गया।

25. बैंक, बोर्ड द्वारा अनुमोदित त्वरित प्रावधान नीति के अनुसार, आईआरएसी मानदंडों के तहत निर्धारित न्यूनतम दरों से अधिक दरों से अग्रिमों पर अतिरिक्त प्रावधान कर रहा है। तदनुसार, बैंक के पास मार्च 31, 2025 तक मानक अग्रिमों (पुनर्संरचित खातों सहित) पर ₹3,657.08 करोड़ (गत वर्ष ₹1,538.90 करोड़) का अतिरिक्त प्रावधान है।

26. ऋण एक्सपोजर के हस्तांतरण पर दिनांक 24 सितंबर, 2021 के आरबीआई मास्टर निदेश आरबीआई/डीओआर/2021-22/86 डीओआर.एसटीआर.आरईसी.51/21.04.048/2021-22 (दिसंबर 28, 2023 तक अद्यतन) के तहत मार्च 31, 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान हस्तांतरित/अर्जित ऋणों के विवरण नीचे दिए गए हैं:

i. समनुदेशन के माध्यम से अधिग्रहित गैर-चूक वाले ऋणों के विवरण नीचे दिए गए हैं :

विवरण	2024-25	2023-24
अधिग्रहित ऋणों की सकल राशि (₹ करोड़ में)	1,157.11	48.94
भारित औसत अवशिष्ट परिपक्वता अवधि (महीनों में)	127.48	106.84
प्रवर्तक द्वारा भारित धारिता की औसत अवधि (महीनों में)	10.43	13.31
प्रवर्तक द्वारा लाभप्रद आर्थिक हित को बनाए रखना	20%	20%
मूर्त प्रतिभूति कवरेज	216.75%	266.45%
रेटेड ऋणों का रेटिंग-वार वितरण	-	-

ii. हस्तांतरित अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के ब्यौरे :

चालू वर्ष- 31.03.2025 (₹ करोड़ में)

विवरण	एआरसी को	अनुमन्य हस्तांतरितियों को	अन्य हस्तांतरितियों को
खातों की संख्या	2	-	-
अंतरित ऋणों का सकल मूलधन बकाया	153.24	-	-
हस्तांतरित ऋणों की भारित औसत अवशिष्ट अवधि	एन ए	-	-
हस्तांतरित ऋणों का निवल बही मूल्य (हस्तांतरण के समय)	-	-	-
कुल प्रतिफल	28.20	-	-
पूर्व के वर्षों में अंतरित खातों के संबंध में प्राप्त अतिरिक्त प्रतिफल	-	-	-

पिछला वर्ष- 31.03.2024 (₹ करोड़ में)

विवरण	एआरसी को	अनुमन्य हस्तांतरितियों को	अन्य हस्तांतरितियों को
खातों की संख्या	2	-	-
अंतरित ऋणों का सकल मूलधन बकाया	939	-	-
हस्तांतरित ऋणों की भारित औसत अवशिष्ट अवधि	एन ए	-	-
हस्तांतरित ऋणों का निवल बही मूल्य (हस्तांतरण के समय)	-	-	-
कुल प्रतिफल	455	-	-
पूर्व के वर्षों में अंतरित खातों के संबंध में प्राप्त अतिरिक्त प्रतिफल	-	-	-

मार्च 31, 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान, प्रतिभूति प्राप्तियों (एसआर) में ₹ 16.11 करोड़ किया गया निवेश था (गत वर्ष - ₹ 56.77 करोड़)। प्रतिभूति रसीदें प्रदान की जाती हैं और इसलिए निवल बही मूल्य शून्य है। दबावग्रस्त ऋणों की बिक्री के कारण लाभ और हानि खाते में प्रत्यावर्तित अतिरिक्त प्रावधान शून्य थे।

iii. बैंक ने ऐसा कोई भी ऋण हस्तांतरित नहीं किया है, जो चूक / विशेष उल्लेख खातों (एसएमए) में नहीं है।

iv. बैंक ने किसी भी दबावग्रस्त ऋण का अधिग्रहण नहीं किया है।

27. आरबीआई के दिनांक 24 सितंबर, 2021 के मास्टर निदेश आरबीआई/डीओआर/2021-22/85 डीओआर. एसटीआर. आरईसी.53/21.04.177/2021-22 – (मानक आस्तियों का प्रतिभूतिकरण) निदेश, 2021 (दिसंबर 5, 2022 तक उद्दिनांकित), एसपीई बही के अनुसार प्रतिभूतिकृत आस्तियों की बकाया राशि और एमआरआर का अनुपालन करने के लिए तलनपत्र की तारीख को प्रवर्तक द्वारा धारित एक्सपोजर की कुल राशि मार्च 31, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए शून्य है।

28. भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक दिसंबर 19, 2023 के परिपत्र सं आरबीआई/2023-24/90 डीओआर. एसटीआर.आरईसी. 58/21.04.048/2023-24 - वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) में निवेश और बाद में दिनांक मार्च 27, 2024 के परिपत्र संख्या आरबीआई/2023-24/140 डीओआर.एसटीआर.आरईसी .85/21.04.048/2023-24 के अनुसार, बैंक ने मार्च 31, 2025 तक ₹ 26.16 करोड़ के प्रभाव और होल्ड प्रावधान का पुनर्मूल्यांकन किया है (गत वर्ष ₹ 110.64 करोड़)।

29. भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सामान्य विनियम, 2000 के विनियम 14 में लघु उद्योग विकास सहायता निधि (एसआईडीएफ़) और सामान्य निधि के अंतर्गत खातों की प्रस्तुति के लिए अलग प्ररूप निर्धारित किया गया है। चूंकि केंद्र सरकार द्वारा कोई अलग एसाईडीएएफ अधिसूचित नहीं किया गया है, सिडबी द्वारा इसका अनुरक्षण नहीं किया जा रहा है।

30. पिछले वर्ष के आंकड़ों को, जहां कहीं आवश्यक हो, पुनः समूहीकृत एवं पुनः वर्गीकृत किया गया है ताकि उन्हें चालू वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलनीय बनाया जा सके।

स्टैंडअलोन खातों के लिए अतिरिक्त प्रकटीकरण

आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार

1. पूंजी पर्याप्तता (बेसल III के अनुसार)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24
i)	सामान्य इक्विटी*	30,578.86	लागू नहीं
ii)	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी*	-	लागू नहीं
iii)	कुल टियर 1 पूंजी*	30,578.86	28,024.52
iv)	टियर 2 पूंजी*	1703.16	1027.03
v)	कुल पूंजी (टियर 1+टियर 2)*	32,282.02	29,051.55
vi)	कुल जोखिम भारित आस्तियां (जोभाआ) *	1,64,538.69	1,82,277.73
vii)	सामान्य इक्विटी अनुपात (जोभाआ का सामान्य इक्विटी में प्रतिशत) *	18.58%	लागू नहीं
viii)	टियर 1 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में टियर 1 पूंजी)*	18.58%	15.37%
ix)	जोखिम भारित आस्तियों के प्रति पूंजी अनुपात (जोखिम भारित आस्तियों के प्रति कुल पूंजी अनुपात)*	19.62%	15.94%
x)	भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत	20.85	20.85
xi)	जुटाई गई इक्विटी पूंजी की राशि	-	-
xii)	जुटाई गई गई अतिरिक्त टियर 1 पूंजी जो	-	-
	क.) सतत गैर-संचयी अधिमान शेयर (पीएनसीपीएस):	-	-
	ख.) सतत ऋण पत्र (पीडीआई)	-	-
xiii)	जुटाई गई टियर 2 पूंजी राशि जो	-	-
	क.) ऋण पूंजी लिखत	-	-
	ख.) सतत संचयी अधिमान शेयर (पीसीपीएस)	-	-
	सी.) शोध्य गैर संचयी अधिमान शेयर (आरएनसीपीएस)	-	-
	घ.) शोध्य संचयी अधिमान शेयर (आरसीपीएस)	-	-

* बेसल I मार्च 31, 2024 तक लागू था। आरबीआई की अधिसूचना के अनुसार, बेसल III अप्रैल 1, 2024 से लागू है। इसलिए, आंकड़े पूरी तरह से तुलनीय नहीं हैं।

2. निर्बंध आरक्षित निधियां और प्रावधान

(क) मानक आस्तियों पर प्रावधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24
मानक आस्तियों (संचयी) पर प्रावधान	5,748.24	3,443.01

(ख) चल प्रावधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24
चल प्रावधान खाते में अथशेष	495.67	495.67
लेखा वर्ष में किए गए चल प्रावधानों की मात्रा	0.00	0.00
लेखा वर्ष के दौरान की गई निकासी की राशि*	0.00	0.00
चल प्रावधान खाते में इति शेष	495.67	495.67

* आरबीआई के मई 5, 2021 के परिपत्र के संदर्भ में और चल प्रावधान पर बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार एनपीए प्रावधान करने के लिए राशि का उपयोग किया गया था।

3. आस्ति गुणवत्ता एवं विशिष्ट प्रावधान

(क) अनर्जक अग्रिम

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24
(i) निवल अग्रिमों की निवल अनर्जक आस्तियां (%)	**0.00%**	**0.00%**
(ii) अनर्जक आस्तियों में प्रगति (सकल)		
(क) अथ शेष	99.82	33.35
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	191.07	129.38
(ग) वर्ष के दौरान कटौती	108.00	62.91
(घ) इति शेष	182.89	99.82

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24
(iii) निवल अनर्जक आस्तियों की प्रगति*		
(क) अथ शेष	0.00	8.56
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	0.00	(1.29)
(ग) वर्ष के दौरान कटौती	(0.00)	7.27
(घ) इति शेष	0.00	0.00
(iv) अनर्जक निवेश के प्रावधानों की प्रगति (मानक आस्तियों पर प्रावधानों को छोड़ कर)		
(ए) अथ शेष	99.82	24.79
(ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	191.07	130.66
(ग) अतिरिक्त प्रावधानों को बट्टे खाते /पुनरांकन	108.00	55.63
(घ) इति शेष	182.89	99.82

* यदि चल प्रावधान की राशि को उसी के प्रति समायोजित किया जाता है, तो चालू वर्ष और पिछले वर्ष के लिए निवल एनपीए शून्य होगा।

(ख) अनर्जक निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24
(i) निवल निवेश की तुलना में निवल अनर्जक निवेश (%)	**0.00%**	**0.00%**
(ii) निवल अनर्जक निवेशों की प्रगति (सकल)		
(क) अथ शेष	680.89	331.38
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	12.66	350.31
(ग) वर्ष के दौरान कटौती	41.74	0.80
(घ) इति शेष	**651.81**	**680.89**
(iii) शुद्ध एनपीआई की गतिविधि		
(क) प्रारंभिक शेष	0.00	0.00
(ख) वर्ष के दौरान वृद्धि	0.00	0.00
(ग) वर्ष के दौरान कटौती	0.00	0.00
(घ) इति शेष	**0.00**	**0.00**
(iv) अनर्जक निवेशों के प्रावधानों में परिवर्तन (मानक आस्तियों पर प्रावधानों को छोड़कर)		
(क) अथ शेष	680.89	331.38
(ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान *	12.66	350.31
(ग) अतिरिक्त प्रावधानों को बट्टे खाते /पुनरांकन	41.74	0.80
(घ) इति शेष	**651.81**	**680.89**

* वित्त वर्ष 2025 में एक पीडब्ल्यूओ खाते के निपटान के लिए प्राप्त 8 करोड़ रुपये के इनविट यानी 100 रुपये के अंकित मूल्य वाली 800,000 इकाइयां शामिल हैं और वित्त वर्ष 2024 में 297.76 करोड़ रुपये के वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर, 52.44 करोड़ रुपये की प्रतिभूति रसीद (56.77 करोड़ रुपये का प्रारंभिक निवेश) और मौजूदा आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुरूप ऋण के परिवर्तन के माध्यम से प्राप्त 0.01 करोड़ रुपये के इक्विटी शेयर शामिल हैं।

(ग) अनर्जक आस्तियां क+ख

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24
(i) निवल आस्तियों की तुलना में निवल अनर्जक आस्तियां (ऋण + निवेश) (%)	**0.00%**	**0.00%**
(ii) एनपीए की प्रगति (सकल अग्रिम + सकल निवेश)		
(क) प्रारंभिक शेष	780.72	364.74
(ख) वर्ष के दौरान वृद्धि	203.73	479.69
(ग) वर्ष के दौरान कटौती	149.74	63.71
(घ) इति शेष	**834.71**	**780.72**
(iii) निवल अनर्जक आस्तियों की प्रगति		
(क) प्रारंभिक शेष	0.00	8.56
(ख) वर्ष के दौरान वृद्धि	0.00	(1.29)
(ग) वर्ष के दौरान कटौती	0.00	7.27
(घ) इति शेष	**0.00**	**0.00**
(iv) अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधानों की प्रगति (मानक आस्तियों पर प्रावधानों को छोड़कर)		
(क) अथ शेष	780.72	356.18
(ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	203.73	480.98
(ग) अतिरिक्त प्रावधानों को बट्टे खाते /पुनरांकन	149.74	56.44
(घ) इति शेष	**834.71**	**780.72**

(घ) पुनर्संरचित खातों का प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

क्र	पुनर्संरचित प्रकार →		सीडीआर प्रविधि के तहत					एसएमई ऋण पुनर्संरचना प्रविधि के तहत					अन्य					कुल				
	आस्ति वर्गीकरण →		मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल
	विवरण ↓																					
1	वित्तीय वर्ष अप्रैल 1, को पुनर्संरचित खाते (प्रारम्भिक संख्या)*	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	**-**	2	2	-	-	**4**	2	2	-	-	**4**
		बकाया राशि	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	**-**	16.60	14.99	-	-	**31.59**	16.60	14.99	-	-	**31.59**
		उस पर प्रावधान	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	**-**
2	वर्ष के दौरान नये पुनर्संरचित	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	**-**	-	9	-	1	**10**	-	9	-	1	**10**
		बकाया राशि	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	**-**	-	24.53	-	0.37	**24.90**	-	24.53	-	0.37	**24.90**
		उस पर प्रावधान	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	**-**
3	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्गठित मानक श्रेणी में उन्नयन	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	**-**
		बकाया राशि	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	**-**
		उस पर प्रावधान	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	**-**
4	पुनर्संरचित खाते, जिन पर वित्त के अंत में उच्चतर प्रावधान और/ इसलिए उन्हें अगले वित्त के आरम्भ में पुनर्संरचित मानक ऋणों के रूप में नहीं दर्शाना है।	उधारकर्ताओं की संख्या	-				**-**	-				**-**	(2)				**(2)**	(2)				**(2.00)**
		बकाया राशि	-				**-**	-				**-**	(16.60)				**(16.60)**	(16.60)				**(16.60)**
		उस पर प्रावधान	-				**-**	-				**-**	-				**-**	-				**-**
5	वित्त के दौरान पुनर्संरचित खातों का अवनयन	उधारकर्ताओं की संख्या		-	-		**-**	-	-	-	-	**-**	-	(1)	1	-	**-**	-	(1)	1	-	**-**
		बकाया राशि		-	-		**-**	-	-	-	-	**-**	-	(0.32)	0.32	-	**-**	-	(0.32)	0.32	-	**-**
		उस पर प्रावधान		-	-		**-**	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	**-**
6	वित्त के दौरान पुनर्संरचित खातों का बट्टे खाते में डालना	उधारकर्ताओं की संख्या			-		**-**	-	-	-	-	**-**	-	(3)	-	-	**(3)**	-	(3)	-	-	**(3)**
		बकाया राशि			-		**-**	-	-	-	-	**-**	-	(3.73)	-	-	**(3.73)**	-	(3.73)	-	-	**(3.73)**
		उस पर प्रावधान			-		**-**	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	**-**
7	मार्च 31 को समाप्त वित्त को पुनर्संरचित खाते (अंतिम संख्या)*	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	-	-	7	1	1	**9**	-	7	1	1	**9**
		बकाया राशि	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	-	-	35.47	0.32	0.37	**36.16**	-	35.47	0.32	0.37	**36.16**
		उस पर प्रावधान	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	**-**

* मानक पुनर्संरचित अग्रिमों के आंकड़ों को छोड़कर, जिन पर उच्चतर प्रावधान या जोखिम भार (यदि लागू हो तो) प्रयोज्य नहीं होते।

नोट: क्रम संख्या 6 के आंकड़ों में मौजूदा पुनर्संरचित खातों के संबंध में 0.76 करोड़ रुपये की कमी/वसूली के बाद बकाया में वृद्धि शामिल है।

(ङ) अनर्जक आस्तियों की प्रगति

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24
अप्रैल 1 तक सकल एनपीए	99.82	33.35
वर्ष के दौरान परिवर्धन (नए एनपीए)	191.07	129.38
उप-योग (क)	**290.89**	**162.73**
घटाएँ :-		
(i) उन्नयन	2.57	6.72
(ii) वसूलियां (अपग्रेड किए गए खातों से की गई वसूलियों को छोड़कर)	24.79	1.84
(iii) तकनीकी / विवेकपूर्ण राइट ऑफ	80.18	54.35
(iv) उपरोक्त (iii) के अंतर्गत परिगणित मदों के अतिरिक्त अन्य बट्टे खाते में डालना	0.46	
उप-योग (ख)	**108.00**	**62.91**
मार्च 31, तक सकल एनपीए (क-ख)	**182.89**	**99.82**

(च) बट्टे खाते में डालना और वसूलियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24
अप्रैल 1 तक तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाते डाले गए खातों का अथ शेष	1,627.48	2,767.74
जोड़ें वर्ष के दौरान तकनीकी / विवेकपूर्ण बट्टे खाते	80.18	54.35
उप-योग (क)	**1,707.66**	**2,822.09**
घटाएँ : वास्तविक बट्टे खाते	204.78	966.48*
घटाएँ: वर्ष के दौरान पूर्व में तकनीकी/विवेकपूर्ण तरीके से बट्टे खाते में से की गई वसूली	228.52	228.13
उप-योग (ख)	**433.30**	**1,194.61**
मार्च 31, तक अथ शेष (क - ख)	**1,274.36**	**1,627.48**

* इसमें 297.76 करोड़ रुपये के ऋण को वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर में रूपान्तरित करना, 52.44 करोड़ रुपये की प्रतिभूति रसीद (56.77 करोड़ रुपये का प्रारंभिक निवेश) तथा आरबीआई के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुरूप 0.01 करोड़ रुपये के इक्विटी शेयर शामिल हैं।

(छ) विदेशी आस्तियां, अनर्जक आस्तियां एवं राजस्व

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24
कुल आस्तियां	शून्य	शून्य
कुल अनर्जक आस्तियां	शून्य	शून्य
कुल राजस्व	शून्य	शून्य

(ज) मूल्यह्रास एवं निवेशों पर प्रावधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24
(1) निवेश		
(i) सकल निवेश	**47,594.53**	**37,118.30**
(क) भारत में	47,594.53	37,118.30
(ख) भारत के बाहर	-	-
(ii) मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	**656.61**	**708.39**
(क) भारत में	656.61	708.39
(ख) भारत के बाहर	-	-
(iii) निवल निवेश	**46,937.92**	**36,409.91**
(क) भारत में	46,937.92	36,409.91
(ख) भारत के बाहर	-	-

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24
(2) निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए धारित प्रावधानों में प्रगति		
(i) अथ शेष	27.50	30.85
(ii) जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	-	-
(iii) वर्ष के दौरान निवेश उतार चढ़ाव आरक्षिति खाते में से कोई विनियोजन, यदि कोई हो तो,	-	-
(iv) घटाएँ: वर्ष के दौरान अधिक प्रावधानों का पुनरांकन /बट्टे खाते डाला जाना*	22.70	3.35
(v) घटाएँ: निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित खाते में अंतरण, यदि कोई हो	-	-
(vi) इति शेष	**4.80**	**27.50**

* बैंक ने वित्त वर्ष 2025 के लिए 'शून्य' और वित्त वर्ष 2024 में ₹ 2.51 करोड़ (प्रयोज्य करों की निवल राशि) निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित खाते में विनियोजित किया है।

(झ) प्रावधान और आकस्मिकताएँ

(₹ करोड़ में)

लाभ और हानि खाते में व्यय शीर्षक के अंतर्गत दर्शाए गए 'प्रावधान और आकस्मिकताओं' का विवरण	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24
निवेश पर मूल्यह्रास/एनपीआई के लिए प्रावधान	(52.34)	(8.38)
एनपीए के लिए प्रावधान	163.06@	129.23@
आयकर के लिए प्रावधान (आस्थगित कर आस्ति /देयता सहित)	1,587.47	1,263.74
अन्य प्रावधान और आकस्मिकताएं (विवरण सहित)	2,220.76$	1,784.65$

@ निवल पुनर्संरचित प्रावधान

$ मानक आस्ति के लिए प्रावधान शामिल है।

(ञ) प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर)

(₹ करोड़ में)

	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24
प्रावधानीकरण कवरेज अनुपात (पीसीआर)*	100.00%	100.00%

* पीसीआर की गणना करते समय चल प्रावधान पर विचार नहीं किया गया है।

(ट) धोखाधड़ी खातों से संबंधित प्रावधान

(₹ करोड़ में)

	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24
वर्ष के दौरान रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी की संख्या	3	2
धोखाधड़ी में शामिल राशि	15.66	17.33
वर्ष के अंत में धोखाधड़ी में शामिल वसूलियों/बट्टे खाते में डाले गए/ अवास्तविक ब्याज की निवल राशि को घटाकर	10.79	16.79
वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	3.02	0.00
उपरोक्त खातों के लिए वर्ष के अंत में किए गए गए प्रावधान	10.79	16.79
वर्ष के अंत में "अन्य आरक्षितियों से नामे की गई अपरिशोधित प्रावधान की राशि	-	-

4. निवेश पोर्टफोलियो: स्वरूप और परिचालन

क रेपो लेनदेन

(₹ करोड़ में)

	वित्त वर्ष 2025 के दौरान न्यूनतम बकाया	वित्त वर्ष 2025 के दौरान अधिकतम बकाया	वित्त वर्ष 2025 के दौरान दैनिक औसत बकाया	मार्च 31, 2025 तक बकाया
रेपो के तहत बेची गई प्रतिभूतियाँ				
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ	-	5,800.00	85.24	225.00
ii. कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	-	-	-	-
रिवर्स रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियाँ				
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ	10.00	27,440.90	8,334.19	24,878.00
ii. कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	-	-	-	-

(₹ करोड़ में)

	वित्त वर्ष 2024 के दौरान न्यूनतम बकाया	वित्त वर्ष 2024 के दौरान अधिकतम बकाया	वित्त वर्ष 2024 के दौरान दैनिक औसत बकाया	मार्च 31, 2024 तक बकाया
रेपो के तहत बेची गई प्रतिभूतियाँ				
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ	-	23,510.00	7,494.65	18,985.00
ii. कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	-	-	-	-
रिवर्स रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियाँ				
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ	-	22,746.00	961.13	500.00
ii. कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	-	-	-	-

(ख) ऋण प्रतिभूतियों में निवेश के लिए जारीकर्ता के संघटन का प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

जारीकर्ता	मार्च 31, 2025 तक राशि				
	धनराशि	निजी प्लेसमेंट के माध्यम से किया गया निवेश	निवेश ग्रेड से नीचे धारित प्रतिभूतियाँ	बगैर रेटिंग वाली प्रतिभूतियाँ	असूचीबद्ध प्रतिभूतियाँ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(i) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	46.94	-	-	-	-
(ii) वित्तीय संस्थाएं	4,954.39	4,954.39	-	189.83	189.83
(iii) बैंक	5,234.55	5,234.55	-	103.50	103.50
(iv) निजी कॉर्पोरेट	733.81	733.81	-	725.81	725.21
(v) सहायक कंपनियां/संयुक्त उद्यम	1,751.05	1,751.05	-	1,751.05	1,751.05
(vi) अन्य	893.75	893.75	-	893.75	893.75
(vii) मूल्यह्रास के लिए किया गया प्रावधान	-656.61	-	-	-	-
कुल	**12,957.88**	**13,567.55**	**-**	**3,663.94**	**3,663.34**

(ग) एचटीएम श्रेणी से/को प्रतिभूतियों की बिक्री एवं अंतरण:

वित्त वर्ष 2025 के दौरान, बैंक ने मौजूदा आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार वेंचर कैपिटल फंड्स में निवेश को एचटीएम से एएफएस श्रेणी में अंतरित कर दिया। उपरोक्त के अलावा, एचटीएम श्रेणी में/से निवेश में कोई बदलाव नहीं हुआ।

5. खरीदी/बेची गई वित्तीय आस्तियों का विवरण

(क) परिसंपत्ति पुनर्निर्माण के लिए प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण कंपनी को बेची गई वित्तीय आस्तियों का विवरण

(i) बिक्री का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24
(i) खातों की संख्या	2	2
(ii) एससी/आरसी को बेचे गए खातों का कुल मूल्य (प्रावधानों को घटाकर)	0.00	0.00
(iii) सकल प्रतिफल	28.20	455.30
(iv) पिछले वर्षों में अंतरित खातों के संबंद्ध में वसूल किया गया अतिरिक्त प्रतिफल	1.09	शून्य
(v) निवल बही मूल्य पर कुल लाभ/हानि	शून्य	शून्य

(ii) प्रतिभूति रसीदों में निवेश के बही मूल्य का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्रतिभूति रसीदों में निवेश का बही मूल्य	
	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24
(i) एआईएफआई द्वारा अंतर्निहित के रूप में बेचे गए एनपीए द्वारा समर्थित	23.94	52.71
(ii) बैंकों/अन्य वित्तीय संस्थानों/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा अंतर्निहित के रूप में बेचे गए एनपीए द्वारा समर्थित	-	-
कुल	23.94	52.71

(ख) खरीदी/बेची गई गैर निष्पादित वित्तीय आस्तियों का विवरण

(i) खरीदी गई गैर निष्पादित वित्तीय आस्तियों का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24
1. (क) वर्ष के दौरान खरीदे गए खातों की संख्या	शून्य	शून्य
(ख) कुल बकाया	शून्य	शून्य
2. (क) इनमें से, वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों की संख्या	शून्य	शून्य
(ख) कुल बकाया	शून्य	शून्य

(ii) बेची गई गैर निष्पादित वित्तीय आस्तियों के विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24
1. बेचे गए खातों की संख्या	2	2
2. कुल बकाया	153.24	939.14
3. प्राप्त कुल प्रतिफल	28.20	455.30

6. परिचालनगत परिणाम

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24
(i) औसत कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय (%)	7.03	6.74
(ii) औसत कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में गैर-ब्याज आय (%)	0.13	0.14
(iii) औसत कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ (प्रावधानों से पूर्व)(%)	1.62	1.55
(iv) औसत आस्तियों पर प्रतिफल (कर प्रावधानों से पूर्व)(%)	1.19	1.14
(v) प्रति कर्मचारी शुद्ध लाभ (करोड़ रुपये)	4.40	3.72

7. ऋण संकेन्द्रण जोखिम

(क) पूंजी बाजार एक्सपोजर

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24
(i) इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचर और इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों में प्रत्यक्ष निवेश, जिसका कोष विशेष रूप से कॉर्पोरेट ऋण में निवेशित नहीं है;	635.73	585.32
(ii) शेयरों / बांडों /ऋण पत्रों के एवज में अग्रिम अथवा व्यक्तिगत रूप से शेयरों, परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय ऋण पत्रों और इक्विटी उन्मुख म्युचुअल निधियों की इकाइयों में व्यक्तिगत रूप से किया गया निवेश;	-	-
(iii) किसी अन्य प्रयोजन के लिए अग्रिम जहां शेयर या परिवर्तनीय बांड या परिवर्तनीय डिबेंचर या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों को प्राथमिक सुरक्षा के रूप में लिया जाता है;	-	-
(iv) शेयरों या परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय डिबेंचर या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों की संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा प्रत्याभूत सीमा तक किसी अन्य प्रयोजन के लिए अग्रिम, अर्थात जहां शेयरों / परिवर्तनीय बांडों / परिवर्तनीय डिबेंचर / इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों के अलावा प्राथमिक सुरक्षा अग्रिमों को पूरी तरह से कवर नहीं करती है;	-	-
(v) स्टॉकब्रोकरों को प्रत्याभूत और गैर-प्रत्याभूत अग्रिम तथा स्टॉकब्रोकरों और मार्केट मेकर्स की ओर से जारी की गई गारंटियां;	-	-
(vi) संसाधन जुटाने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की इक्विटी में प्रवर्तक अंशदान को पूरा करने के लिए शेयरों / बांड / डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियों की प्रतिभूति के संबंध में या स्वच्छ आधार पर कॉर्पोरेट्स को मंजूर ऋण;	-	-
(vii) अपेक्षित इक्विटी प्रवाह/निर्गमों के संबंध में कंपनियों को ब्रिज ऋण;	-	-
(viii) शेयरों या परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय डिबेंचर या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों के प्राथमिक निर्गम के संबंध में बैंकों द्वारा की गई हामीदारी प्रतिबद्धताएं;	-	-
(ix) मार्जिन ट्रेडिंग के लिए स्टॉकब्रोकरों को वित्तपोषण;	-	-
(x) वेंचर कैपिटल फंड्स (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों) के सभी जोखिम	975.36	1,060.53
पूंजी बाजार में कुल जोखिम	**1,611.09**	**1,645.85**

(ख) देश जोखिम का एक्सपोजर

(₹ करोड़ में)

जोखिम श्रेणी	वित्त वर्ष 2024-25		वित्त वर्ष 2023-24	
	शुद्ध वित्त पोषित जोखिम	प्रावधान रखा गया	शुद्ध वित्त पोषित जोखिम	प्रावधान रखा गया
नगण्य	20,185.27	49.90	17,782.87	43.80
कम	95.63	-	1,049.64	-
मध्यम	686.28	-	30.90	-
उच्च	26.02	-	5.96	-
अत्यधिक उच्च	-	-	-	-
प्रतिबंधित	-	-	-	-
ऑफ-क्रेडिट	-	-	-	-
कुल	**20,993.20**	**49.90**	**18,869.37**	**43.80**

(ग) विवेकपूर्ण जोखिम सीमा - एकल उधारकर्ता सीमा (एसजीएल) / समूह उधारकर्ता सीमा (जीबीएल) - अतिक्रमण ।

(i) वर्ष के दौरान विवेकपूर्ण जोखिम सीमा से अतिक्रमित जोखिम की संख्या और मात्रा।

क्र. सं.	पैन नंबर	उधारकर्ता का नाम	उद्योग कोड	उद्योग का नाम	क्षेत्र	वित्त पोषित राशि	गैर-वित्तपोषित राशि	पूंजी निधियों में % के रूप में जोखिम
	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(ii) निम्नलिखित के संबंध में पूंजीगत निधियों के प्रतिशत के रूप में और कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में ऋण एक्सपोजर

क्र. सं.	विवरण	वित्त वर्ष 2024-25		वित्त वर्ष 2023-24	
		कुल संपत्ति के % के रूप में	पूंजीगत निधियों के % के रूप में	कुल संपत्ति के % के रूप में	पूंजीगत निधियों के % के रूप में
1	सबसे बड़ा एकल उधारकर्ता	11.83%	208.17%	13.93%	250.51%
	सबसे बड़ा उधारकर्ता समूह	चूंकि बड़े उधारकर्ता प्राथमिक ऋण देने वाली संस्थाएं हैं, इसलिए उधारकर्ता समूह की अवधारणा लागू नहीं होती है।			
2	20 सबसे बड़े एकल उधारकर्ता	67.53%	1188.66%	69.75%	1254.53%
	20 सबसे बड़े उधारकर्ता समूह	चूंकि बड़े उधारकर्ता प्राथमिक ऋणदात्री संस्थाएं हैं, इसलिए उधारकर्ता समूह की अवधारणा लागू नहीं।			

(iii) कुल ऋण आस्तियों के प्रतिशत के रूप में पांच सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्रों को ऋण जोखिम:

(₹ करोड़ में)

उद्योग का नाम	वित्त वर्ष 2024-25	
	क्रेडिट जोखिम	कुल ऋण परिसंपत्तियों का %
वस्त्र	7,130.23	1.44
धातु उत्पाद	4,746.39	0.96
प्लास्टिक उत्पाद	3,275.56	0.66
परिवहन उपकरण	2,609.42	0.53
रासायनिक एवं रासायनिक उत्पाद	2,567.20	0.52

(₹ करोड़ में)

उद्योग का नाम	वित्त वर्ष 2023-24	
	क्रेडिट जोखिम	कुल ऋण परिसंपत्तियों का %
वस्त्र उत्पाद	4,179.00	0.92
ऑटो अनुषंगी	3,490.00	0.77
धातु उत्पाद – एनईसी	2,446.00	0.54
प्लास्टिक मोल्डेड सामान	2,155.00	0.47
मशीनरी के अतिरिक्त मेटल उत्पाद पार्ट्स	1,649.00	0.36

(iv) अग्रिमों की कुल राशि जिसके लिए अमूर्त प्रतिभूतियां जैसे अधिकारों, लाइसेंसों, प्राधिकार आदि पर प्रभार लिया गया है, 'शून्य' है।

(v) बैंक ने ट्रेड्स के तहत वित्त वर्ष 2025 में ₹ 1,984.59 करोड़ और वित्त वर्ष 2024 में ₹ 1,424.89 करोड़ का फैक्टरिंग एक्सपोजर लिया था।

(vi) बैंक ने चालू वर्ष और पिछले वर्ष के दौरान प्रूडेंशियल एक्सपोज़र सीमा का उल्लंघन नहीं किया था।

(घ) उधार/ऋण-व्यवस्थाओं, ऋण जोखिम और एनपीए का संकेंद्रण

(i) उधार और ऋण-वस्थाओं का संकेन्द्रण

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24
बीस सबसे बड़े ऋणदाताओं से कुल उधार	4,06,739.69	3,75,323.76
कुल उधारों में बीस सबसे बड़े ऋणदाताओं से उधार का प्रतिशत	79.31%	78.70%

(ii) एक्सपोजर संकेंद्रण

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को कुल अग्रिम	3,70,009.06	3,52,318.00
कुल अग्रिमों में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को दिए गए अग्रिमों का प्रतिशत	74.56%	77.26%
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों के लिए कुल जोखिम	3,83,723.33	3,69,107.68
कुल जोखिम में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों के जोखिम का प्रतिशत	69.70%	71.33%

(iii) क्षेत्रवार जोखिम और एनपीए का संकेन्द्रण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र	वित्त वर्ष 2024-25			वित्त वर्ष 2023-24		
		बकाया कुल अग्रिम	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों में सकल एनपीए का प्रतिशत	बकाया कुल अग्रिम	सकल एनपीए	क्षेत्र-विशेष में कुल अग्रिमों में सकल एनपीए का प्रतिशत
I.	औद्योगिक क्षेत्र	4,26,203.11	164.27	0.04%	3,92,119.53	81.21	0.02%
1	केंद्र सरकार	-	-	-	-	-	-
2	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों	-	-	-	-	-	-
3	राज्य सरकारें	2,930.80	-	-	2,111.20	-	-
4	राज्य के सार्वजनिक उपक्रम	-	-	-	-	-	-
5	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	3,84,174.42	-	-	3,62,506.42	-	-
6	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	972.96	-	-	530.12	-	-
7	सहकारी बैंक	179.44	-	-	64.72	-	-
8	निजी क्षेत्र (बैंकों को छोड़कर)	37,945.49	164.27	0.43%	26,907.07	81.21	0.30%
II.	सूक्ष्म वित्त क्षेत्र	6,072.81	18.62	0.31%	8,789.94	18.61	0.21%
III.	अन्य*	64,188.79	-	-	55,205.42	-	-
	कुल (I+II+III)	**4,96,464.71**	**182.89**	**0.04%**	**4,56,114.89**	**99.82**	**0.02%**

* इसमें एनबीएफसी को दिए गए अग्रिम शामिल हैं

8. व्युतपन्नियाँ

(क) वायदा दर करार/ब्याज दर अदला-बदली

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24
i)	विनिमय करारों का अनुमानिक मूल्य	शून्य	शून्य
ii)	इस करार के तहत पक्षकार द्वारा देयता पूरी न कर पाने के कारण होने वाली हानियाँ	शून्य	शून्य
iii)	इस विनिमय में शामिल होने के लिए बैंक द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक	शून्य	शून्य
iv)	इस विनिमय से होने वाले जोखिम ऋणों का संकेन्द्रण	शून्य	शून्य
v)	विनिमय बही का उचित मूल्य	शून्य	शून्य

मार्च 31, 2025 तक आईआरएस का स्वरूप और तत्संबंधी शर्तें निम्नानुसार हैं :

क्र. सं.	स्वरूप	संख्या	आनुमानिक मूलधन	मानदंड	शर्तें
1	हेजिंग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

मार्च 31, 2024 तक आईआरएस का स्वरूप और तत्संबंधी शर्तें निम्नानुसार हैं :

क्र. सं.	स्वरूप	संख्या	आनुमानिक मूलधन	मानदंड	शर्तें
1	हेजिंग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(ख) विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्नियां

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	विवरण	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24
i)	वर्ष के दौरान लिए गए एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर व्युत्पन्नों की आनुमानिक मूल राशि (लिखत-वार)	शून्य	शून्य
ii)	यथा मार्च 31 बकाया एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर व्युत्पन्नों की आनुमानिक मूल राशि (लिखत-वार)	शून्य	शून्य
iii)	एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरिवेटिव्स की बकाया अनुमानित मूल राशि जो "अत्यधिक प्रभावी" नहीं है (लिखत-वार)	शून्य	शून्य
iv)	एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरिवेटिव्स का मार्क-टू-मार्केट मूल्य बकाया है और "अत्यधिक प्रभावी" नहीं है (लिखत-वार)	शून्य	शून्य

(ग) व्युत्पन्नियों में सम्बद्ध जोखिम राशि का प्रकटीकरण

(i) गुणात्मक प्रकटीकरण

(1) बैंक मुख्यतः अपने विदेशी मुद्रा उधारियों में आस्ति देयता असंतुलन से उत्पन्न ब्याज दर और विनिमय दर जोखिमों की हेजिंग के लिए डेरिवेटिव्स का उपयोग करता है। तथापि, डेरिवेटिव्स हेजिंग केंद्रित उद्देश्यों के लिए किए जाते हैं, लेकिन उनका लेखा-जोखा ट्रांसलेशन आधार पर किया जाता है और उन्हें बाज़ार-आधारित (एमटीएम) नहीं माना जाता है। बैंक डेरिवेटिव्स में व्यापार नहीं करता है।

(2) डेरिवेटिव्स के लिए आंतरिक नियंत्रण दिशानिर्देश और लेखा नीतियाँ तैयार की गई हैं और बोर्ड द्वारा अनुमोदित की गई हैं। डेरिवेटिव संरचनाएँ केवल सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन के बाद ही शुरू की जाती हैं। डेरिवेटिव लेनदेन का विवरण भी अल्को /बोर्ड को सूचित किया जाता है, जिससे सुदृढ़ शासन और पारदर्शिता सुनिश्चित होती है।

(3) बैंक ने व्युत्पन्नी सौदों से उत्पन्न होने वाली जोखिमों को कम करने के लिए सिस्टम स्थापित किया है। बैंक व्युत्पन्न सौदे से उत्पन्न होने वाले लेन-देन का लेखांकन करने के लिए उपचित विधि का पालन करता है। इसके अलावा, बैंक समय-समय पर एमटीएम मूल्यांकन और प्रभावशीलता परीक्षण भी करता है, जिससे उसकी समग्र जोखिम प्रबंध रणनीति को बल मिलता है।

(घ) क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप पर प्रकटीकरण - बैंक ने वर्ष के दौरान कोई क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप नहीं किया है।

(ii) परिमाणात्मक प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	वित्त वर्ष 2024-25		वित्त वर्ष 2023-24	
		मुद्रा व्युत्पन्नियां	ब्याज दर व्युत्पन्नियां	मुद्रा व्युत्पन्नियां	ब्याज दर व्युत्पन्नियां
1	व्युत्पन्नियाँ (आनुमानिक मूल राशि)	1,152.19	-	2,571.32	-
(i)	हेजिंग के लिए	1,152.19	-	2,571.32	-
(ii)	व्यापार के लिए	-	-	-	-

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	वित्त वर्ष 2024-25		वित्त वर्ष 2023-24	
		मुद्रा व्युत्पन्नियां	ब्याज दर व्युत्पन्नियां	मुद्रा व्युत्पन्नियां	ब्याज दर व्युत्पन्नियां
2	बाजार मूल्य पर चिह्नित स्थितियाँ [1]	0.25	-	431.60	-
(i)	आस्ति (+)	0.25	-	431.60	-
(ii)	देयता (-)	-	-	-	-
3	क्रेडिट एक्सपोज़र [2]	148.40	-	544.66	-
4	ब्याज दर में एक प्रतिशत बदलाव से होने वाला प्रभाव (100* पीवी 01)	73.72	-	24.44	-
(i)	हेजिंग डेरिवेटिव्स पर	73.72	-	24.44	-
(ii)	डेरिवेटिव ट्रेडिंग पर	-	-	-	-
5	वर्ष के दौरान परिलक्षित अधिकतम एवं न्यूनतम 100* पीवी 01				
(i)	हेजिंग पर	25.05/13.99	-	479.62/24.44	-
(ii)	व्यापार पर	-	-	-	-

9. जारी किए गए लेटर ऑफ कम्फर्ट (एलओसी) का प्रकटीकरण

वर्ष के दौरान जारी कम्फर्ट पत्रों का विवरण, आकलित वित्तीय प्रभाव और पहले के जारी किए गए कम्फर्ट पत्रों के आकलित संचयी वित्तीय देयताओं का विवरण निम्नवत है:

अप्रैल 1, 2024 तक बकाया (एलओसी)		वर्ष के दौरान जारी एलओसी		वर्ष के दौरान भुनाए गए एलओसी		मार्च 31, 2025 तक बकाया एलओसी	
एलओसी की संख्या	धनराशि	एलओसी की संख्या	धनराशि	एलओसी की संख्या	धनराशि	एलओसी की संख्या	धन-राशि
-	-	-	-	-	-	-	-

10. आस्ति देयता प्रबंध

(₹ करोड़ में)

	1 से 14 दिन	15 से 28 दिन	29 दिन से 3 महीने तक	3 महीने से अधिक और 6 महीने तक	6 महीने से अधिक और 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	5 वर्षों से अधिक	कुल
जमा	83.39	624.11	5,882.30	22,109.42	40,209.20	1,22,410.67	3,099.34	1,181.40	1,95,599.83
अग्रिम	5,484.92	3,071.00	34,869.97	64,587.76	1,26,017.77	2,46,620.92	11,857.05	3,772.44	4,96,281.83
निवेश	5,521.04	4,681.19	16,643.37	16,398.52	15,698.78	2,082.81	50.00	3,062.21	64,137.92
उधारियां	33,679.63	9,750.00	64,291.94	34,478.29	87,190.23	38,072.47	49,629.50	172.18	3,17,264.24
विदेशी मुद्रा आस्तियां	16.62	1,083.36	239.74	75.61	161.08	1,994.89	339.32	1.33	3,911.95
विदेशी मुद्रा देयता	14.18	10.33	162.43	1,125.84	111.09	390.20	458.31	138.71	2,411.09

11. आरक्षितियों से आहरित

चालू वर्ष और पिछले वर्ष के दौरान आरक्षितियों से कोई आहरण नहीं किया गया।

12. व्यावसायिक अनुपात

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24
औसत ईक्विटी पर प्रतिफल (कर प्रावधान के पूर्व) (%)	18.96	17.96
औसत आस्तियों पर प्रतिफल (कर प्रावधान के पूर्व) (%)	1.19	1.14
प्रति कर्मचारी निवल लाभ (₹ करोड़ में)	4.40	3.72

13. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाए गए दंडों का प्रकटन

आरबीआई ने चालू वर्ष के दौरान बैंक पर ₹ 6,43,998 का दंड लगाया है तथा पिछले वर्ष के दौरान शून्य जुर्माना लगाया है।

14. ग्राहकों की शिकायतें

1. बैंक को अपने ग्राहकों से प्राप्त शिकायतें

	विवरण	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24
1	वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतों की संख्या	3	1
2	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	151	163
3	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	153	161
3(i)	इनमें से बैंक द्वारा अस्वीकृत शिकायतों की संख्या	0	48
4	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	1	3

2. बैंक को ग्राहकों से प्राप्त शिकायतों के पांच प्रमुख कारण

शिकायतों का आधार, (अर्थात् संबंधित शिकायतें)	वर्ष की आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	पिछले वर्ष की तुलना में प्राप्त शिकायतों की संख्या में % वृद्धि/कमी	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	कालम 5 में से 30 दिनों से अधिक समय तक लंबित शिकायतों की संख्या
1	2	3	4	5	6
वित्त वर्ष 2025					
ऋण और अग्रिम	-	32	6.67	-	-
बिना किसी पूर्व सूचना के शुल्क लगाना /अत्यधिकशुल्क /मोचनार्थ शुल्क लगाना	-	18	(18.18)	-	-
अन्य	-	69	50.00	-	-
वित्त वर्ष 2024					
ऋण और अग्रिम	-	30	(14.29)	-	-
बिना किसी पूर्व सूचना के शुल्क लगाना /अत्यधिकशुल्क /मोचनार्थ शुल्क लगाना	-	22	(37.14)	-	-
अन्य	1	46	(13.21)	-	-

भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 27.01.2021 के अपने परिपत्र सी ई पी डी सी ओ सं.01/13.01.013/2020-21, में बैंकों में शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने हेतु ने शिकायतों को 16 श्रेणियों के तहत वर्गीकृत किया था और बैंकों को तदनुसार प्रकटीकरण हेतु परामर्श दिया था।

15. प्रायोजित किये गए तुलन पत्रेतर एस पी वी

पिछले वर्ष और इस वर्ष के दौरान बैंक का एस पी वी प्रायोजित कोई तुलनपत्रेतर आंकड़ा नहीं है।

16. विशिष्ट लेखांकन मानकों के अनुसार प्रकटीकरण

(क) लेखांकन मानक 5 - अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि, पूर्व अवधि की मदें और लेखांकन नीतियों में परिवर्तन

अनुसूची XIII में आय - 'अन्य आय' में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ₹ 28,54,115 की पूर्व अवधि की आय [पिछले वर्ष ₹ 49,48,292] शामिल है और अनुसूची XIV में अन्य व्यय - वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 'परिचालन व्यय' में (₹ 5,28,73,830) [पिछले वर्ष ₹ 3,55,13,145] का पूर्व अवधि के व्यय शामिल हैं।

(ख) लेखांकन मानक 17 - खंड रिपोर्टिंग

जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर निर्देश और लेखांकन मानक 17 खंड रिपोर्टिंग के अंतर्गत अपेक्षित है, बैंक ने व्यवसाय खंड का प्रकटन प्राथमिक खंड के रूप में किया है। चूंकि बैंक भारत में परिचालनरत है अत: रिपोर्टिंग योग्य भौगोलिक खंड नहीं है. बैंक ने व्यवसाय खंड के अंतर्गत समग्र परिचालन (प्रत्यक्ष वित्त), समग्र परिचालन (पुनर्वित्त) और समग्र परिचालन (ट्रेजरी) - ये तीन रिपोर्टिंग खण्ड निर्धारित किए हैं। ये खंड उत्पादों और सेवाओं की प्रकृति और जोखिम स्वरूप, संगठनात्मक ढांचे तथा बैंक की आंतरिक रिपोर्टिंग व्यवस्था पर विचार के बाद निर्धारित किए हैं। पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू पद्धति के अनुसार बनाने के लिए पुनर्समूहित तथा पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

भाग ए : व्यावसायिक खंड

(₹ करोड़ में)

	व्यावसायिक खंड	थोक परिचालन (प्रत्यक्ष ऋण)		थोक परिचालन (पुनर्वित्त)		कोषागार		कुल	
	विवरण	वित्त वर्ष 2025	वित्त वर्ष 2024	वित्त वर्ष 2025	वित्त वर्ष 2024	वित्त वर्ष 2025	वित्त वर्ष 2024	वित्त वर्ष 2025	वित्त वर्ष 2024
1	**खंड राजस्व**	3,250.90	2,314.39	30,261.06	25,392.62	4,999.21	4,235.10	38,511.17	31,942.11
	अपवादात्मक मदें							-	-
	कुल							**38,511.17**	**31,942.11**
2	**खंड परिणाम**	159.55	82.83	4,715.40	4,410.32	2,070.01	1,837.06	6,944.96	6,330.21
	अपवादात्मक मदें							-	(500.00)
	कुल							**6,944.96**	**5,830.21**
	अविनिधानीय खर्चे							546.75	540.17
	परिचालन लाभ							**6,398.21**	**5,290.04**
	आयकर (पुनरांकन के बाद)							1,587.47	1,263.74
	कर पश्चात् निवल लाभ							**4,810.74**	**4,026.30**
3	**अन्य सूचना**								
	खंड -आस्तियां	41,200.39	29,089.78	4,57,586.57	4,29,333.11	64,624.85	60,374.84	5,63,411.81	5,18,797.73
	अविनिधानीय आस्तियां							4,826.98	3,724.24
	कुल आस्तियां							**5,68,238.79**	**5,22,521.97**
	खंड देयताएं	32,947.23	24,107.47	4,31,367.87	4,04,860.85	62,899.89	58,030.68	5,27,214.99	4,86,999.00
	अविनिधानीय देयताएं							4,947.15	4,122.85
	योग							**5,32,162.14**	**4,91,121.85**
	पूंजी / आरक्षितियां	8,118.41	4,815.95	25,762.28	23,885.78	2,195.96	2,697.39	36,076.65	31,399.12
	योग							**36,076.65**	**31,399.12**
	कुल देयताएं							**5,68,238.79**	**5,22,521.97**

भाग ख: भौगोलिक खंड - बैंक के परिचालन केवल भारत तक ही सीमित है, इसलिए कोई रिपोर्ट करने योग्य भौगोलिक खंड नहीं हैं।

(ग) लेखा मानक 18 - संबद्ध पक्ष प्रकटीकरण

(i) संबंद्ध पक्षों का ब्यौरा

संस्था का नाम	रिश्ते का स्वरूप
सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड	सहायक संस्था
सिडबी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड	सहायक संस्था
माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड	सहायक संस्था
इंडिया एसएमई टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड	सहयोगी संस्था
एक्युटे रेटिंग्स प्राइवेट लिमिटेड	सहयोगी संस्था
रिसीवेबल्स एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड	सहयोगी संस्था
इंडिया एसएमई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड	सहयोगी संस्था
दिल्ली वित्त निगम	सहयोगी संस्था
फिटको लिमिटेड	सहयोगी संस्था

(ii) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

संस्था का नाम	रिश्ते का स्वरूप
श्री मनोज मित्तल	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्री सुदत्त मंडल	उप प्रबंध निदेशक
श्री प्रकाश कुमार	उप प्रबंध निदेशक

(iii) संबंद्ध पक्षों के साथ महत्वपूर्ण संव्यवहार

(₹ करोड़ में)

मद/संबद्ध पक्ष	सहायक संस्था	सहयोगी संस्था / संयुक्त उद्यम	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक @	प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के रिश्तेदार	योग
उधार #	-	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान अधिकतम	-	-	-	-	-
जमा#	-	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया	-	43.81	1.29	-	45.10
वर्ष के दौरान अधिकतम	-	62.16	1.29	-	63.45
जमाराशियों का प्लेसमेंट#		-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान अधिकतम	-	-	-	-	-
अग्रिम#	-	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया	2,487.00	-	-	-	2,487.00
वर्ष के दौरान अधिकतम	2,487.00	-	-	-	2,487.00
निवेश#	-	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया	1,751.05	39.49	-	-	1,790.54
वर्ष के दौरान अधिकतम	1,751.05	39.49	-	-	1,790.54
गैर-वित्त पोषित प्रतिबद्धताएं #	-	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान अधिकतम	-	-	-	-	-
प्राप्त की गई लीजिंग व्यवस्थाएँ #	-	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान अधिकतम	-	-	-	-	-
प्रदान की गई लीजिंग व्यवस्थाएँ #	-	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान अधिकतम	-	-	-	-	-
स्थिर आस्तियों की खरीद	-	-	-	-	-
स्थिर आस्तियों की बिक्री	-	-	-	-	-
अदा किया गया ब्याज	-	1.76	0.10	-	1.86
प्राप्त ब्याज	4.09	-	-	-	4.09
प्राप्त लाभांश	33.52	0.61	-	-	34.13
अदा किया गया लाभांश	-	-	-	-	-
सेवाएं प्रदान किया जाना*	11.27	1.90	-	-	13.17
सेवाओं की प्राप्ति*	-	2.44	-	-	2.44
प्रबंधन संविदाएँ**			1.98	-	1.98

@बोर्ड के पूर्णकालिक निदेशक

#वर्ष के अंत में बकाया और वर्ष के दौरान अधिकतम का प्रकटन किया जाना है

*संविदा सेवाएं आदि और विप्रेषण सुविधाएं, लॉकर सुविधाएं जैसी सेवाएं नहीं

** प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों को पारिश्रमिक।

17. अपरिशोधित पेंशन और ग्रेच्युटी देयताएँ

पेंशन और ग्रेच्युटी देयताओं का प्रावधान अनुमानित इकाई क्रेडिट पद्धति के आधार पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है। बीमांकिक अभिलाभ/हानियों को लाभ और हानि लेखा में ले जाया जाता है और इनका परिशोधन नहीं किया जाता है।

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते **जे. काला एंड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
एफआरएन.118769W

जयेश काला
भागीदार
एम.सं. 101686

निदेशक मण्डल के आदेश से

वाई एम कुमारी
मुख्य वित्तीय अधिकारी

प्रकाश कुमार
उप प्रबंध निदेशक

सुदत्त मंडल
उप प्रबंध निदेशक

मनोज मित्तल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

लक्ष्मी चंद मीना
निदेशक

पी जे थॉमस
निदेशक

स्थान: मुंबई
दिनांक: अप्रैल 29, 2025

एकल नकदी प्रवाह विवरण

मार्च 31, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹)

मार्च 31, 2024	विवरण	मार्च 31, 2025	मार्च 31, 2025
	1. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
52,90,03,57,600	लाभ और हानि लेखा के अनुसार कर पूर्व निवल लाभ		63,98,20,89,295
	निम्नलिखित के लिए समायोजन:		
61,19,85,624	मूल्यह्रास	21,60,85,424	
(5,02,33,594)	निवेशों में निवल मूल्यह्रास हेतु प्रावधान	-	
21,94,83,07,591	किए गए प्रावधान (पुनरांकन को घटाकर)	25,06,92,44,875	
(86,65,00,642)	निवेशों की बिक्री पर लाभ (निवल)	(1,53,51,92,721)	
(35,10,094)	स्थिर आस्तियों की बिक्री पर लाभ	78,906	
(44,40,80,907)	निवेशों पर प्राप्त आय	(46,30,67,172)	23,28,71,49,312
74,09,63,25,578	**परिचालनों से उत्पन्न नकदी**		**87,26,92,38,607**
	(परिचालन आस्तियों और देयताओं में परिवर्तन से पहले)		
	निम्नलिखित में निवल परिवर्तनों हेतु समायोजन:		
(14,45,33,49,720)	चालू आस्तियाँ	1,75,45,18,535	
32,21,40,51,206	चालू देयताएँ	26,10,79,09,971	
(8,82,05,13,503)	विनिमय बिल	(7,42,44,97,232)	
(9,87,68,98,47,680)	ऋण एवं अग्रिम	(3,96,07,36,48,869)	
6,98,87,56,36,090	बॉन्ड और डिबेंचर और अन्य उधारियों की शुद्ध आय	4,67,18,74,63,211	
4,13,48,06,25,970	प्राप्त जमा	(1,07,84,38,65,983)	
1,33,60,66,02,363			**(16,29,21,20,367)**
2,07,70,29,27,941			70,97,71,18,240
(18,69,81,10,436)	कर का भुगतान	(23,28,88,36,885)	(23,28,88,36,885)
1,89,00,48,17,505	**परिचालन गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह**		**47,68,82,81,355**
	2. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
(50,64,13,769)	स्थिर आस्तियों की निवल (खरीद)/ बिक्री	(15,79,04,189)	
(1,78,05,14,54,078)	निवेश की निवल (खरीद)/बिक्री/मोचन	(77,77,71,40,845)	
44,40,80,908	निवेशों पर प्राप्त आय	46,30,67,173	
(1,78,11,37,86,939)	**निवेश गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकदी**		**(77,47,19,77,861)**

एकल नकदी प्रवाह विवरण

मार्च 31, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹)

मार्च 31, 2024		विवरण	मार्च 31, 2025	मार्च 31, 2025
	3.	**वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह**		
-		शेयर पूंजी जारी करने और शेयर प्रीमियम से प्राप्तियाँ	-	
(1,13,70,82,338)		इक्विटी शेयरों पर लाभांश और लाभांश पर कर	(1,13,70,82,338)	
(1,13,70,82,338)		**वित्तपोषण गतिविधियों में प्रयुक्त शुद्ध नकदी**		**(1,13,70,82,338)**
9,75,39,48,228	**4.**	**नकदी और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि/(कमी)**		**(30,92,07,78,844)**
26,38,20,45,444	**5.**	**अवधि के आरंभ में नकदी और नकदी समतुल्य**		**36,13,59,93,672**
36,13,59,93,672	**6.**	**अवधि के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य**		**5,21,52,14,828**
	7.	**अवधि के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य में हाथ में नकदी शामिल**		
5,93,895		हाथ में नकदी		6,16,080
1,95,70,88,075		बैंक में चालू खाते में शेष राशि		2,36,50,10,447
0		म्युचुअल फंड		0
34,17,83,11,702		जमा		2,84,95,88,301

नोट: नकदी प्रवाह विवरण इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी एएस-3 (संशोधित) "नकदी प्रवाह विवरण" में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार तैयार किया गया है

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां XV

लेखा से संबंधित टिप्पणियाँ XVI

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते जे. काला एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन.118769W

जयेश काला
भागीदार
एम.सं. 101686

निदेशक मण्डल के आदेश से

वाई एम कुमारी
मुख्य वित्तीय अधिकारी

प्रकाश कुमार
उप प्रबंध निदेशक

सुदत्त मंडल
उप प्रबंध निदेशक

मनोज मित्तल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

लक्ष्मी चंद मीना
निदेशक

पी जे थॉमस
निदेशक

स्थान: मुंबई
दिनांक: अप्रैल 29, 2025

परिशिष्ट II

सिडबी का समेकित तुलनपत्र, लाभ और हानि लेखा
तथा नकदी प्रवाह विवरण सहित

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सदस्य

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा संबंधी रिपोर्ट

राय

1. हमने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (जिसे यहां आगे "बैंक" कहा जाएगा) तथा इसकी सहायक संस्थाओं (मूल संस्था और सहायक संस्थाओं को मिलाकर एक "समूह" कहा जाएगा) तथा इसकी सहयोगी संस्थाओं के संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिनमें यथा 31 मार्च, 2025 समेकित तुलन-पत्र, तत्समय समाप्त वर्ष हेतु समेकित लाभ-हानि लेखा, समेकित नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के सार एवं अन्य व्याख्यात्मक जानकारी सहित समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ शामिल हैं (जिसे आगे "समेकित वित्तीय विवरण" कहा जाएगा।)

   हमारी राय में व हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा सहायक संस्थाओं की गैर-लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणियों, सहयोगी संस्थाओं की गैर-लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणियों तथा प्रबंधन द्वारा दी गई अन्य वित्तीय सूचना, को ध्यान में रखते हुए, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सामान्य विनियम, 2000 के विनियम 14 (1) के अनुरूप अपेक्षित जानकारी देते हैं और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा अधिसूचित लेखांकन मानकों और भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप यथा 31 मार्च 2025 को समूह और उसकी सहयोगी संस्थाओं के कार्यकलापों की स्थिति और इस दिनांक को समाप्त वर्ष हेतु इनके समेकित लाभ और इनके समेकित नकदी प्रवाह को सही और उचित रूप में दर्शाते हैं।

राय के लिए आधार

2. हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप समेकित वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा की। उन मानकों के तहत हमारे दायित्वों का अधिक विवरण हमारी रिपोर्ट के 'समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षकों के दायित्व' खंड में दिया गया है। हम भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी "नैतिक आचार संहिता" के अनुसार समूह और इसके सहयोगी संस्थाओं से स्वतंत्र हैं और हमने इन अपेक्षाओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूर्ण किया है। हमारा विश्वास है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय के लिए पर्याप्त और उपयुक्त आधार प्रदान करते हैं।

विशेष रूप से ध्यातव्य मामले

3. हम निम्नलिखित की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं:

क) समेकित वित्तीय विवरणों के अनुबंध-I की टिप्पणी क्रमांक 14, जो निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित त्वरित प्रावधानीकरण नीति के अनुसार, आईआरएसी मानदंडों के तहत निर्धारित न्यूनतम दरों से अधिक दरों पर मानक अग्रिमों पर अतिरिक्त प्रावधान से संबंधित है।

   उक्त मामले के संदर्भ में समेकित वित्तीय विवरणियों पर हमारी राय में कोई बदलाव नहीं है।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

4. प्रमुख लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारी पेशेवर दृष्टि से 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। इन मामलों पर समेकित वित्तीय विवरणियों की हमारी लेखापरीक्षा और उन पर हमारी राय निर्धारित करने के संदर्भ में समग्रतः विचार किया गया था और इन मामलों के संबंध में हमारी कोई अलग राय नहीं है।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले	प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों पर हमारी लेखापरीक्षा किस तरह की गई
I. अग्रिमों का वर्गीकरण गैर-निष्पादक अग्रिमों की पहचान, आय निर्धारण और अग्रिमों पर प्रावधान (देखें समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूची VIII, अनुसूची XV के नोट 6 के साथ सहपठित) अग्रिमों में बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, अल्प वित्त संस्थाओं तथा एनबीएफसी को पुनर्वित्त ऋण; और प्रत्यक्ष ऋण (नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट, मांग पर चुकौतीयोग्य ऋण और सावधि ऋण सहित) शामिल हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकों के लिए अग्रिमों के संबंध में आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान संबंधी विवेकपूर्ण मानदंड (आईआरएसीपी मानदंड) निर्धारित किए हैं।	अग्रिमों के वर्गीकरण, गैर-निष्पादक अग्रिमों के निर्धारण, आय निर्धारण और अग्रिमों पर प्रावधान के प्रति हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण/प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल हैं: - गैर-निष्पादक आस्तियों के निर्धारण और प्रावधान के लिए बैंक की लेखांकन नीतियों को समझना और उन पर विचार करना और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों (आईआरएसीपी मानदंडों) के अनुपालन, जिसमें पुनःसंरचित अग्रिमों पर अतिरिक्त प्रावधान और प्रदत्त आस्ति वर्गीकरण लाभ शामिल हैं, का आकलन करना, - भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित आईआरएसीपी संबंधी मौजूदा दिशानिर्देशों के आधार पर ह्रासित खातों के निर्धारण और प्रावधान के लिए प्रमुख नियंत्रणों (सिस्टम आधारित स्वचालित नियंत्रणों सहित) को समझना।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले	प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों पर हमारी लेखापरीक्षा किस तरह की गई
निष्पादक और गैर-निष्पादक अग्रिमों (लागू आईआरएसीपी मानदंडों के अंतर्गत पुनःसंरचित अग्रिमों सहित) की पहचान में समुचित कार्यप्रणाली लागू किया जाना शामिल है और बैंक से अपेक्षा की जाती है कि वह विनियमों द्वारा निर्धारित मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों कारकों को लागू करते हुए प्रत्येक अग्रिम के लिए अपेक्षित प्रावधान की मात्रा की पहचान करने और निर्धारित करने के लिए पर्याप्त मात्रा में स्वविवेक का प्रयोग करे। एनपीए के निर्धारण और प्रावधान के लिए महत्वपूर्ण निर्णय व आकलन निम्नांकित विषय में सारभूत गलत कथनों को जन्म दे सकते हैं: - आईआरएसीपी मानदंडों के अनुरूप गैर-निष्पादक आस्तियों के पहचान कार्य का समय और इस कार्य की पूर्णता; - ऋण जोखिम, ऋण की अवधि व वर्गीकरण, प्रतिभूति के वसूलीयोग्य मूल्य के आधार पर गैर-निष्पादक आस्तियों के लिए प्रावधानीकरण का आकलन - गैर-निष्पादक आस्तियों की अप्राप्त आय को उपयुक्त रूप से हटाना चूंकि अग्रिमों का वर्गीकरण, गैर-निष्पादक आस्तियों का निर्धारण और अग्रिमों पर प्रावधान (लागू आईआरएसीपी के तहत पुनःसंरचित अग्रिमों पर अतिरिक्त प्रावधान सहित) और अग्रिमों पर आय निर्धारण में निम्नांकित पहलू निहित हैं: - उपयुक्त नियंत्रण कार्यप्रणाली और बैंक द्वारा अनुमानों के उच्च स्तर की आवश्यकता; - ये बैंक के समग्र वित्तीय विवरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं; अतः हमने इस क्षेत्र को प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के तौर पर निर्धारित किया है।	- बैंक द्वारा एनपीए के निर्धारण को कवर करने वाली सारभूत लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं सहित अन्य प्रक्रियाओं को निष्पादित करना। इन प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल हैं: क) जहां अग्रिम दर्ज किए गए हैं, उन एप्लीकेशन सिस्टमों से उत्पन्न अपवाद रिपोर्टों के परीक्षण पर विचार करना ख) दबाव की पहचान हेतु, सिडबी और अन्य बैंकों द्वारा विशेष उल्लेख खातों (एसएमए) के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के बड़े ऋणों से संबंधित केंद्रीय भंडार(क्रिलिक) में रिपोर्ट किए गए खातों पर विचार करना ग) मात्रात्मक और गुणात्मक जोखिम कारकों के आधार पर चुनिंदा उधारकर्ताओं की खाता विवरणियों, आहरण शक्ति गणना, प्रतिभूति और अन्य संबंधित जानकारी की समीक्षा करना घ) ऋण और जोखिम समिति की बैठकों के कार्यवृत्त पढ़ना और बैंक से पूछताछ करना ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या किसी ऋण खाते या किसी उत्पाद में दबाव या चूक की घटना के संकेतक थे। ङ) बैंक की नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसार संचालित आंतरिक लेखापरीक्षा और समवर्ती लेखा परीक्षा की प्रमुख टिप्पणियों पर विचार करना च) वर्ष के दौरान बैंक पर आरबीआई की वित्तीय निरीक्षण रिपोर्ट, टिप्पणियों पर बैंक के प्रत्युत्तर तथा आरबीआई के साथ हुए अन्य पत्राचार पर विचार करना छ) बैंक की कोर बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से आईआरएसीपी प्रक्रियाओं के स्वचालन पर आरबीआई परिपत्र के अनुपालन को सत्यापित करने के लिए बैंक द्वारा नियुक्त बाहरी विशेषज्ञ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की समीक्षा करना। ज) भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर परिपत्रों/दिशानिर्देशों के अनुपालन के संबंध में नमूना आधार पर अग्रिमों, दबावग्रस्त / पुनःसंरचित अग्रिमों सहित, का परीक्षण। झ) प्रतिदर्श उधारकर्ताओं के लिए खाता शेष की स्वतंत्र पुष्टि प्राप्त करना। ञ) शाखाओं/कार्यालयों का दौरा तथा अग्रिमों से संबंधित प्रलेखन और अन्य अभिलेखों की जांच करना। चुनिंदा गैर-निष्पादक अग्रिमों के लिए हमने, दबावग्रस्त क्षेत्रों और खाता सारभूतता सहित अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए, नमूना आधार पर आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार आस्ति वर्गीकरण तिथियों, वसूल न हुए ब्याज को हटाने, उपलब्ध प्रतिभूति के मूल्य और प्रावधानों की जांच की। हमने प्रमुख निविष्टि कारकों पर विचार करने के बाद ऐसे नमूनों पर एनपीए हेतु प्रावधान की पुनःगणना की और उसके परिणाम की तुलना प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए आंकड़ो से की।
II. निवेशों का मूल्यांकन, गैर-निष्पादक निवेशों का निर्धारण और उनके लिए प्रावधान (समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूची XV के नोट 3 के साथ पठित अनुसूची VII)	भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्रों/निदेशों के संदर्भ में निवेशों के प्रति हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण/प्रक्रियाओं में मूल्यांकन, वर्गीकरण, गैर-निष्पादक निवेशों (एनपीआई) के निर्धारण और निवेशों से संबंधित प्रावधान/मूल्यह्रास के संबंध में आंतरिक नियंत्रणों और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को समझना शामिल है। विशेष रूप से -

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

निवेशों को राजकोष परिचालन और व्यवसाय परिचालन के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। निवेशों में बैंक द्वारा केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों, बॉण्ड, डिबेंचर, शेयर, म्युचुअल फंड, वीसीएफ और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में किए गए निवेश शामिल हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्रों और निदेशों में अन्य बातों के साथ-साथ निवेशों का मूल्यांकन, निवेशों का वर्गीकरण, गैर-निष्पादक निवेशों का निर्धारण, आय का अनिर्धारण तथा गैर-निष्पादक निवेशों के संबंध में प्रावधान शामिल हैं।

उपर्युक्त प्रतिभूतियों की प्रत्येक श्रेणी (प्रकार) का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों और निदेशों में निर्धारित पद्धति के अनुसार किया जाना है, जिसमें एफबीआईएल / एफआईएमएमडीए दरों, बीएसई/एनएसई पर कोट की गई दरें, गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के वित्तीय विवरण जैसे विभिन्न स्रोतों से आंकड़े/सूचना एकत्र करना शामिल है।

हमने निवेश के मूल्यांकन और गैर-निष्पादक निवेशों के निर्धारण को एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया क्योंकि लागू नियामक दिशानिर्देशों और बैंक की नीतियों के आधार पर कतिपय निवेशों (बॉण्ड और डिबेंचर, वीसीएफ) के मूल्य का निर्धारण करने में प्रबंधन का स्वविवेक शामिल रहता है और एचटीएम बही का ह्रासमान मूल्यांकन प्रबंधन स्वविवेक, नियामकीय अपेक्षाओं पर ध्यान देने की मात्रा और बैंक के वित्तीय परिणामों के लिए उसके समग्र महत्व पर आधारित होता है।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों पर हमारी लेखापरीक्षा किस तरह की गई

- हमने मूल्यांकन, वर्गीकरण, गैर-निष्पादक निवेशों के निर्धारण, गैर-निष्पादक निवेशों पर आय के प्रतिवर्तन और निवेश से संबंधित प्रावधान/मूल्यह्रास के बारे में भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रासंगिक दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन किया और उसे समझा;
- हमने इन निवेशों के बाजार मूल्य का निर्धारण करने के लिए विभिन्न स्रोतों से जानकारी एकत्र करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का आकलन और मूल्यांकन किया;
- मौजूदा निवेश के चुनिंदा नमूनों के लिए, हमने प्रतिभूति की प्रत्येक श्रेणी हेतु पुनः मूल्यांकन करके सटीकता और आरबीआई मास्टर परिपत्रों और निर्देशों के अनुपालन का परीक्षण किया;
- हमने आरबीआई के परिपत्रों और निर्देशों के अनुसार रखे जाने वाले प्रावधान का स्वतंत्र रूप से पुनः परिकलन करने के लिए सारभूत लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं निष्पादित कीं। तदनुसार, हमने प्रत्येक श्रेणी के निवेश से नमूनों का चयन किया और आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार गैर-निष्पादक निवेशों के लिए उनका परीक्षण किया और रखे जाने वाले प्रावधान का पुनः परिकलन किया और यह देखा कि क्या गैर-निष्पादक निवेशों के उन चयनित नमूनों के लिए आय का उपार्जन आरबीआई परिपत्र के अनुसार है।

III. सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और नियंत्रण, जो वित्तीय रिपोर्टिंग को प्रभावित करते हैं

बैंक की प्रमुख वित्तीय लेखांकन और रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं की विद्यमान स्वचालित नियंत्रणों सहित, सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली पर अत्यधिक निर्भर हैं, इस कारण यह जोखिम है कि आईटी नियंत्रण वातावरण में अंतराल के परिणामस्वरूप वित्तीय लेखांकन और रिपोर्टिंग अभिलेखों में बड़ी अशुद्धताएं हो सकती हैं।

आईटी पर्यावरण की व्यापक प्रकृति और जटिलता के साथ-साथ सटीक और समय पर वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए इसके महत्व के कारण, हमने इस क्षेत्र को एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में चिह्नित किया है।

वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए बैंक की आईटी प्रणालियों और संबंधित नियंत्रणों की समीक्षा के लिए हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के एक भाग के रूप में:

- हमने बैंक के आईटी सिस्टम और नियंत्रणों के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया जो वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए अति महत्वपूर्ण हैं।
- उचित समय-अंतराल पर चिह्नित एप्लीकेशन सिस्टमों के लिए एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर ऑडिट कराने के लिए बैंक में एक कार्य प्रणाली विद्यमान है। बैंक द्वारा समुचित समय-अंतरालों पर सूचना प्रणाली (आईएस) लेखापरीक्षा की जाती है।
- हमने वर्ष के दौरान बैंक के आईटी सिस्टम्स पर किए गए ऑडिट से प्राप्त प्रमुख टिप्पणियों की समीक्षा की।

IV. प्रावधानों और आकस्मिक देयताओं का आकलन (समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूची XV की टिप्पणी 10 और 12):

प्रत्यक्ष कर सहित कतिपय मुकदमों, ऋण के रूप में स्वीकार न किए गए अन्य पक्षों द्वारा दायर विभिन्न दावों (समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूची XI) और विभिन्न कर्मचारी हितलाभ योजनाओं (समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूची V) के संबंध में प्रावधानों और आकस्मिक देयताओं के आकलन को एक महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा क्षेत्र के रूप में चिह्नित किया गया ।

कर मामलों और अन्य कानूनी दावों के संबंध में आवश्यक प्रावधान के स्तर का आकलन करने में और प्रावधानों और आकस्मिक देयताओं, दोनों का प्रकटन करने में उच्च स्तर का स्वविवेक शामिल रहता है। बैंक का आकलन मामले के तथ्यों, उसके अपने विवेक, पिछले अनुभव और कानूनी और स्वतंत्र कर परामर्शदाताओं की सलाह, जहाँ आवश्यक समझी जाए, पर आधारित होता है। तदनुसार, अप्रत्याशित प्रतिकूल परिणाम बैंक के रिपोर्ट किए गए लाभ और तुलनपत्र में प्रस्तुत स्थिति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं।

हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण/प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल थे:

- मुकदमों/कर निर्धारण की वर्तमान स्थिति को समझना;
- विभिन्न कर प्राधिकारियों/न्यायिक मंचों से प्राप्त हाल के आदेशों और/या पत्रादि तथा उन पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की जांच करना;
- महत्वपूर्ण चिह्नित किए गए मामलों के गुणदोष का मूल्यांकन उसमें प्रस्तुत आधारों तथा बैंक के कर परामर्शदाताओं की राय सहित उपलब्ध स्वतंत्र कानूनी/कर सलाह के संदर्भ में करना;
- बैंक के मुद्दों की समीक्षा व मूल्यांकन चर्चाओं, विचाराधीन विषयवस्तु के विवरण एकत्र करते हुए उन मुद्दों के संभावित परिणाम और उसके फलस्वरूप संभावित धन निर्गम के दृष्टिकोण से करना; और
- आंकड़ों की पूर्णता और सटीकता सुनिश्चित करना, योजनाओं की आस्तियों के उचित मूल्य का मापन, विशिष्ट योजनाओं और बाजार परिपाटियों के संदर्भ में कर्मचारी देयताओं के मूल्यांकन के लिए प्रबंधन द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली धारणाओं को निर्धारित करने में किए गए निर्णयों को समझना।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले	प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों पर हमारी लेखापरीक्षा किस तरह की गई
कर्मचारी लाभ देयताओं के मूल्यांकन को विविध बीमांकिक धारणाओं और निवष्टियों, बट्टा दर, मुद्रास्फीति की दर और मृत्यु दर सहित, के संदर्भ में परिकलित किया जाता है। इसके संबंध में वित्तपोषित आस्तियों का मूल्यांकन भी धारणाओं में परिवर्तन के प्रति संवेदनशील होता है। जिन मामलों में कानून की व्याख्या, प्रत्येक मामले की परिस्थितियों और शामिल अनुमानों में स्वविवेक लागू करने की आवश्यकता होती है, उन मामलों के परिणामों से जुड़ी हुई अनिश्चितता के मद्देनजर हमने उपर्युक्त क्षेत्र को एक महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा क्षेत्र के रूप में निर्धारित किया	- हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में बीमांकक द्वारा उपयोग की जाने वाली कुछ धारणाओं का मूल्यांकन शामिल है, जो प्रासंगिक मृत्यु दर तालिकाओं के साथ जीवन प्रत्याशा धारणाओं की तुलना, बाहरी बाजार आंकड़ों के प्रति मुद्रास्फीति और बट्टा दर के संदर्भ में किया गया है। हमने योजना आस्तियों का प्रबंधन करने वाली आस्ति प्रबंधन कंपनियों द्वारा प्रदत्त विवरणियों से योजना आस्तियों के मूल्य का सत्यापन किया। - समेकित वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण मुकदमों, कराधान मामलों और कर्मचारी हितलाभ देयताओं से संबंधित प्रकटनों का सत्यापन।

समेकित वित्तीय विवरणों से इतर अन्य जानकारी और उसपर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

5. अन्य जानकारी के लिए बैंक का प्रबंधन उत्तरदायी है। अन्य जानकारी में वार्षिक रिपोर्ट में दी गई जानकारी शामिल है, लेकिन उसमें समेकित वित्तीय विवरण और उसपर हमारे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं है। बैंक की वार्षिक रिपोर्ट इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट की दिनांक के हमें उपलब्ध कराए जाने की संभावना है।

   समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय के अंतर्गत अन्य जानकारी एवं बासेल III प्रकटन के अंतर्गत स्तंभ 3 प्रकटन समाहित नहीं हैं और हम उस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं या करेंगे।

   समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के संबंध में, अन्य जानकारी उपलब्ध कराए जाने पर उसे पढ़ना हमारा उत्तरदायित्व है और ऐसा करते हुए यह देखना है कि क्या अन्य जानकारी समेकित वित्तीय विवरणों से सारभूत रूप से असंगत है अथवा लेखापरीक्षा के जरिए या अन्यथा प्राप्त हमारी जानकारी सारभूत रूप से अयथार्थ प्रतीत होती है। जब हम बैंक की वार्षिक रिपोर्ट पढ़कर इस निष्कर्ष पर पहुंचें कि इस अन्य जानकारी की सारभूत रूप से गलतबयानी की गई है, तो आवश्यक है कि हम उक्त मामले में उन लोगों को सूचित करें जिनके पास अभिशासन का प्रभार है।

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु प्रबंधन एवं अभिशासन के प्रभारियों के उत्तरदायित्व

6. बैंक का प्रबंधन भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के सामान्य विनियम, 2000 और आईसीएआई द्वारा जारी लागू लेखा मानकों एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों और दिशानिर्देशों सहित भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार इन समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार और प्रस्तुत किए जाने के संबंध में उत्तरदायी है जो सहयोगी संस्थाओं सहित समूह की समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय कार्यनिष्पादन और समेकित नकदी प्रवाह को सही और उचित रूप में दर्शाते हैं। समूह और इसकी सहयोगी संस्थाओं में शामिल संस्थाओं के संबंधित प्रबंधन बैंक की आस्तियों की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का पता लगाने और रोकने के लिए पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव करने; उपयुक्त लेखांकन नीतियों के चयन और कार्यान्वयन; उचित और विवेकपूर्ण निर्णय लेने और अनुमान लगाने ; और ऐसे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के नियतन, कार्यान्वयन एवं रखरखाव के लिए उत्तरदायी हैं, जो लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम करें और सही और उचित स्थिति दर्शाने वाले ऐसे समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार और प्रस्तुत करने के लिए प्रासंगिक हों, जो धोखाधड़ी या त्रुटिजन्य गलतबयानियों से मुक्त हों।

   समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में, समूह और इसकी सहयोगी संस्थाओं में शामिल संस्थाओं के संबंधित प्रबंधन सतत संस्था के रूप में जारी रहने की समूह और इसकी सहयोगी संस्थाओं की क्षमता का आकलन करने, सतत संस्था से जुड़े मामलों को प्रकट करने, जैसा लागू हो, और लेखांकन के सतत संस्था आधार का इस्तेमाल करने के लिए उत्तरदायी है, जब तक कि प्रबंधन का इरादा समूह का परिसमापन करने या परिचालन बंद करने का न हो या ऐसा करने का कोई यथार्थपरक विकल्प न हो। समूह और इसकी सहयोगी संस्थाओं में शामिल संस्थाओं के संबंधित प्रबंधन समूह और इसकी सहयोगी संस्थाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करने के लिए भी जिम्मेदार है।

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों के उत्तरदायित्व

7. हमारे उद्देश्य हैं कि समेकित वित्तीय विवरणों के समग्रत: सारभूत गलतबयानियों, चाहे वे धोखाधड़ीजन्य हों या त्रुटिजन्य, से मुक्त होने के संबंध में समुचित आश्वासन प्राप्त किया जाए और हमारी राय को समाहित करते हुए लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी की जाए। समुचित आश्वासन से तात्पर्य एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार संचालित लेखापरीक्षा, किसी सारभूत गलतबयानी के विद्यमान होने पर हमेशा उसकी पहचान कर सकेगी। गलतबयानियाँ धोखाधड़ी या त्रुटि के फलस्वरूप हो सकती हैं और उन्हें तब सारभूत माना जाता है, जब यह संभावना हो कि इन समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर प्रयोक्ताओं द्वारा किए गए आर्थिक निर्णयों को ये गलतबयानियाँ अलग-अलग या सामूहिक रूप से प्रभावित कर सकती हों।

   लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा के हिस्से के रूप में, हम पेशेवर विवेक का इस्तेमाल करते हैं और पूरी लेखापरीक्षा के दौरान पेशेवर संशयात्मकता बनाए रखते हैं। इसके अतिरिक्त हम:

   - समेकित वित्तीय विवरणों में सारभूत गलतबयानी के जोखिमों की पहचान कर उनका आकलन करते हैं, चाहे वे धोखाधड़ीजन्य हों या त्रुटिजन्य, उन जोखिमों के प्रति अनुक्रियाशील लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार और निष्पादित करते हैं और ऐसे लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते

हैं जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हो। त्रुटिजन्य गलतबयानी की तुलना में धोखाधड़ीजन्य गलतबयानी का पता न लगने पर जोखिम अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, इरादतन चूक, त्रुटिपूर्ण कथन या आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना शामिल हो सकते हैं।

- लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रणों की समझ हासिल करते हैं, ताकि ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन किया जा सके जो उन परिस्थितियों में उपयुक्त हों, किंतु वे बैंक के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता पर राय व्यक्त करने के लिए नहीं होतीं।

- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और किए गए लेखांकन अनुमानों और प्रबंधन द्वारा संबंधित प्रकटनों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करते हैं।

- प्रबंधन द्वारा लेखांकन के सतत संस्था आधार के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालते हैं और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर यह निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई सारभूत अनिश्चितता मौजूद है जो सतत संस्था के रूप में जारी रहने की बैंक की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हमारा निष्कर्ष होता है कि सारभूत अनिश्चितता विद्यमान है, तो यह अपेक्षित है कि हम अपनी लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में समेकित वित्तीय विवरणों के संबंधित प्रकटीकरण की ओर ध्यान आकर्षित करें अथवा यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हों, तो अपनी राय संशोधित करें। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की दिनांक तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। तथापि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण समूह और इसकी सहयोगी संस्थाओं का एक सतत संस्था के रूप में जारी रहना बंद हो सकता है।

- प्रकटीकरण सहित समेकित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषयवस्तु का मूल्यांकन करते हैं और यह देखते हैं कि क्या समेकित वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस तरह से दर्शाते हैं जिससे उचित प्रस्तुति होती हो।

- समेकित वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए समूह और इसकी सहयोगी संस्थाओं में शामिल संस्थाओं की वित्तीय जानकारी से संबंधित पर्याप्त उपयुक्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं। समेकित वित्तीय विवरणों के स्वतंत्र लेखापरीक्षक के रूप में, हम इनमें शामिल बैंक की वित्तीय जानकारी की लेखापरीक्षा के निर्देशन, पर्यवेक्षण और कार्यनिष्पादन के लिए उत्तरदायी हैं। समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल अन्य संस्थाओं, जिनकी लेखापरीक्षाएँ अन्य लेखापरीक्षकों ने की हैं, की लेखापरीक्षा के निर्देशन, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए वे अन्य लेखापरीक्षक उत्तरदायी हैं। हम अपनी लेखापरीक्षा राय के लिए पूर्णतः उत्तरदायी हैं। इस संबंध में हमारे उत्तरदायित्वों का अधिक विवरण इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट में 'अन्य मामले' के अंतर्गत दिया गया है।

सारभूतता समेकित वित्तीय विवरणों में विद्यमान गलतबयानी की वह मात्रा है, जो अलग-अलग या सामूहिक रूप से यह संभाव्यता पैदा करती है कि वित्तीय विवरणों के पर्याप्त जानकार प्रयोक्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने में; और (ii) वित्तीय विवरणों में चिह्नित किसी गलतबयानी के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए मात्रात्मक सारभूतता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम उन लोगों के साथ संवाद करते हैं जिन पर, अन्य मामलों के साथ-साथ, लेखापरीक्षा के दौरान हमारे द्वारा चिह्नित की जाने वाली किसी महत्वपूर्ण कमी सहित, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे एवं समय और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों से संबंधित अभिशासन का प्रभार है।

हम अभिशासन के प्रभारियों को इस आशय का कथन भी प्रस्तुत करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन किया है और ऐसे सभी संबंधों तथा अन्य मामलों, और जहां लागू हों वहां संबंधित सुरक्षा उपायों, की जानकारी देते हैं जिनके विषय में तर्कसंगत रूप से यह सोचा जा सकता है कि वे हमारी स्वतंत्रता पर प्रभाव डालेंगे।

अभिशासन के प्रभारियों को सूचित किए गए मामलों में से हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं जो चालू अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपनी लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन उक्त मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता न हो अथवा जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हमने यह न निर्धारित किया हो कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में सूचित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसी पर्याप्त संभावना है कि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम इस तरह की सूचना देने से होने वाले सार्वजनिक हित लाभों से अधिक होंगे।

8. अन्य मामले

इन समेकित वित्तीय परिणामों में प्रधान कार्यालय सहित उन 33 शाखाओं की संबंधित विवरणियों का समावेश है, जिनका दौरा/ लेखापरीक्षा हमारे द्वारा की गई है, जिसके अंतर्गत यथा 31 मार्च 2025 को अग्रिमों का 82.53%, जमाराशियों का 98.54%, उधारियों का 100% तथा 01.04.2024 से 31.03.2025 तक की अवधि हेतु अग्रिमों पर ब्याज आय का 82.83%, जमा पर ब्याज व्यय का 97.27% और उधारों पर ब्याज-व्यय का 99.77% समाहित हैं। इन शाखाओं का चयन बैंक प्रबंधन के परामर्श से किया गया है। अपनी लेखापरीक्षा संपन्न करने के दौरान, हम बैंक की उन शेष शाखाओं से प्राप्त विभिन्न सूचनाओं और विवरणियों पर निर्भर रहे हैं, जिनके दौरे हमने नहीं किए। ये सूचनाएं और विवरणियाँ प्रधान कार्यालय के केंद्रीकृत डेटाबेस के माध्यम से जनित थी।

समेकित वित्तीय परिणामों में 3 (तीन) सहायक संस्थाओं के गैरलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम शामिल हैं, जिनके वित्तीय विवरण / वित्तीय परिणाम / वित्तीय जानकारी निम्नवत दर्शाते हैं : यथा 31 मार्च 2025 को रु.36,853 करोड़ की कुल आस्तियाँ, 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष हेतु रु. 2,286 करोड़ का कुल राजस्व और रु. 819 करोड़ का कुल कर-पश्चात निवल लाभ और उसी तारीख को समाप्त वर्ष हेतु रु. 1,007 करोड़ की कुल निवल नकदी अंतर्प्रवाह। साथ ही, इनमें 5 सहयोगी संस्थाओं के गैरलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम भी शामिल हैं, जिनके वित्तीय विवरण / वित्तीय परिणाम / वित्तीय जानकारी 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु समूह के निवल लाभ में

इनका रु 0.36 करोड़ का हिस्सा दर्शाते हैं, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में लिया गया है तथा इनकी लेखापरीक्षा हमारे द्वारा नहीं की गई है। ये गैर-लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण / वित्तीय परिणाम / वित्तीय जानकारी बैंक प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत किए गए हैं और समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, जहाँ तक वह इन सहायक संस्थाओं और सहयोगी संस्थाओं के संबंध मे शामिल राशियों और प्रकटीकरण से संबंधित हैं, पूर्णतः उक्त गैर-लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों / वित्तीय परिणामों / वित्तीय जानकारी पर आधारित है। हम प्रबंधन के इस आशय के आश्वासन पर निर्भर रहे हैं कि यदि लेखापरीक्षा के फलस्वरूप इन सहायक और सहयोगी संस्थाओं के रिपोर्ट किए गए आँकड़ों में किन्हीं परिवर्तनो / समायोजनों की आवश्यकता पड़ी, तो वे समूह के लिए सारभूत नहीं होंगे।

इसके अतिरिक्त, जो सहयोगी संस्थाएँ गैर-निष्पादक हैं या जिनमें बैंक का पर्याप्त प्रभाव नहीं है, उन्हें समेकत्र में शामिल नहीं किया गया है। साथ ही, एक अन्य सहयोगी संस्था को शामिल नहीं किया गया है क्योंकि बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उन्हें विनिवेशित करने की योजना है।

उक्त मामलों के संबंध में और अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा किए गए कार्य तथा दी गई रिपोर्टों और प्रबंधन द्वारा प्रमाणित वित्तीय विवरण / वित्तीय जानकारी पर हमारी निर्भरता के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय और नीचे दी गई अन्य कानूनी एवं विनियामक अपेक्षाओं पर हमारी रिपोर्ट में हमारी कोई अलग राय नहीं है।

अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

9. समेकित वित्तीय विवरण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस) 21, "समेकित वित्तीय विवरण", लेखांकन मानक (एएस) 23, "समेकित वित्तीय विवरणों में सहयोगी संस्थाओ में निवेशों का लेखांकन" के अनुसार बैंक प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए हैं।

हम रिपोर्ट करते हैं कि:

क) हमने ऐसी सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, हमारी लेखापरीक्षा संबंधी प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे और उन्हें संतोषजनक पाया है;

ख) हमारी राय में, बैंक ने उक्त समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने से संबंधित विधि द्वारा अपेक्षित लेखा-बहियों का समुचित रूप से रख-रखाव किया है, जहाँ तक कि उन लेखा-बहियों की हमारी जाँच और अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट से पता चलता है;

ग) इस रिपोर्ट द्वारा जिस समेकित तुलनपत्र और समेकित लाभ-हानि लेखा तथा समेकित नकदी प्रवाह विवरण पर विचार किया गया है, वह उन संबंधित लेखा-बहियों के अनुरूप है, जिनका रखरखाव समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के प्रयोजन से किया गया था;

घ) हमारी राय में, उक्त समेकित वित्तीय विवरण लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।

कृते जे. काला एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 118769W

(जयेश काला)
भागीदार
एम नं. : 101686
यूडीआईएन:25101686BMJL017565

दिनांक: 29 अप्रैल 2025
स्थान : मुंबई

समेकित तुलनपत्र

यथा 31 मार्च, 2025

(₹)

	अनुसूची	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
पूँजी और देयताएँ			
पूँजी	I	5,68,54,11,689	5,68,54,11,689
आरक्षितियाँ, अधिशेष और निधियाँ	II	3,90,51,08,25,013	3,35,78,09,65,126
जमा	III	22,47,51,21,22,009	24,14,15,79,65,591
उधार	IV	31,70,36,97,05,448	27,05,45,48,39,639
अन्य देयताएँ एवं प्रावधान	V	1,95,04,63,33,286	1,44,78,11,73,660
आस्थगित कर देयता		-	-
योग		**60,09,12,43,97,445**	**56,05,86,03,55,705**
आस्तियाँ			
नकद एवं बैंक शेष	VI	2,49,74,75,78,021	3,35,43,55,85,397
निवेश	VII	4,53,53,49,61,147	3,47,52,87,63,365
ऋण एवं अग्रिम	VIII	52,30,38,51,75,892	48,49,33,05,27,317
अचल आस्तियाँ	IX	2,80,70,45,555	2,86,90,71,156
अन्य आस्तियाँ	X	72,64,96,36,830	70,69,64,08,470
योग		**60,09,12,43,97,445**	**56,05,86,03,55,705**
आकस्मिक देयताएँ	XI	31,60,99,11,919	37,97,40,02,169

समेकित महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ (अनुसूची XV) तथा लेखांकन विषयक टिप्पणियाँ (अनुलग्नक I)
उक्त अनुसूचियाँ तुलन-पत्र का अविभाज्य भाग हैं।

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते जे. काला एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन.118769W

जयेश काला
भागीदार
सदस्यता क्र. 101686

निदेशक मण्डल के आदेश से

वाई एम कुमारी
मुख्य वित्तीय अधिकारी

प्रकाश कुमार
उप प्रबंध निदेशक

सुदत्त मंडल
उप प्रबंध निदेशक

मनोज मित्तल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

लक्ष्मी चंद मीना
निदेशक

पी जे थॉमस
निदेशक

स्थान: मुंबई
दिनांक: 29 अप्रैल, 2025

समेकित लाभ-हानि लेखे

31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्त वर्ष

(₹)

	अनुसूची	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
आय			
ब्याज एवं बट्टा	XII	4,00,98,09,80,982	3,36,09,94,87,811
अन्य आय	XIII	6,54,72,40,588	6,21,82,95,820
कुल		**4,07,52,82,21,570**	**3,42,31,77,83,631**
व्यय			
ब्याज एवं वित्तीय प्रभार		2,95,10,42,77,230	2,39,00,18,67,673
परिचालन व्यय	XIV	14,59,56,91,105	18,88,84,43,685
प्रावधान एवं आकस्मिक व्यय		23,11,82,38,737	20,87,69,45,401
कुल		**3,32,81,82,07,072**	**2,78,76,72,56,759**
कर-पूर्व लाभ		**74,71,00,14,498**	**63,55,05,26,872**
आयकर हेतु प्रावधान		23,79,66,78,369	20,96,84,14,972
आस्थगित कर समायोजन [(आस्ति) / देयता]		(5,04,61,80,880)	(5,54,52,09,931)
सहयोगी संस्थाओं के अर्जन/हानि में भाग		(36,00,631)	(9,60,75,879)
कर-पश्चात् लाभ		**55,96,31,17,640**	**48,22,33,97,710**
अग्रानीत लाभ		15,91,36,84,000	9,44,60,87,264
कुल लाभ/(हानि)		**71,87,68,01,640**	**57,66,94,84,974**
विनियोजन			
साधारण आरक्षिति में अंतरण		44,56,35,20,878	37,14,57,71,448
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षिति में अंतरण		2,05,00,00,000	1,65,00,00,000
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईसी के अंतर्गत सांविधिक आरक्षिति में अंतरण		1,63,31,28,382	1,62,93,94,375
अन्य			
क) निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षिति में अंतरण		-	2,50,52,813
स्टाफ कल्याण निधि में अंतरण		20,00,00,000	16,85,00,000
विकास निधि		-	-
शेयरों पर लाभांश		1,13,70,82,338	1,13,70,82,338
लाभांश पर कर		-	-
लाभ एवं हानि खाते में अधिशेष को आगे लाया गया		22,29,30,70,042	15,91,36,84,000
कुल		**71,87,68,01,640**	**57,66,94,84,974**
प्रति शेयर मूल/मिश्रित आय		98.43	84.82

समेकित महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां (अनुसूची XV) और लेखा टिप्पणियां (अनुलग्नक I)

ऊपर उल्लिखित अनुसूचियाँ लाभ और हानि खाते का अभिन्न अंग हैं।

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते जे. काला एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन.118769W

जयेश काला
भागीदार
सदस्यता क्र. 101686

निदेशक मण्डल के आदेश से

वाई एम कुमारी
मुख्य वित्तीय अधिकारी

प्रकाश कुमार
उप प्रबंध निदेशक

सुदत्त मंडल
उप प्रबंध निदेशक

मनोज मित्तल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

लक्ष्मी चंद मीना
निदेशक

पी जे थॉमस
निदेशक

स्थान: मुंबई
दिनांक: 29 अप्रैल, 2025

समेकित तुलन-पत्र की अनसूचियाँ

पूंजी और देयताएँ

अनुसूची I: पूंजी

(₹)

	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
(क) प्राधिकृत पूंजी		
- ईक्विटी शेयर पूँजी (₹10 प्रति शेयर की दर से 75,00,00,000 ईक्विटी शेयर)	7,50,00,00,000	7,50,00,00,000
- अधिमानी शेयर पूँजी (₹10 रुपये प्रति शेयर की दर से 25,00,00,000 मोचनीय अधिमानी शेयर)	2,50,00,00,000	2,50,00,00,000
ख) निर्गमित, अभिदत्त और चुकता पूँजी :		
- ईक्विटी शेयर पूँजी (₹10 प्रति शेयर की दर से 56,85,41,169 ईक्विटी शेयर)	5,68,54,11,689	5,68,54,11,689
- अधिमानी शेयर पूँजी	-	-
योग	**5,68,54,11,689**	**5,68,54,11,689**

अनुसूची II: आरक्षितियां, अधिशेष और निधियां

(₹)

	मार्च 31, 2025	मार्च 31, 2024
क) आरक्षितियाँ		
i) सामान्य आरक्षितियाँ		
- अथ शेष	2,59,75,37,25,915	2,22,62,88,82,397
- वर्ष के दौरान जोड़ी गई	44,52,30,74,772	37,12,48,43,518
- वर्ष के दौरान उपयोजित राशि	-	-
- इति शेष	**3,04,27,68,00,687**	**2,59,75,37,25,915**
ii) शेयर प्रीमियम		
- अथ शेष	30,54,25,88,310	30,54,25,88,310
- वर्ष के दौरान जोड़ी गई	-	-
- वर्ष के दौरान उपयोजित राशि	-	-
- इति शेष	**30,54,25,88,310**	**30,54,25,88,310**
iii) विशिष्ट आरक्षित निधियाँ		
क) निवेश हेतु आरक्षित निधि		
- अथ शेष	-	-
- वर्ष के दौरान जोड़ी गई	-	-
- वर्ष के दौरान उपयोजित राशि	-	-
- इति शेष	**-**	**-**
ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत निर्मित एवं सुरक्षित विशेष आरक्षितियां		
- अथ शेष	20,17,00,00,000	18,52,00,00,000
- वर्ष के दौरान जोड़ी गई	2,05,00,00,000	1,65,00,00,000
- वर्ष के दौरान उपयोजित राशि	-	-
- इति शेष	**22,22,00,00,000**	**20,17,00,00,000**

समेकित तुलन-पत्र की अनसूचियाँ

(₹)

		मार्च 31, 2025	मार्च 31, 2024
ग)	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 45-आईसी के अंतर्गत निर्मित सांविधिक आरक्षितियाँ		
	- अथ शेष	4,92,53,61,734	3,29,59,67,359
	- वर्ष के दौरान जोड़ी गई	1,63,07,91,947	1,62,70,57,940
	- वर्ष के दौरान उपयोजित राशि		
	- इति शेष	**6,55,61,53,681**	**4,92,30,25,299**
घ)	अन्य आरक्षितियाँ		
i)	**निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षितियाँ**		
	- अथ शेष	1,28,40,05,768	1,25,89,52,955
	- वर्ष के दौरान जोड़ी गई	-	2,50,52,813
	- वर्ष के दौरान उपयोजित राशि		
	- इति शेष	**1,28,40,05,768**	**1,28,40,05,768**
ख)	लाभ-हानि लेखे में अधिशेष	22,29,30,70,042	15,91,36,84,000
ग)	निधियाँ		
क)	राष्ट्रीय ईक्विटी निधि		
	- अथ शेष	2,65,61,42,832	2,65,61,42,832
	- वर्ष के दौरान जोड़ी गई	-	-
	- वर्ष के दौरान उपयोजित राशि	-	-
	- इति शेष	**2,65,61,42,832**	**2,65,61,42,832**
ख)	स्टाफ कल्याण निधि		
	- अथ शेष	51,77,93,003	40,24,51,534
	- वर्ष के दौरान जोड़ी गई	20,00,00,000	16,85,00,000
	- वर्ष के दौरान उपयोजित राशि	5,57,29,310	5,31,58,531
	- इति शेष	**66,20,63,693**	**51,77,93,003**
स)	अन्य	2,00,00,000	2,00,00,000
योग		**3,90,51,08,25,013**	**3,35,78,09,65,126**

अनुसूची III: जमाएं

(₹)

		मार्च 31, 2025	मार्च 31, 2024
क)	**सावधि जमा**	1,44,74,77,49,607	1,25,99,96,09,590
ख)	**बैंकों से**		
	क) एमएसएमई पुनर्वित्त निधि के अंतर्गत	17,64,60,14,30,000	18,91,19,34,36,000
	ख) एमएसएमई उद्यम जोखिम पूँजी निधि के अंतर्गत	-	-
	ग) अन्य - विदेशी और निजी क्षेत्र के बैंकों से	31,65,49,75,000	31,65,49,75,000
	घ) एमएसएमई भारत नवाकांक्षा निधि के अंतर्गत	14,99,40,70,001	14,99,40,70,001
	च) एमएसएमई क्षेत्र की उद्यम पूँजी निधि 2014-15 के अंतर्गत	-	-
	छ) प्राथमिकता क्षेत्र शॉर्टफॉल के अंतर्गत	2,91,51,38,97,401	3,50,31,58,75,000
उप - योग (ख)		**21,02,76,43,72,402**	**22,88,15,83,56,001**
कुल		**22,47,51,21,22,009**	**24,14,15,79,65,591**

समेकित तुलन-पत्र की अनसूचियाँ

अनुसूची IV: उधारियां

(₹)

		मार्च 31, 2025	मार्च 31, 2024
(I)	**भारत में उधारियां**		
1.	भारतीय रिज़र्व बैंक से	-	-
2.	भारत सरकार से (भारत सरकार द्वारा अभिदत्त बॉण्ड सहित)	4,10,81,90,830	4,36,28,02,083
3.	बॉण्ड और डिबेंचर	12,02,61,64,00,000	8,11,80,29,00,000
4.	अन्य स्रोतों से		
	- वाणिज्यिक पत्र	1,61,75,00,00,000	2,25,24,00,00,000
	- जमा राशियों के प्रमाणपत्र	4,08,70,00,00,000	3,54,90,00,00,000
	- बैंकों से सावधि ऋण	11,33,17,74,02,599	10,88,19,00,00,000
	- सावधि राशि उधारियाँ	-	-
	- अन्य	2,48,04,62,76,130	1,89,37,08,41,814
उप-योग (I)		**31,58,39,82,69,559**	**26,73,86,65,43,897**
(II)	**भारत से बाहर की उधारियाँ**		
	(क) के.एफ.डब्ल्यू. जर्मनी	6,81,50,53,292	1,38,94,71,253
	(ख) जापान इंटरनेशनल को-ऑपरेशन एजेंसी (जाइका)	4,19,89,00,553	6,07,59,66,719
	(ग) आईएफएडी, रोम	95,74,82,044	99,22,22,858
	(घ) विश्व बैंक	-	22,85,75,57,273
	(च) अन्य	-	27,30,77,639
उप-योग (II)		**11,97,14,35,889**	**31,58,82,95,742**
योग (I व II)		**31,70,36,97,05,448**	**27,05,45,48,39,639**

अनुसूची V: अन्य देयताएँ और प्रावधान:

(₹)

	मार्च 31, 2025	मार्च 31, 2024
उपचित ब्याज	69,35,83,59,621	49,41,12,91,618
सिडबी कर्मचारी भविष्य निधि हेतु प्रावधान	4,63,09,37,137	4,17,08,65,424
सिडबी पेंशन निधि के लिए प्रावधान	64,96,91,844	1,12,40,51,149
सिडबी कर्मचारी के अन्य हितलाभ हेतु प्रावधान	3,39,84,36,530	3,36,22,20,869
विदेशी मुद्रा दर उतार-चढ़ाव हेतु प्रावधान	1,53,73,62,767	1,53,73,62,767
मानक आस्तियों के प्रति किए गए आकस्मिकता प्रावधान	59,96,42,87,462	37,32,89,29,259
प्रस्तावित लाभांश (लाभांश पर कर सहित)	1,13,70,82,338	1,13,70,82,338
निधियाँ यथा आंकाक्षा निधि, स्टार्ट अप के लिए निधियों की निधि, पीआरएफ, पीआरएसएफ आदि	41,96,94,06,251	33,27,13,78,808
अस्थिर प्रावधान	4,95,67,37,932	4,95,67,37,932
अन्य (प्रावधानों सहित)	7,44,40,31,404	8,48,12,53,496
योग	**1,95,04,63,33,286**	**1,44,78,11,73,660**

समेकित तुलन-पत्र की अनसूचियाँ

आस्तियाँ

अनुसूची VI: नकदी एवं बैंक शेष

(₹)

	मार्च 31, 2025	मार्च 31, 2024
1. हाथ में नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक मे शेष राशियाँ	6,26,065	6,08,479
2. अन्य बैंकों में शेष राशियाँ		
(क) भारत में		
i) चालू खातों में	2,36,61,13,499	1,93,97,47,338
ii) अन्य जमा खातों में	2,47,37,45,09,304	3,33,47,76,70,702
(ख) भारत के बाहर		
i) चालू खातों में	63,29,153	1,75,58,878
ii) अन्य जमा खातों में	-	-
योग	**2,49,74,75,78,021**	**3,35,43,55,85,397**

अनुसूची VII: निवेश [प्रावधानों को घटाकर]

(₹)

	मार्च 31, 2025	मार्च 31, 2024
क) राजकोषीय परिचालन		
1. केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियाँ	3,39,80,04,69,838	2,69,04,48,00,772
2. बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बॉण्ड और डिबेंचर	19,50,59,38,570	19,53,22,74,081
3. औद्योगिक प्रतिष्ठानों के स्टॉक, शेयर, बॉण्ड और डिबेंचर	46,93,62,000	51,56,74,010
4. म्युचुअल फंड	-	-
5. वाणिज्यिक पत्र	47,64,56,00,724	17,96,12,57,158
6. जमा प्रमाणपत्र	31,80,45,40,753	15,55,01,34,525
7. अन्य	-	11,00,00,00,000
उप-योग (क)	**4,39,22,59,11,885**	**3,33,60,41,40,546**
ख) व्यवसाय परिचालन		
1. बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के शेयर	1,61,51,09,902	1,61,51,09,902
2. बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के बॉण्ड और डिबेंचर	5,65,33,000	30,06,000
3. औद्योगिक प्रतिष्ठानों के स्टॉक, शेयर, बॉण्ड और डिबेंचर	3,90,85,00,059	3,48,01,67,561
4. सहायक संस्थाओं में निवेश	11,00,00,000	11,00,00,000
5. उद्यम पूँजी निधि में निवेश- आरसीएफ	3,94,92,78,610	4,67,17,29,716
6. अन्य	4,66,96,27,691	4,04,46,09,640
उप-योग (ख)	**14,30,90,49,262**	**13,92,46,22,819**
योग (क + ख)	**4,53,53,49,61,147**	**3,47,52,87,63,365**

समेकित तुलन-पत्र की अनसूचियाँ

अनुसूची VIII: ऋण और अग्रिम [प्रावधानों का घटाकर]

(₹)

		मार्च 31, 2025	मार्च 31, 2024
क)	**निम्नलिखित को पुनर्वित्त**		
-	बैंक एवं वित्तीय संस्थाएँ	40,87,50,16,83,749	38,70,61,09,04,304
-	अल्प वित्त संस्थाएँ	75,09,40,09,035	1,10,09,89,88,118
-	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसी)	6,56,91,47,42,850	5,72,99,80,45,997
-	पुनर्भुनाए गए बिल	-	-
-	अन्य (प्रभाव अंतरण प्रमाणपत्र / पीटीसी अभिदान)	3,75,45,80,166	6,25,19,65,911
उप-योग (क)		**48,23,26,50,15,800**	**45,59,95,99,04,330**
ख)	**प्रत्यक्ष ऋण**		
-	ऋण एवं अग्रिम	3,85,42,39,03,063	2,75,09,88,63,090
-	प्राप्य वित्त योजना	-	-
-	भुनाए गए बिल	21,69,62,57,029	14,27,17,59,897
उप-योग (ख)		**4,07,12,01,60,092**	**2,89,37,06,22,987**
योग (क + ख)		**52,30,38,51,75,892**	**48,49,33,05,27,317**

अनुसूची IX: अचल आस्तियां [मूल्यह्रास को घटा कर]

(₹)

		मार्च 31, 2025	मार्च 31, 2024
1.	परिसर	2,74,17,59,764	2,81,35,50,735
2.	अन्य	6,52,85,791	5,55,20,421
योग		**2,80,70,45,555**	**2,86,90,71,156**

अनुसूची X : अन्य आस्तियां:

(₹)

	मार्च 31, 2025	मार्च 31, 2024
उपचित ब्याज	26,52,36,93,380	35,23,30,06,025
अग्रिम कर (प्रवाधान को घटा कर)	5,17,75,11,923	2,91,21,99,953
स्टाफ ऋण	2,65,32,97,934	2,23,69,85,494
व्युत्पन्न आस्तियाँ	53,98,51,268	4,56,03,84,977
व्यय, जो बट्टे खाते में नहीं डाला गया है	24,11,11,88,472	16,76,79,45,998
अन्य	13,64,40,93,853	8,98,58,86,023
योग	**72,64,96,36,830**	**70,69,64,08,470**

अनुसूची XI: आकस्मिक देयताएँ

(₹)

		March 31, 2025	March 31, 2024
i)	बैंक पर वे दावे, जिन्हें ऋण नहीं माना गया है	6,32,89,48,451	9,89,43,47,386
ii)	गारंटियों / साख-पत्रों के फलस्वरूप	88,47,44,343	67,38,62,553
iii)	वायदा संविदाओं के फलस्वरूप	12,05,81,52,678	72,24,92,243
iv)	प्रतिबद्धताओं की हामीदारी के फलस्वरूप	-	-
v)	आंशिक रूप से चुकता शेयरों, डिबेंचरों पर न मांगी गई राशियों, वीसीएफ के अंतर्गत आहरित नहीं की गई प्रतिबद्धता इत्यादि के फलस्वरूप	81,61,31,595	97,00,54,081
vi)	व्युत्पन्नी संविदाओं के लिए	11,52,19,34,852	25,71,32,45,906
vii)	अन्य मदें, जिनके लिए बैंक की आकस्मिक देयता है (व्युत्पन्नी संविदाएँ इत्यादि)	-	-
योग		**31,60,99,11,919**	**37,97,40,02,169**

समेकित लाभ एवं हानि लेखे की अनुसूचियाँ

अनुसूची XII: ब्याज एवं बट्टा

(₹)

	मार्च 31, 2025	मार्च 31, 2024
1. ऋणों, अग्रिमों एवं बिलों पर ब्याज एवं बट्टा	3,45,99,62,71,737	2,84,85,05,93,418
2. निवेश/बैंक शेष पर आय	54,98,47,09,245	51,24,88,94,393
योग	**4,00,98,09,80,982**	**3,36,09,94,87,811**

अनुसूची XIII: अन्य आय :

(₹)

	मार्च 31, 2025	मार्च 31, 2024
1. अपफ्रंट एवं प्रक्रिया शुल्क	1,13,46,89,594	1,37,32,98,452
2. कमीशन और ब्रोकरेज	2,84,42,684	2,02,56,743
3. निवेशों के विक्रय पर लाभ	1,57,72,25,242	86,71,24,405
4. सहायक / सहयोगी कंपनियों से लाभांश आदि के माध्यम से अर्जित आय	61,19,996	61,19,996
5. पिछले वर्षों के प्रावधान का प्रतिलेखन	-	-
6. अशोध्य ऋणों से वसूली	2,56,63,75,233	2,27,76,44,029
7. प्रावधानों का प्रतिवर्तन / एफसीएल के अंतर्गत ईआरएफएफ	-	-
8. अन्य	1,23,43,87,839	1,67,38,52,195
योग	**6,54,72,40,588**	**6,21,82,95,820**

अनुसूची XIV: परिचालन व्यय :

(₹)

	मार्च 31, 2025	मार्च 31, 2024
कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान	7,80,63,60,129	8,34,28,60,344
किराया, कर एवं प्रकाश व्यवस्था	25,61,58,464	21,93,44,266
मुद्रण और स्टेशनरी, डाक/कूरियर और टेलीफोन और बीमा	2,39,52,180	2,30,92,315
विज्ञापन एवं प्रचार	9,31,19,265	29,63,67,789
बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास/परिशोधन	22,05,27,331	61,89,71,613
निदेशकों के शुल्क, भत्ते एवं व्यय	69,12,267	78,59,229
लेखापरीक्षकों के शुल्क	53,09,233	46,35,257
विधिक प्रभार	3,23,17,720	2,54,79,948
मरम्मत एवं अनुरक्षण	68,26,00,621	41,67,10,875
निर्गम व्यय	5,82,40,586	7,77,36,100
पूँजी प्रतिबद्धता, प्रबंधन शुल्क आदि।	59,77,75,349	13,37,33,616
अनुपलब्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट	48,70,26,632	31,67,48,282
अन्य व्यय	4,32,53,91,328	8,40,49,04,051
योग	**14,59,56,91,105**	**18,88,84,43,685**

अनुसूची XV- समेकित महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

1. तैयार करने का आधार

समेकित वित्तीय विवरण सभी महत्वपूर्ण दृष्टियों से भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989(मूल) एवं उसके विनियमों, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित प्रयोज्य विवेकपूर्ण मानदण्डों, कंपनी अधिनियम 2013 के लागू उपबंधों, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी प्रयोज्य लेखा मानकों और बैंकिंग उद्योग में प्रचलित पद्धतियों के अनुपालन में तैयार किए गए हैं। जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो, समेकित वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत पद्धति के अंतर्गत उपचय आधार पर तैयार किए गए हैं। जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (बैंक अथवा सिडबी) द्वारा लागू की गई लेखा-नीतियाँ पिछले वर्ष प्रयोग की गई नीतियों के अनुरूप हैं।

आकलनों का प्रयोग:

सामान्यत: स्वीकार्य लेखांकन सिद्धान्तों की अनुरूपता में समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन से अपेक्षित होता है कि वह ऐसे आकलन और अनुमान करे, जो समेकित वित्तीय विवरण की तारीख में आस्तियों और देयताओं की रिपोर्ट की गई राशियों, आकस्मिक देयताओं के प्रकटन और रिपोर्टिंग अवधि हेतु रिपोर्ट की गई आय और व्यय को प्रभावित करते हैं। प्रबंधन का मानना है कि ये अनुमान और मान्यताएँ उचित और विवेकपूर्ण हैं। तथापि वास्तविक परिणाम उक्त आकलनों से भिन्न हो सकते हैं। लेखा आकलनों में किसी पुनरीक्षण का निर्धारण संबंधित लेखा-मानक की अपेक्षाओं के अनुरूप भविष्यलक्षी प्रभाव से वर्तमान और भावी अवधियों में किया जाता है।

समेकन प्रक्रियाएं:

वित्तीय वर्ष 2024-25 के समेकित वित्तीय विवरणों में **निम्नलिखित** सहायक संस्थाएँ शामिल हैं:

1) माइक्रो यूनिट्स डेवलेपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी (मुद्रा)

2) सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड (एसवीसीएल)

3) सिडबी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड

वित्तीय वर्ष 2024-25 के समेकित वित्तीय विवरणों में **निम्नलिखित** सहयोगी संस्थाएँ शामिल हैं:

1) एक्यूट रेटिंग्स प्रा. लिमिटेड (पूर्ववर्ती स्मेरा)

2) इण्डिया एसएमई ऐसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (आइसार्क)

3) दिल्ली वित्तीय निगम (डीएफसी)

4) रिसीवेबल एक्सचेंज ऑफ इण्डिया लिमिटेड (आरएक्सआईएल)

5) किटको लिमिटेड

समूह (जिसमें ऊपर दिए गए ब्योरे के अनुसार 3 सहायक संस्थाएँ और 5 सहयोगी संस्थाएं शामिल हैं) के समेकित वित्तीय विवरण निम्नलिखित आधार पर तैयार किए गए हैं :

क. भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (मूल संस्था) के लेखे

ख. 3 सहायक संस्थाओं की आस्ति / देयता / आय / व्यय की प्रत्येक मद का मूल संस्था की संबंधित मद के साथ पंक्ति दर पंक्ति समेकन किया गया है और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी एएस 21 (समेकित वित्तीय विवरण) के अनुसार वसूल न किये हुए लाभ / हानि और सभी महत्वपूर्ण अंतरा-समूह शेषराशियों / संव्यवहारों को हटा दिया गया है।

ग. सहयोगी संस्थाओं में निवेश को, आईसीएआई द्वारा जारी एएस 23 (सहयोगी संस्थाओं में निवेश का समेकित वित्तीय विवरणों में लेखांकन) के अनुसार, ईक्विटी पद्धति के अंतर्गत हिसाब में लिया जाता है, जो सहयोगी संस्थाओं के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर आधारित होते है।

घ. लेखांकन नीतियों में अंतर होने पर, मूल संस्था की लेखांकन नीतियों के अनुरूप, सहायक संस्थाओं के वित्तीय विवरण, जहां कहीं आवश्यक और व्यावहारिक हो, समायोजित किए जाते हैं। लेखांकन नीतियों में अंतर होने पर, सहयोगी संस्थाओं के वित्तीय विवरण समायोजित नहीं किए गए हैं, क्योंकि बैंक के प्रबंधन की राय में वे महत्वपूर्ण नहीं है।

2. राजस्व निर्धारण:

राजस्व निर्धारण उस सीमा तक किया जाता है, जहां तक आर्थिक लाभ बैंक को प्राप्त होने की संभाव्यता है और राजस्व विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता हो।

क) आय:

i. ब्याज आय को उपचय आधार पर हिसाब में लिया जाता है, सिवाय गैर निष्पादक आस्तियों के मामलों के, जहाँ उसे वसूली के बाद हिसाब में लिया जाता है।

ii. लाभ-हानि लेखे में आय को सकल रूप में अर्थात् आरबीआइ के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधानों और बैंक की आंतरिक नीति के अनुसार अन्य प्रावधानों के पूर्व दर्शाया जाता है।

iii. बिलों की भुनाई/ पुनर्भुनाई से प्राप्त भुनाई को तथा भुनाए गए लिखतों की भुनाई को लिखतों की पूरी मीयाद में सतत प्रतिफल आधार पर निर्धारित किया जाता है।

iv. मानक (निष्पादक) आस्तियों के संबंध में वचनबद्धता प्रभार, बीज पूँजी/ सुलभ ऋण सहायता पर सेवा-प्रभार और रॉयल्टी आय को उपचय आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

v. औद्योगिक प्रतिष्ठानों और वित्तीय संस्थाओं में धारित शेयरों पर लाभांश को आय के रूप में तब निर्धारित किया जाता है जब लाभांश प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है।

vi. उद्यम पूंजी निधियों से होने वाली आय को वसूली के आधार पर हिसाब में लिया जाता है। उद्यम पूंजी निधि के ऐसे यूनिटों/ शेयरों, जो **परिपक्वता** तक धारित' श्रेणी में हों, के मोचन को बिक्री के रूप में नहीं माना जाता है।

vii. गैर-निष्पादक आस्तियों की वसूली को **निम्नलिखित** क्रम से विनियोजित किया जाएगा:

च) अतिदेय ब्याज, जिसमें गैर-निष्पादक आस्ति बनने की तारीख तक अतिरिक्त ब्याज/ दांडिक प्रभार शामिल हैं,

छ) मूलधन,

ज) अतिरिक्त ब्याज सहित ब्याज,

झ) अतिरिक्त ब्याज / दांडिक प्रभार

ञ) लागत, प्रभार, व्यय एवं अन्य राशियां आदि

viii. प्रत्यक्ष समनुदेशन के जरिए ऋणों एवं अग्रिमों की बिक्री पर हुए लाभ/हानि को भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार हिसाब में लिया जाता है।

ix. पिछले वर्षों में **बट्टे** खाते में डाले गए ऋणों के प्रति प्राप्त राशियों को लाभ-हानि लेखे में आय के रूप में लिया जाता है।

x. किसी भी श्रेणी के निवेशों की बिक्री से लाभ या हानि को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है। तथापि 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के निवेशों की बिक्री पर लाभ के मामले में, समतुल्य राशि से लागू करों को घटाकर उसे पूँजी आरक्षितियों में विनियोजित कर दिया जाता है।

xi. सात वर्ष से अधिक की अवधि हेतु दावा न की गई देयताओं (सांविधिक देयताओं को छोड़कर) के रूप में पड़ी राशि को आय के रूप में दर्शाया जाता है।

xii. बैंक ने आयकर प्रतिदाय पर ब्याज को, आयकर विभाग द्वारा जारी ऐसे प्रतिदाय आदेशों/उन्हें प्रभावी करने वाले आदेशों की प्राप्ति के बाद, हिसाब में लिया है।

xiii. उधारकर्ताओं से सीजीटीएमएसई शुल्क, मूल्यांकन प्रभार, अधिवक्ता शुल्क, बीमा, अपफ्रंट शुल्क / संसाधन शुल्क आदि की वसूली नकद आधार पर हिसाब में ली जाती है।

xiv. एलसी /बैंक गारंटी पर कमीशन को उपचय आधार पर, अवधि के अनुपात में, निर्धारित किया जाता है।

xv. म्युचुअल फंड की यूनिट से आय का निर्धारण नकद आधार पर किया जाएगा।

xvi. एसवीसीएल - राजस्व निर्धारण उस सीमा तक किया जाता है जहां तक कि आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होने की संभाव्यता हो और राजस्व को विश्वसनीय ढंग से मापा जा सके। जहां संबंधित उद्यम पूंजी निधियों/वैकल्पिक निवेश निधियों में ड्रॉडाउन प्राप्त नहीं होते, वहाँ राजस्व निर्धारण नहीं किया जाता, क्योंकि इसमें यह निश्चित नहीं होता कि कंपनी को आर्थिक लाभ प्राप्त होंगे और ऐसे मामलों में प्राप्त होने के उपरांत ही उसे प्राप्ति-आधार पर हिसाब में लिया जाएगा।

कंपनी अपने द्वारा प्रबंधित उद्यम पूंजी निधियों/ वैकल्पिक निवेश निधियों से तिमाही आधार पर/ वार्षिक आधार पर (संबंधित निधि-दस्तावेजों में निर्दिष्ट व्यवस्था के अनुसार) प्रबंध शुल्क के रूप में आय का उपचय करती है।

कंपनी आईआईबीआई द्वारा समनुदेशित निवेशों की बिक्री से प्राप्त निवल लाभ के 5% की दर पर आय निर्धारित करती है।

xvii. एसटीसीएल - राजस्व को उस सीमा तक निर्धारित किया जाता है, जहां तक कि कंपनी को आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभाव्यता होती है और राजस्व को विश्वसनीय ढंग से मापा जा सकता हो।

कंपनी अपने द्वारा प्रबंधति उद्यम पूंजी निधियों/ वैकल्पिक निवेश निधियों से तिमाही आधार पर/ वार्षिक आधार पर (संबंधित निधियों के साथ करार में यथानिर्दिष्ट) ट्रस्टीशिप शुल्क के रूप में आय का उपचय करती है।

ख) व्यय:

i. विकास व्यय को छोड़कर शेष सभी व्यय उपचय आधार पर हिसाब में लिए जाते हैं। विकास व्यय को नकद आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

ii. जारी किए गए बॉण्डों और वाणिज्यिक पत्रों पर **बट्टे** को बॉण्डों और वाणिज्यिक पत्रों की मीयाद के अनुसार परिशोधित कर दिया जाता है। बॉण्ड जारी करने संबंधी व्ययों को बॉण्डों की मीयाद के अनुसार परिशोधित कर दिया जाता है।

3. निवेश:

(i) निवेश वर्गीकरण और मूल्यांकन के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, संपूर्ण निवेश संविभाग को 'परिपक्वता तक धारित', 'बिक्री हेतु उपलब्ध' तथा 'व्यापार हेतु धारित' की श्रेणियों में विभाजित कर दिया जाता है। निवेशों का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। प्रत्येक श्रेणी के निवेशों को निम्नवत पुनः वर्गीकृत किया जाता है:

क) सरकारी प्रतिभूतियाँ,

ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतयां,

ग) शेयर,

घ) डिबेंचर तथा बॉण्ड,

ङ) सहायक संस्थाएँ/संयुक्त उद्यम और

च) अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्युचुअल फंड यूनिट, प्रतिभूति रसीदें, जमा प्रमाणपत्र आदि)

(क) परिपक्कता तक धारित :

परिपक्कता तक बनाए रखने के उद्देश्य से किए गए निवेशों को '**परिपक्कता** तक धारित' श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। ऐसे निवेशों को अर्जन लागत पर रखा जाता है, बशर्ते वह अंकित मूल्य से अधिक न हो। अर्जन लागत अंकित मूल्य से अधिक होने पर, प्रीमियम को **परिपक्कता** की शेष अवधि में परिशोधित कर दिया जाता है। सहायक संस्थाओं में निवेश को **परिपक्कता** तक धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इस श्रेणी के अंतर्गत सहायक संस्थाओं में निवेशों के मूल्य में कमी (अस्थायी को छोड़कर) के लिए प्रत्येक निवेश के संबंध में अलग-अलग प्रावधान किया जाता है।

(ख) व्यापार हेतु धारित:

अल्पावधि मूल्य/ब्याज-दर परिवर्तन का लाभ उठाते हुए 90 दिनों में पुनः बेचने के उद्देश्य से किए गए निवेशों को 'व्यापार हेतु धारित' श्रेणी में रखा जाता है। इस श्रेणी के निवेशों का समग्र रूप से स्क्रिप-अनुसार पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और निवल मूल्यवृद्धि/मूल्यह्रास को अलग-अलग स्क्रिपों के बही-मूल्य में तत्संगत परिवर्तन करते हुए लाभ-हानि लेखे में हिसाब में लिया जाता है। ट्रेड / कोट किए गए निवेश के संबंध में, बाजार मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों पर उपलब्ध ट्रेड / कोट से लिया जाता है।

(ग) बिक्री हेतु उपलब्ध:

उपर्युक्त दो श्रेणियों के अंतर्गत न आनेवाले निवेशों को 'बिक्री हेतु उपलब्ध' श्रेणी में रखा जाता है। इस श्रेणी के अंतर्गत अलग-अलग स्क्रिपों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और उक्त वर्गीकरण में से किसी के भी अंतर्गत हुए निवल मूल्यह्रास को लाभ और हानि लेखे में हिसाब में लिया जाता है। किसी भी वर्गीकरण के अंतर्गत निवल मूल्यवृद्धि को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। पुनर्मूल्यांकन के बाद अलग-अलग स्क्रिपों के बही-मूल्य में परिवर्तन नहीं किया जाता है।

(ii) निवेश को उसकी खरीद के समय 'परिपक्वता तक धारित', या 'बिक्री के लिए उपलब्ध' या 'व्यापार के लिए धारित' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है तथा बाद में इसकी श्रेणियों में अंतरण और उसका मूल्यांकन भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जाता है।

(iii) **बट्टेवाले** लिखत होने के नाते कोषागार बिलों, वाणिज्यिक पत्रों और जमा प्रमाणपत्रों का मूल्यांकन रखाव मूल्य पर किया जाता है।

(iv) उद्धृत सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्य निर्धारण बाजार मूल्यों पर किया जाता है और जो सरकारी प्रतिभूतियां उद्धृत नहीं है / जिनका व्यापार नहीं हो रहा है उनका मूल्य निर्धारण फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्रा. लि, द्वारा घोषित मूल्यों पर किया जाता है।

(v) जो निवेश भारत सरकार द्वारा प्रदत्त समूहनिधि या निधि में से किए जाते हैं और जिन्हें संबंधित निधि शेषराशियों से घटा दिया जाता है, उन्हें लागत पर रखा जाता है और वे भारतीय रिजर्व बैंक के मूल्य निर्धारण संबंधी दिशानिर्देशों के अधीन नहीं होते।

(vi) निवेशों में खरीद और बिक्री के संव्यवहारों को 'निपटान-तारीख' लेखांकन पद्धति के अनुसार दर्ज किया जाता है।

(vii) जो डिबेंचर/बाण्ड/शेयर अग्रिम के स्वरूप के माने जाते हैं, वे ऋण और अग्रिमों पर लागू सामान्य विवेकपूर्ण मानदंडों के अधीन होते हैं।

(viii) निवेशों की लागत भारित औसत लागत पद्धति से निर्धारित की जाती है।

(ix) खरीद/बिक्री के समय अदा की गई दलाली, कमीशन आदि को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया गया है।

(x) ऋण-निवेश में प्रदत्त/प्राप्त खंडित अवधि-ब्याज को ब्याज व्यय/आय माना गया है और उसे लागत/बिक्री-राशि में शामिल नहीं किया जाता है। सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के संबंध में, लागत के एक भाग के रूप में विक्रेता को प्रदत्त खंडित अवधि ब्याज का पूँजीकरण नहीं किया जाता है और उसे लाभ-हानि लेखे के अंतर्गत व्यय की एक मद के रूप में रखा जाता है।

(xi) बीज पूँजी योजना के अंतर्गत औद्योगिक प्रतिष्ठानों में गैर-उद्धृत निवेशों के संबंध में पूर्ण प्रावधान किया गया है।

(xii) भारतीय रिजर्व बैंक के संबंधित दिशानिर्देशों के अनुसार, म्यूचुअल फंड की यूनिटों का मूल्य निर्धारण उनके पुनर्खरीद मूल्य पर किया जाता है।

(xiii) उद्धृत न की गई निश्चित आय वाली प्रतिभूतियों (सरकारी प्रतिभूतियों को छोड़कर) का मूल्यनिर्धारण **परिपक्कता** पर प्रतिफल आधार पर किया जाता है, जो समान **परिपक्कता** अवधि वाली केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों हेतु परिपक्वता पर प्रतिफल की दर के ऊपर उपयुक्त मार्क-अप के आधार पर होता है। ये मार्क अप और **परिपक्कता** पर प्रतिफल की दरें एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित संगत दरों के अनुसार होती हैं।

(xiv) गैर-उद्धृत शेयरों का मूल्य निर्धारण ब्रेकअप मूल्य पर किया जाता है, यदि निवेशिती कंपनियों के नवीनतम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण उपलब्ध हों, या फिर भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रति कंपनी मूल्य ₹1/- है।

4. विदेशी मुद्रा संव्यवहार

विदेशी मुद्रा संव्यवहारों को लेखा-बहियों में संबंधित विदेशी मुद्रा में संव्यवहार के दिन लागू विनिमय दरों पर दर्ज़ किया जाता है। विदेशी मुद्रा वाले संव्यवहारों का लेखांकन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस)-11 के अनुसार निम्नलिखित रूप में किया जाता है:

i. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं, गारंटियों, संस्वीकृतियों बेचानों एवं अन्य दायित्वों के संबंध में आकस्मिक देयता की गणना भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) द्वारा अधिसूचित बंद विनिमय दरों पर की जाती है।

ii. विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) द्वारा तुलन-पत्र की तारीख को अधिसूचित बंद विनिमय दरों पर परिवर्तित किया जाता है।

iii. विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय मदों को वास्तविक बिक्री/खरीद के माध्यम से मासिक अन्तरालों पर परिवर्तित किया जाता है और उन्हें तदनुसार लाभ-हानि लेखा में हिसाब में लिया जाता है।

iv. विदेशी मुद्रा ऋण-व्यवस्था संबंधी पुनर्मूल्यांकन अन्तर को विदेशी मुद्रा जोखिम के प्रबंध हेतु भारत सरकार के परामर्श से खोले गए एक विशेष खाते में समायोजित और दर्ज किया जाता है।

v. विदेशी मुद्रा संविदाओं और व्युत्पन्नी संव्यवहारों के संबंध में बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार बचाव (हेज) लेखांकन का अनुसरण करता है।

vi. मौद्रिक मदों के निपटान से उत्पन्न विनिमय अंतर को उस अवधि में आय या व्यय के रूप में दर्शाया जाता है, जिस अवधि में वे उत्पन्न होते हैं।

vii. जो बकाया वायदा विनिमय संविदाएं व्यापार के लिए नहीं होतीं, उनका पुनर्मूल्यांकन फेडाई द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों पर किया जाता है।

5. व्युत्पन्नियाँ

बैंक अपनी विदेशी मुद्रा देयताओं की बचाव व्यवस्था के लिए वर्तमान में मुद्रा **व्युत्पन्नियों** जैसे अंतर-मुद्रा ब्याज-दर विनिमयों का व्यापार करता है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार बचाव- व्यवस्था के उद्देश्य से किए गए उक्त **व्युत्पन्नी** संव्यवहारों का लेखांकन उपचय आधार पर किया जाता है। संविदायी रुपया राशि पर **व्युत्पन्नी** संविदाओं से **उत्पन्न** आकस्मिक देयताओं को तुलन-पत्र की तारीख को रिपोर्ट किया जाता है।

6. ऋण एवं अग्रिम

i. ऋण और अन्य सहायता संविभाग को निरूपित करने वाली आस्तियों को भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप निष्पादक और गैर-निष्पादक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। गैर-निष्पादक आस्तियों के लिए प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है।

ii. तुलन-पत्र में उल्लिखित अग्रिम, गैर निष्पादक आस्तियों एवं पुनर्संरचित आस्तियों के लिए किए गए प्रावधानों को घटाकर दर्शाए जाते है।

iii. मानक आस्तियों के प्रति सामान्य प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार किए जाते हैं।

iv. चल प्रावधान, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों एवं निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीतियों के अनुरूप, किए और उपयोग में लाए जाते हैं।

v. मुद्राः मुद्रा विभिन्न अल्प वित्त संस्थाओं (एमएफआई) / बैंकों / गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों द्वारा आरंभ की गई ऋण प्राप्यराशियों से पुष्ट पास थ्रू सर्टिफिकेट्स को अभिदत्त कर रहा है। इस तरह के प्रतिभूतिकरण लेनदेन को ऋण और अग्रिम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और तुलनपत्र में सकल आधार पर दर्शाया जाता है, जो बही मूल्य पर आधारित होते हैं और प्रावधान अलग से दर्शाए जाते हैं। तथापि, मानक आस्तियों पर प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किए जाते हैं।

7. कराधान

(i) कर संबंधी व्यय में वर्तमान कर और आस्थगित कर दोनों शामिल हैं। वर्तमान आयकर की गणना आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार आयकर प्राधिकारियों को अदा की जाने वाली संभावित राशि और आय परिकलन और प्रकटीकरण मानकों के आधार पर की जाती है।

(ii) आस्थगित आय-कर, वर्ष की कर-योग्य आय तथा लेखांकन आय के मध्य वर्तमान वर्ष के समयांतराल और पूर्ववर्ती वर्षों के समयांतराल के प्रत्यावर्तन के प्रभाव को दर्शाता है। आस्थगित कर की गणना तुलन-पत्र की तारीख तक अधिनियमित अथवा सारभूत रूप से अधिनियमित कर-कानूनों और कर की दरों के आधार पर की जाती है।

(iii) आस्थगित कर आस्तियाँ केवल उस सीमा तक निर्धारित की गई हैं, जिस सीमा तक यह समुचित विश्वास है कि भविष्य में पर्याप्त कर-योग्य आय होगी, जिसके प्रति ऐसे आस्थगित कर आस्तियों की वसूली हो सकती है। पूर्ववर्ती वर्षों की अनिर्धारित आस्थगित कर आस्तियों का उस सीमा तक पुनर्मूल्यांकन और निर्धारण किया गया है, जिस सीमा तक यह समुचित विश्वास है कि भविष्य में पर्याप्त कर-योग्य आय होगी, जिसके प्रति ऐसी आस्थगित कर आस्तियों की वसूली हो सकती है।

(iv) विभागीय अपीलों सहित जिन विवादित करों हेतु प्रावधान नहीं किए जाते हैं, उन्हें आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत शामिल किया जाता है।

8. प्रतिभूतीकरण

(i) बैंक क्रेडिट रेटिंग-युक्त सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम आस्ति-समूहों को बैंकों/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से विशेष प्रयोजन संस्था द्वारा जारी पास-थ्रू-प्रमाणपत्रों के ज़रिए खरीदता है। इस प्रकार के प्रतिभूतीकरण संव्यवहार निवेश के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं और निवेश के उद्देश्य के आधार पर उनका आगे वर्गीकरण व्यापार हेतु धारित/विक्रय हेतु उपलब्ध के रूप में किया जाता है।

(ii) बैंक द्विपक्षीय प्रत्यक्ष समनुदेशन के अंतर्गत क्रेडिट रेटिंग-युक्त सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम आस्ति-समूहों को खरीदता है। ऐसे प्रत्यक्ष समनुदेशन संव्यवहारों को बैंक द्वारा 'अग्रिम' के रूप में लेखांकित किया जाता है।

(iii) बैंक प्रत्यक्ष समनुदेशन द्वारा ऋण एवं अग्रिम की बिक्री करता है। अधिकतर मामलों में बैंक इन संव्यवहारों के अंतर्गत बेचे गए ऋण एवं अग्रिम की चुकौती करना जारी रखता है तथा बेचे गए ऋण एवं अग्रिम पर अवशेष ब्याज का हकदार होता है। आस्तियों पर नियंत्रण के समर्पण के सिद्धान्त के आधार पर प्रत्यत्क्ष समनुदेशन के अंतर्गत बेची गई आस्तियों को बैंक की बहियों के हिसाब से निकाल दिया जाता है।

(iv) बेचे गए ऋणों एवं अग्रिमों पर अवशेष आय को अंतर्निहित ऋणों एवं अग्रिमों की जीवन अवधि तक हिसाब में लिया जा रहा है।

(v) आस्ति पुनर्गठन कंपनियों द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों का मूल्यनिर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट ऐसे दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है, जो इन लिखतों पर लागू होते हैं।

9. आस्ति पुनर्गठन कंपनियों (एआरसी) को वित्तीय आस्तियों की बिक्री

(i) गैर-निष्पादक आस्तियों की बिक्री नकद आधार पर अथवा प्रतिभूति रसीदों (एसआर) में निवेश आधार पर होती है। यदि बिक्री प्रतिभूति रसीद आधार पर होती है, तो उसके बिक्री प्रतिफल या उसके भाग को प्रतिभूति रसीदों के रूप में निवेश माना जाता है।

(ii) यदि आस्तियों की बिक्री निवल बही मूल्य (अर्थात् बही-मूल्य में से धारित प्रावधान घटाने पर प्राप्त मूल्य) से कम पर की जाती है, तो कमी को लाभ-हानि लेखा के नामे किया जाता है। यदि बिक्री मूल्य निवल बही मूल्य से अधिक है, तो धारित बेशी प्रावधान को उस वर्ष लाभ-हानि लेखे में प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, जिस वर्ष राशि प्राप्त हुई हो। बेशी प्रावधान का प्रत्यावर्तन उतना ही होता है, जितनी कि प्राप्त राशि आस्ति के निवल बही मूल्य से अधिक होती हो।

10. स्टाफ लाभों हेतु प्रावधान:

क] सेवानिवृत्ति पश्चात् लाभ:

(i) भविष्य निधि बैंक द्वारा चलाई जा रही एक निश्चित अंशदायी योजना है और उसमें किए गए अंशदान लाभ-हानि लेखे पर भारित होते हैं।

(ii) ग्रेच्युटी देयता तथा पेंशन देयता निश्चित लाभ दायित्व हैं और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ, जैसे- क्षतिपूरित अनुपस्थितियाँ, सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा लाभ आदि का प्रावधान स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर तुलन-पत्र की तारीख को किया जाता है, जो एएस 15 (यथोसंशोधित 2005)- कर्मचारी लाभ के अनुसार अनुमानित इकाई जमा पद्धति पर आधारित होता है।

(iii) बीमांकिक लाभों या हानियों को संबंधित अवधि के बीमांकिक मूल्यांकनों के आधार पर लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है।

(iv) नई पेंशन योजना निश्चित अंशदायी योजना है। यह उन कर्मचारियों पर लागू है, जो 1 दिसंबर 2011 या उसके बाद बैंक की सेवा में आए हैं। बैंक पूर्व-निर्धारित दर पर निश्चित अंशदान करता है और बैंक का दायित्व उक्त निश्चित अंशदान तक ही सीमित होता है। यह अंशदान लाभ-हानि लेखा पर भारित होता है।

(v) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत किए गए भुगतान उस वर्ष के लाभ-हानि लेखा पर प्रभारित होते हैं, जिस वर्ष व्यय होता है।

ख) सेवा-कालिक लाभ (अल्पावधि)

अल्पावधि लाभों के फलस्वरूप होने वाली देयता गैर-बट्टाकृत आधार पर निश्चित की जाती है और उसका निर्धारण उस पूरी सेवा अवधि में विस्तीर्ण होता है, जिसके कारण कर्मचारी ऐसे लाभ का हकदार होता है।

एसवीसीएल

कर्मचारी लाभ

निश्चित अंशदान योजनाएं:

भविष्य निधि आदि में कंपनी के अंशदान को व्यय के समय लाभ-हानि विवरणी पर प्रभारित किया जाता है।

निश्चित लाभ योजनाएं

कंपनी ग्रेच्युटी के रूप में सेवानिवृत्ति लाभों के लिए भी प्रावधान करती है। ऐसे लाभों के लिए प्रावधान तुलनपत्र की तारीख को स्वतंत्र बीमांकक द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार किए जाते है। रिपोर्टिंग तिथि को अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति के अनुसार बीमांकिक मूल्यांकन पर आधारित वृद्धिशील देयता को लाभ और हानि विवरणी पर व्यय के रूप में प्रभारित किया जाता है। कंपनी ने भारतीय जीवन बीमा निगम ("एलआईसी") से एक समूह ग्रेच्युटी पॉलिसी ली है और इसे वित्तपोषित किया जाता है।

कार्यनिष्पादन वेतन:

कार्यनिष्पादन वेतन कर्मचारियों के लिए एक वार्षिक प्रोत्साहन है, जो कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन और कर्मचारियों के कार्य निष्पादन पर आधारित होता है।

निकास प्रोत्साहन:

यह कंपनी के प्रबंधन के अधीन निधियों से त्वरित निकास कराने के लिए कर्मचारियों को दिया जाने वाला प्रोत्साहन है।

छुट्टी नकदीकरण :

कंपनी छुट्टी नकदीकरण के रूप में सेवानिवृत्ति लाभों हेतु प्रावधान करती है। ऐसे लाभों के लिए प्रावधान तुलन पत्र की तिथि को स्वतंत्र बीमांकक द्वारा किए गए मूल्यांकन पर आधारित होते हैं। अल्पावधि और दीर्घकालिक छुट्टियों का मूल्य निर्धारण अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति के अनुसार बीमांकिक आधार पर किया गया है। इसके अलावा, कर्मचारी अपनी एकत्रित छुट्टी में से प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 15 दिन की छुट्टी का नकदीकरण भी कर सकते हैं ।

11. स्थिर आस्तियाँ और मूल्यह्रास

i) स्थिर आस्तियाँ अधिग्रहण की लागत में से संचित मूल्यह्रास और क्षति-हानियाँ, यदि कोई हो, को घटाकर दर्शाई जाती हैं।

ii) आस्ति की लागत में खरीद लागत और आस्ति को उपयोग की स्थिति में लाने से पूर्व उस पर किए गए सभी व्यय शामिल होते हैं। उपयोग की स्थिति में आ चुकी आस्तियों पर उसके बाद किए गए व्यय केवल तभी पूंजीकृत किए जाते हैं जब इन आस्तियों से भावी लाभों या उनकी कामकाजी क्षमता में वृद्धि हो।

iii) पूरे वर्ष के लिए मूल्यह्रास का प्रावधान निम्नानुसार किया जाता है (चाहे पूँजीकरण की तारीख जो भी हो)-

a) फर्नीचर और फिक्स्चरः बैंक के स्वामित्व वाली आस्तियों के लिए - 100 प्रतिशत की दर से

b) कम्प्यूटर तथा कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर - 100 प्रतिशत की दर से

c) भवन - मूल्यह्रासित मूल्य पद्धति पर - 5 प्रतिशत की दर से

d) विद्युत संस्थापनाएं: बैंक के स्वामित्व वाली आस्तियों के लिए - मूल्यह्रासित मूल्य-पद्धति पर- 50 प्रतिशत की दर से

e) मोटर कार- सरल रेखा पद्धति- 50 प्रतिशत की दर से

iv) परिवर्द्धनों पर मूल्यह्रास का प्रावधान पूरे वर्ष के लिए होता है, और बिक्री/निस्तारण वर्ष में मूल्यह्रास का प्रावधान नहीं किया जाता है।

v) पट्टे वाली भूमि का परिशोधन पट्टे की पूरी अवधि में किया जाता है।

मुद्रा

i) स्थिर आस्तियों को आकस्मिक व्यय सहित अर्जन की लागत पर दर्शाया जाता है। वित्तपोषण सहित वे सभी लागतें, जो आस्ति को इच्छित उपयोग हेतु कार्य करने की स्थिति में लाने के लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें भी पूंजीकृत किया जाता है। कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के तहत उपयोगी जीवन, जो कि नीचे दिया गया है, के आधार पर सरल रेखा पद्धति पर मूल्यह्रास का प्रावधान किया जाता है:

क) कार्यालय उपकरण – 5 वर्ष

ख) कंप्यूटर और हार्डवेयर – 3 वर्ष

ग) विद्युत संस्थापन – 10 वर्ष

प्रबंधन के अनुमानों के अनुसार सर्वर और नेटवर्क का उपयोगी जीवन 3 वर्ष लिया जाता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के संबंध में लागत का परिशोधन आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक 26 के अनुसार निम्नवत किया जाता है:

क) कंप्यूटर सॉफ्टवेयर – 3 वर्ष

ख) कंप्यूटर लाइसेन्स - लाइसेन्स की कालावधि के अनुसार 1-3 वर्ष

₹ 5,000/- या उससे कम की लागत वाली आस्तियों को एक वर्ष की अवधि में मूल्यह्रासित कर दिया गया है।

एसवीसीएल

स्थिर आस्तियों को अर्जन की लागत से संचित मूल्यह्रास घटाकर दर्शाया गया हैं। कंपनी स्थिर आस्तियों के अर्जन और संस्थापन से संबंधित सभी लागतों का पूंजीकरण करती है। स्थिर आस्तियों पर मूल्यह्रास अवलिखित मूल्य पद्धित से तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की दूसरी अनुसूची में उल्लिखत दरों और तरीके से किया जाता है। खरीदे गए मोबाइल / टेलीफोन उपकरणों / टैबलेट उपकरणों की लागत का पूंजीकरण किया जाता है और प्रौद्योगिकीय रूप से तेजी से पुराने पड़े जाने की प्रवृत्ति के कारण इनके लिए खरीद के वर्ष में 100% मूल्यह्रास का प्रावधान किया जाता है, बशर्ते बीजक कंपनी के नाम पर हो। यदि बीजक कंपनी के नाम पर नहीं होता तो उन्हें राजस्व व्यय पर भारित किया जा रहा है। जिन आस्तियों की वास्तविक लागत पांच हजार रुपये से अधिक नहीं है, उनके लिए 100% की दर से मूल्यह्रास का प्रावधान किया जाता है।

12. आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों हेतु प्रावधान:

एएस 29 (प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियाँ) के अनुसार, जब पिछली घटनाओं के फलस्वरूप कोई वर्तमान दायित्व बनता है, संसाधनों के व्यय की संभावना रहती है और दायित्व की राशि के विषय में विश्वसनीय अनुमान किया जा सकता है, तब गणना में पर्याप्त सीमा तक अनुमान करते हुए बैंक द्वारा प्रावधान किए जाते हैं। समेकित वित्तीय विवरणों में आकस्मिक आस्तियों का न तो निर्धारण होता है, न ही प्रकटन। आकस्मिक देयताओं हेतु प्रावधान नहीं किया जाता है और तुलनपत्र में उनका प्रकटन होता है तथा विवरण तुलनपत्र की अनुसूची के जरिए दिए जाते हैं। प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों की समीक्षा प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख को की जाती है।

13. अनुदान एवं सब्सिडी:

सरकार तथा अन्य एजेंसियों से प्राप्त अनुदान एवं सब्सिडी का लेखांकन करार की शर्तों के अनुसार किया जाता है।

14. परिचालन लीज

एएस -19 के अनुसार, लीज किराए को लाभ-हानि लेखा में व्यय /आय के रूप में लीज अवधि में सरल रेखा पद्धति के आधार पर दर्शाया जाता है।

15. आस्तियों की क्षति

यदि आंतरिक व बाह्य कारणों के आधार पर किसी क्षति का संकेत होता है, तो प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख को आस्तियों की रखाव राशियों की समीक्षा की जाती है, ताकि निम्नलिखित का निर्धारण किया जा सके:

a) क्षति-हानि हेतु प्रावधान, यदि अपेक्षित हो; अथवा

b) पूर्ववर्ती अवधियों में निर्धारित क्षति-हानि हेतु प्रत्यावर्तन, यदि अपेक्षित हो,

क्षति-हानि का निर्धारण तब किया जाता है, जब किसी आस्ति की रखाव राशि वसूली योग्य राशि से अधिक होती है।

16. नकदी और नकदी समतुल्य

नकदी प्रवाह विवरणी के प्रयोजन के लिए नकदी और नकदी समतुल्यों में हाथ में नकदी, भारतीय रिजर्व बैंक में शेष, अन्य बैंकों में शेष, माँग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि तथा म्यूचुअल फंड में ऐसा निवेश शामिल होता है, जिसकी मूल परिपक्वता अवधि तीन माह या उससे कम हो।

समेकित लेखों के संदर्भ में अतिरिक्त टिप्पण -

अनुलग्नक - I

1. समेकित वित्तीय विवरणियों में शामिल सहायक कंपनियों का विवरण इस प्रकार है:

(₹)

क्रम संख्या	सहायक कंपनी का नाम	निगमन का देश	स्वामित्व का अनुपात*	समाप्त वर्ष के लिए लाभ/हानि	
				31-मार्च-25	31-मार्च-24
1	सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड (एसवीसीएल)	भारत	100%	1,58,75,574	4,58,51,288
2	सिडबी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एसटीसीएल)	भारत	100%	57,81,498	66,77,258
3	माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड (मुद्रा लिमिटेड)	भारत	100%	8,16,56,41,911	8,14,69,71,873
कुल				**8,18,72,98,983**	**8,19,95,00,419**

मुद्रा, एसवीसीएल और एसटीसीएल के वित्तीय विवरण वित्त वर्ष 2025 के लिए लेखापरीक्षित नहीं हैं।

*चूँकि सहायक कंपनियों के सभी शेयर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सिडबी के स्वामित्व में हैं, इसलिए अल्पांश हित से संबंधित कोई अलग प्रकटीकरण परिलक्षित नहीं होता है।

नोट: चूँकि सिडबी स्वावलंबन फाउंडेशन (एसएसएफ) एक गैर-लाभकारी कंपनी है [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत निगमित], लेखा मानक 21 के अनुसार समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में समेकन के लिए एसएसएफ पर विचार नहीं किया गया है।

2. क चालू और पिछले वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल सहयोगी संस्थाओं का विवरण इस प्रकार है:

(₹)

क्रम सं	सहयोगी संस्था का नाम	(%) धारिता		विवरण	निवेश (अंकित मूल्य)	निवेश		समाप्त वर्ष के लिए लाभ / (हानि) का भाग [1]		[1] में आरक्षितियों में भाग	
		31-मार्च-25	31-मार्च-24			यथा 31-मार्च-25	यथा 31-मार्च-24	यथा 31-मार्च-25	यथा 31-मार्च-24	यथा 31-मार्च-25	यथा 31-मार्च-24
1	एक्यूइट रेटिंग्स प्राइवेट लिमिटेड (पूर्ववर्ती एसएमईआरए) [2]	35.73	35.73	एसएमई के लिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी	5,10,00,000	5,10,00,000	5,10,00,000	4,07,47,207	4,14,13,214	29,32,50,760	25,25,03,553
2	इंडिया एसएमई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड [3]	26.00 [3]	26.00 [3]	एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी	26,00,00,000	26,00,00,000	26,00,00,000	(20,73,16,131)	2,44,67,393	12,98,59,149	33,71,75,280
3	दिल्ली वित्त निगम [4]	23.76	23.76	राज्य वित्तीय निगम	6,27,75,000	3,13,87,500	3,13,87,500	-	-	(9,27,61,541)	(5,23,15,435)
4	रिसीवेबल्स एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड [5]	30.00	30.00	ट्रेड रिसीवेबल्स (TReDS) की फैक्टरिंग/छूट के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म	15,00,00,000	15,00,00,000	15,00,00,000	15,37,23,300	8,48,67,000	18,66,23,100	3,28,99,800
5	किटको लिमिटेड [5]	49.77	49.77	तकनीकी परामर्श संगठन	4,90,00,000	24,95,296	24,95,296	1,64,46,255	(5,46,71,728)	11,31,05,865	9,66,59,610
कुल						**49,48,82,796**	**49,48,82,796**	**36,00,631**	**9,60,75,879**	**63,00,77,333**	**66,69,22,807**

1 (i) मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए (रु.36,00,631/-) (पिछले वर्ष रु.9,60,75,879/-) के लाभ/(हानि) का भाग "सहयोगी संस्थाओं में (आय)/हानि का भाग" शीर्षक के तहत समेकित लाभ और हानि विवरण में जमा किया जाता है।

(ii) रु 63,00,77,333/- (पिछले वर्ष रु.66,69,22,807/-) के सहयोगी संस्थाओं की आरक्षितियों के भाग मार्च 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए समेकित तुलन पत्र की अनुसूची II – आरक्षिति, अधिशेष और निधियों में शामिल है।

2. एक्यूइट रेटिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के आँकड़े मार्च 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अनंतिम वित्तीय विवरणों पर आधारित हैं।

3. इंडिया एसएमई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के आँकड़े मार्च 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के अनंतिम वित्तीय विवरणों पर आधारित हैं। इसमें एसवीसीएल (सिडबी की 100% सहायक कंपनी) की 11% हिस्सेदारी शामिल है।

4. दिल्ली फाइनेंस कॉर्पोरेशन के आँकड़े 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर आधारित हैं. # सहयोगी संस्था में समेकन के लिए नुकसान का हिस्सा निवेश के बही-मूल्य की सीमा तक प्रतिबंधित है।

5. रिसीवेबल्स एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के आँकड़े मार्च 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आईएनडी एएस के अनुसार अनंतिम वित्तीय विवरणों और किटको लिमिटेड पर आधारित हैं। वित्तीय आँकड़े 31 मार्च, 2025 तक के अनंतिम आँकड़ों पर आधारित हैं।

6. एक सहयोगी संस्था, अर्थात् आईएसटीएसएल परिसमापन के अधीन है और इसलिए, लेखांकन मानक 21 के अनुसार समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में इसके समेकन के लिए विचार नहीं किया जा रहा है। सिडबी ने मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अपने वित्तीय विवरणों में इस सहयोगी संस्था में निवेश हेतु पूरा प्रावधान किया हुआ है।

ख. निम्नलिखित सहयोगी संस्थाओं के परिणाम समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल नहीं हैं। तथापि, निवेश के मूल्य में ह्रास के संदर्भ में, वित्तीय विवरणों में पूर्ण प्रावधान किया गया है।

(₹)

क्र. सं.	सहयोगी संस्था का नाम	(%) धारिता		विवरण	निवेश	निवेश के मूल्य में ह्रास	
		31-Mar-25	31-Mar-24			यथा 31-मार्च-25	यथा 31-मार्च-24
1	बीएसएफसी	48.43	48.43	राज्य वित्तीय निगम	12,01,25,000	(12,01,25,000)	(12,01,25,000)
2	जीएसएफसी	28.41	28.41	राज्य वित्तीय निगम	12,66,00,000	(12,66,00,000)	(12,66,00,000)
3	एमएसएफसी	39.99	39.99	राज्य वित्तीय निगम	12,52,41,750	(12,52,41,750)	(12,52,41,750)
4	पीएफसी	25.92	25.92	राज्य वित्तीय निगम	5,23,51,850	(5,23,51,850)	(5,23,51,850)
5	यूपीएसएफसी	24.18	24.18	राज्य वित्तीय निगम	17,27,50,000	(17,27,50,000)	(17,27,50,000)
कुल					**59,70,68,600**	**(59,70,68,600)**	**(59,70,68,600)**

जीएसएफसी के आँकड़े 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लेखापरीक्षित परिणामों पर आधारित हैं। पीएफसी, बीएसएफसी, एमएसएफसी और यूपीएसएफसी के आँकड़े क्रमशः 31 मार्च, 2020, 31 मार्च, 2022, 31 मार्च, 2020 और 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लेखापरीक्षित परिणामों पर आधारित हैं।

ग. निम्नलिखित संस्थाओं के मामले में, हालांकि बैंक के पास 20% से अधिक मतदान शक्ति है, उन्हें एएस 23 'समेकित वित्तीय विवरणों में सहयोगी संस्थाओं में निवेश के लिए लेखांकन' के तहत सहयोगी संस्थाओं में निवेश के रूप में नहीं माना जाता है, क्योंकि उन्हें एनपीआई के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और तदनुसार निवेश का बही-मूल्य प्रत्येक हेतु रु.1 लिया जाता है।

(₹)

क्रम संख्या	सहयोगी संस्था का नाम	(%) धारिता		विवरण	निवेश	
		यथा 31-मार्च-25	यथा 31-मार्च-24		यथा 31-मार्च-25	यथा 31-मार्च-24
1	बिहार इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल कंसल्टेंसी ऑर्गनाइजेशन लिमिटेड	49.25	49.25	तकनीकी सलाहकार संगठन	1	1

3. चालू वर्ष और पिछले वर्ष के दौरान सहयोगी संस्थाओं के साथ कोई महत्वपूर्ण लेनदेन नहीं है।

4. सिडबी की मूल्यह्रास नीति के विपरीत, जिसके तहत पूर्व निर्धारित दरों पर एसएलएम/डब्ल्यूडीवी पर परिसंपत्तियों का अवमूल्यन किया जाता है, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II के अनुसार एसएलएम/डब्ल्यूडीवी आधार पर सहायक और सहयोगी कंपनियां मूल्यह्रास की गणना करती हैं। इस प्रकार, समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल रु.22,05,27,331/- (पिछले वर्ष रु.61,89,71,613/- के कुल मूल्यह्रास में से, रु.44,41,907/- की राशि का 201% (पिछले वर्ष रु.69,85,989/- 113%) कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार प्रदान किए गए मूल्यह्रास के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

5. कर्मचारी लाभ

(i) सिडबी

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी "कर्मचारी लाभ" (एएस 15) (संशोधित 2005) पर लेखा मानक के अनुसार, बैंक ने कर्मचारियों को प्रदान किए गए विभिन्न लाभों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया है:

(ए) परिभाषित अंशदान योजना

बैंक ने लाभ और हानि खाते में निम्नलिखित राशियों को मान्यता दी है:

(₹)

विवरण	31-मार्च-25	31-मार्च-24
भविष्य निधि में नियोक्ता का योगदान	12,47,35,367	12,15,49,983
नई पेंशन योजना में नियोक्ता का योगदान	10,39,09,645	12,81,87,062

(b) बैंक के पास परिभाषित लाभ पेंशन योजनाएँ और उपदान योजना हैं, जिनका प्रबंधन न्यास द्वारा किया जाता है।

(₹ करोड़)

	पेंशन		उपदान / ग्रेच्युटी	
	वित्त वर्ष 2025	वित्त वर्ष 2024	वित्त वर्ष 2025	वित्त वर्ष 2024
1. अवधारणाएँ				
भुनाई दर	6.69%	7.20%	6.69%	7.20%
योजनागत आस्तियों पर प्रतिफल की दर	7.00%	7.20%	7.00%	7.20%
वेतन वृद्धि	5.50%	5.50%	5.50%	5.50%
ह्रास दर	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
2. हित दायित्व में परिवर्तन दर्शाने वाली तालिका				
वर्ष के आरंभ में देयता	767.70	679.80	111.88	107.40
ब्याज लागत	55.27	25.92	8.06	7.57
वर्तमान सेवा लागत	21.25	14.45	5.49	5.98
पिछली सेवा लागत (गैर-निहित लाभ)	0.00	0.00	0.00	0.00
पिछली सेवा लागत (निहित लाभ)	0.00	0.00	0.00	0.00
देयता अंतरण आगत	0.00	0.00	0.00	0.00
(देयता अंतरण निर्गत)	0.00	0.00	0.00	0.00
(प्रदत्त लाभ)	0.00	0.00	(12.14)	(13.97)
बीमांकिक (लाभ) / दायित्वों पर हानि	29.89	47.53	13.82	4.90
वर्ष के अंत में देयता	**874.11**	**767.70**	**127.11**	**111.88**
3. योजनागत आस्तियों के उचित मूल्य संबंधी तालिकाएँ				
वर्ष के आरंभ में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	682.17	635.76	95.39	102.30
योजनागत आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	49.12	47.68	6.87	7.41
अंशदान	80.00	0.00	20.00	0.01
अन्य कंपनी से अंतरण	0.00	0.00	0.00	0.00
(अन्य कंपनी को अंतरित)	0.00	0.00	0.00	0.00
(प्रदत्त लाभ)	0.00	0.00	(12.14)	(13.97)
योजनागत आस्तियों पर बीमांकिक लाभ / (हानि)	(0.68)	(1.27)	(0.09)	(0.36)
वर्ष के अंत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	**810.61**	**682.17**	**110.03**	**95.39**
4. बीमांकिक लाभ / हानि निर्धारण की तालिका				
उक्त अवधि के दायित्व पर बीमांकिक (लाभ) / हानि	29.89	47.53	13.82	4.90
उक्त अवधि की आस्ति पर बीमांकिक (लाभ) / हानि	0.68	1.27	0.09	0.36
आय और व्यय विवरण में दर्शाया गया बीमांकिक (लाभ) / हानि	30.57	48.80	13.91	5.26
5. योजनागत आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल				
योजनागत आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	49.12	47.68	6.87	7.41
योजनागत आस्तियों पर बीमांकिक लाभ / (हानि)	(0.68)	(1.27)	(0.09)	(0.36)
योजनागत आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	**48.44**	**46.41**	**6.78**	**7.05**
6. तुलनपत्र में निर्धारित की गई राशि				
वर्ष के अंत में देयता	(874.11)	(767.70)	(127.11)	(111.88)
वर्ष के अंत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	810.61	682.17	110.03	95.39
अंतर	(63.50)	(85.53)	(17.08)	(16.49)
वर्ष के अंत में अनिर्धारित विगत सेवा लागत	0.00	0.00	0.00	0.00
वर्ष के अंत में अनिर्धारित संक्रमणीय देयता	0.00	0.00	0.00	0.00
तुलनपत्र में निर्धारित की गई निवल राशि	**(63.50)**	**(85.53)**	**(17.08)**	**(16.49)**

(₹ करोड़)

	पेंशन		उपदान / ग्रेच्युटी	
	वित्त वर्ष 2025	वित्त वर्ष 2024	वित्त वर्ष 2025	वित्त वर्ष 2024
7. आय विवरणी में निर्धारित व्यय				
वर्तमान सेवा लागत	21.25	14.46	5.49	5.98
ब्याज लागत	55.27	25.92	8.06	7.57
योजनागत आस्तियों पर संभावित प्रतिफल	(49.12)	(47.68)	(6.87)	(7.41)
वर्ष के दौरान निर्धारण में ली गई विगत सेवा लागत (गैर निहित लाभ)	0.00	0.00	0.00	0.00
वर्ष के दौरान निर्धारण में ली गई विगत सेवा लागत (निहित लाभ)	0.00	0.00	0.00	0.00
वर्ष के दौरान संक्रमण देयता का निर्धारण	0.00	0.00	0.00	0.00
बीमांकिक (लाभ) / हानि	30.57	48.80	13.91	5.26
लाभ और हानि लेखा में निर्धारण में लिए गए व्यय	**57.97**	**41.50**	**20.59**	**11.40**
8. तुलनपत्र समाधान				
आरंभिक निवल देयता	85.53	44.03	16.49	5.10
यथोक्त व्यय	57.97	41.50	20.59	11.40
नियोक्ता का अंशदान	(80.00)	0.00	(20.00)	(0.01)
तुलनपत्र में निर्धारित राशि	**63.50**	**85.53**	**17.08**	**16.49**

9. अन्य विवरण

कर्मचारियों की पदोन्नति, कर्मचारियों की मांग व आपूर्ति को ध्यान में रखते हुए उद्योग में प्रचलित परंपरा के अनुरूप वेतन बढोत्तरी पर विचार किया जाता है।

(₹ करोड़)

	पेंशन		उपदान / ग्रेच्युटी	
	वित्त वर्ष 2025	वित्त वर्ष 2024	वित्त वर्ष 2025	वित्त वर्ष 2024
10. आस्तियों की श्रेणी				
भारत सरकार आस्तियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00
कॉर्पोरेट बॉण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00
विशेष जमा योजना	0.00	0.00	0.00	0.00
सूचीबद्ध कंपनियों के इक्विटी शेयर	0.00	0.00	0.00	0.00
संपत्ति	0.00	0.00	0.00	0.00
बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित निधियाँ	810.61	682.17	110.03	95.39
अन्य	-	-	-	-
योग	**810.61**	**682.17**	**110.03**	**95.39**

11. अनुभव समायोजन:

विशेष	पेंशन					उपदान / ग्रेच्युटी				
	वित्त वर्ष 2025	वित्त वर्ष 2024	वित्त वर्ष 2023	वित्त वर्ष 2022	वित्त वर्ष 2021	वित्त वर्ष 2025	वित्त वर्ष 2024	वित्त वर्ष 2023	वित्त वर्ष 2022	वित्त वर्ष 2021
योजनागत देयता पर (लाभ) / हानि	60.44	17.32	85.05	15.71	(1.14)	9.77	3.44	1.60	0.65	(0.43)
योजनागत आस्ति पर (हानि) / लाभ	(0.68)	1.27	3.40	53.76	(1.15)	(0.09)	(0.36)	1.70	(0.22)	(0.13)

(ग) स्वतंत्र बीमांकक द्वारा प्रदत्त बीमांकिक मूल्यांकन के अधार पर अन्य दीर्घावधि लाभ योजनाओं से संबंधित निम्नलिखित राशियों को लाभ-हानि लेखा पर भारित किया गया है।

(₹ करोड़)

क्र. सं.	विवरण	मार्च 31, 2025	मार्च 31, 2024
1	साधारण छुट्टी का नकदीकरण	28.56	31.61
2	बीमारी छुट्टी	0.69	(0.08)
3	पुनर्वास व्यय	1.31	0.75
4	सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा योजना सुविधाएँ	6.40	9.21

(ii) एसवीसीएल

इस अवधि के दौरान, कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड कर्मचारी समूह ग्रेच्युटी एश्योरेंस स्कीम (ट्रस्ट) में ₹6,14,224/- (पिछले वर्ष - ₹6,57,640/-) की राशि का अंशदान दिया है, जिसमें पुराने कर्मचारियों के लिए ₹1,58,880/- (पिछले वर्ष - ₹52/-) और नए कर्मचारियों के लिए ₹4,55,344/- (पिछले वर्ष - ₹6,57,588/-) शामिल हैं।

विवरण	रोजगार पश्चात् लाभ	
	वित्त वर्ष 2025	वित्त वर्ष 2024
लाभ की प्रकृति	उपदान / ग्रेच्युटी	उपदान / ग्रेच्युटी
तुलनपत्र में मान्यताप्राप्त आस्तियाँ और देयताएँ		
गैर-वित्तपोषित परिभाषित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य	शून्य	शून्य
वित्तपोषित या आंशिक रूप से वित्तपोषित परिभाषित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य	₹65,86,492	₹60,55,243
योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	₹73,92,831	₹62,54,710
तुलन-पत्र में अमान्य पिछली सेवालागत	शून्य	शून्य
कोई भी राशि, जो आस्ति के रूप में मान्यताप्राप्त न हो	शून्य	शून्य
आस्ति के रूप में मान्यताप्राप्त किसी प्रतिपूर्ति अधिकार का उचित मूल्य	शून्य	शून्य
तुलनपत्र में मान्यताप्राप्त अन्य राशियाँ, यदि कोई हों,	शून्य	शून्य
योजनागत आस्तियों के उचित मूल्य में शामिल राशि:		
स्वयं के वित्तीय साधन	शून्य	शून्य
उपयोग की गई परिसंपत्ति या अन्य आस्ति	शून्य	शून्य
बीमाकर्ता प्रबंधित निधि	₹73,92,831	₹62,54,710
शुद्ध देयता में उतार-चढ़ाव:		
आरंभिक निवल देयता / (आस्ति)	-₹1,99,467	(₹3,65,385)
व्यय	₹7,352	₹8,23,558
अंशदान	-₹6,14,224	-₹6,57,640
शेष निवल देयता / (आस्ति)	-₹8,06,339	-₹1,99,467
लाभ और हानि के विवरण में मान्य व्यय		
वर्तमान सेवा लागत	₹4,57,199	₹3,66,611
ब्याज लागत	₹4,37,189	₹5,09,610
योजनागत आस्तियों से अपेक्षित प्रतिफल	-₹4,51,590	-₹5,37,014
प्रतिपूर्ति अधिकारों पर अपेक्षित प्रतिफल	एन.ए.	एन.ए.
बीमांकिक लाभ / (हानि)	-₹4,35,446	₹4,84,351
लाभ और हानि विवरणी में मान्य कुल व्यय	₹7,352	₹8,23,558
पिछली सेवा लागत	शून्य	शून्य
कटौती/निपटान का प्रभाव	शून्य	शून्य
अनुच्छेद 59 (बी) में सीमा का प्रभाव	लागू नहीं	लागू नहीं
योजनागत आस्तियों और आस्ति के रूप में मान्य प्रतिपूर्ति अधिकारों से वास्तविक प्रतिफल	शून्य	शून्य

विवरण	रोजगार पश्चात् लाभ	
	वित्त वर्ष 2025	वित्त वर्ष 2024
बीमांकिक अवधारणाएँ		
भुनाई दरें	6.96%	7.50%
योजनागत आस्तियों से प्रतिफल की अपेक्षित दर	6.96%	7.50%
प्रतिपूर्ति अधिकारों से प्रतिफल की अपेक्षित दर	शून्य	शून्य
वेतन वृद्धि की अपेक्षित दर	5.00%	5.00%
चिकित्सा लागत रुझान	लागू नहीं	लागू नहीं
मृत्यु दर	भारतीय बीमित जीवन मृत्यु दर (2012-14) (नगरीय)	भारतीय बीमित जीवन मृत्यु दर (2012-14) (नगरीय)
दिव्यांगता	शून्य	शून्य
ह्रास / क्षरण	3.00%	3.00%
सेवानिवृत्ति की उम्र	60 वर्ष	60 वर्ष

(iii) मुद्रा

(क) भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक (सिडबी) से प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए उपदान, अवकाश नकदीकरण और वेतन की बकाया राशि का ध्यान नियोक्ता द्वारा रखा जाता है, जिन्होंने इस कंपनी में कर्मचारियों को प्रतिनियुक्त किया है। इसके अलावा, मुद्रा ने चालू वित्त वर्ष के दौरान लाभ-हानि लेखों को 39.47 लाख रुपये की राशि प्रदान की है और इससे संबंधित 28.76 लाख रुपये (मार्च 2024: 28,97 लाख रुपये) की राशि प्रदान की गई है। सिडबी द्वारा ऐसी लागतों की मांग किए जाने पर सिडबी को इसका भुगतान किया जाएगा। ठेका कर्मचारियों के संबंध में कोई रोजगार के बाद लाभ नहीं है जो लागू हो।

(ख) इसलिए, कंपनी लेखा मानक नियमावली, 2006 के अंतर्गत जारी संशोधित एएस 15-कर्मचारी लाभ के अंतर्गत किसी प्रकटन की आवश्यकता नहीं है

6. प्रति शेयर आय (ईपीएस) (एएस-20)*:

विवरण	31 मार्च 2025 (रु.)	31 मार्च 2024 (रु.)
प्रति शेयर आय गणना के लिए ली गई निवल लाभ	55,96,31,17,640	48,22,33,97,709
अंकित मूल्य रु.10 प्रत्येक के इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	56,85,41,169	56,85,41,169
प्रति शेयर अर्जन	98.43	84.82

*बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस एक-समान हैं क्योंकि इसमें कोई डाइल्यूटिव पोटेंशियल इक्विटी शेयर नहीं हैं।

7. लेखा मानक 22 के अनुसार, आय पर करों के लिए लेखांकन, बैंक ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि खाते में आस्थगित कर परिसंपत्तियों (पिछले वर्ष - आस्थगित कर परिसंपत्ति रु.5,54,52,09,931/-) के रूप में रु.504,61,80,880/- की राशि को मान्यता दी है।

31 मार्च, 2025 तक आस्थगित कर आस्ति/(देयता) का विवरण इस प्रकार है:

क्र. सं.	समयांतर	आस्थगित कर आस्ति/(देयता)	
		वित्त वर्ष 2024-25 (रु.)	वित्त वर्ष 2023-24 (रु.)
1	अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान	6,95,29,653	9,96,08,023
2	आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत विशेष रिजर्व	(4,98,29,30,413)	(4,47,95,70,413)
3	गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान	45,89,12,406	25,11,88,222
4	खातों के पुनर्गठन के लिए प्रावधान	-	(0)
5	गैर-निष्पादित निवेश के लिए प्रावधान	75,81,90,678	81,27,67,668
6	मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान	15,61,57,38,774	9,34,03,67,925
7	अन्य	1,34,96,99,451	1,65,24,58,516
	शुद्ध आस्थगित कर आस्ति/(देयता)	**13,26,91,40,549**	**7,67,68,19,942**

8.	पूँजी खाते पर निष्पादित किए जाने के लिए शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि (अग्रिम भुगतान का निवल)	1,12,00,000	-

9. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दि.7 जून, 2019 को जारी परिपत्र डीबीआर संख्या बीपी.बीसी.45/21.04.048/2018-19 के अनुसार वर्ष के दौरान कार्यान्वित संकल्प योजनाओं (आरपी) से संबंधित प्रकटीकरण :

(i) 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान सफलतापूर्वक कार्यान्वित संकल्प योजनाएँ

मामलों की संख्या	शेष राशि (रु. करोड़ में)
शून्य	शून्य

(ii) पुनर्गठन प्रक्रिया के दौरान ऋण को इक्विटी में परिवर्तित करने के कारण अर्जित प्रतिभूतियों का ब्यौरा

विवरण	शेयरों / इकाइयों की संख्या	प्रति शेयर अंकित मूल्य (₹ में)	बुक वैल्यू (₹ में)
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(iii) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दि. 6 अगस्त, 2020 के परिपत्र (संकल्प फ्रेमवर्क 1.0) एवं 5 मई 2021 को जारी (संकल्प फ्रेमवर्क 2.0) परिपत्र के तहत कोविड-19 संबंधित दबावग्रस्त उधारकर्ताओं के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक संकल्प फ्रेमवर्क के तहत कार्यान्वित समाधान योजनाओं का विवरण नीचे दिया गया है:

उधारकर्ता का प्रकार	समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों का एक्सपोजर - पिछले छमाही के अंत में स्थिति (क)	(क) में से, छमाही के दौरान गैर-निष्पादक आस्ति में बदल जाने वाले वाले सकल ऋण	(क) में से, छमाही के दौरान बट्टे खाते में डाली गई राशि	(क) में से, छमाही के दौरान उधारकर्ताओं द्वारा भुगतान की गई राशि $	समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक श्रेणी में वर्गीकृत खातों में एक्सपोजर - छमाही समाप्ति-दिनांक की स्थिति
व्यक्तिगत ऋण	---	---	---	---	---
कॉर्पोरेट व्यक्ति	7.50	0.00	0.00	-1.41	6.09
एमएसएमई में से	7.50	0.00	0.00	-1.41	6.09
अन्य	---	---	---	---	---
कुल	**7.50**	**---**	**---**	**-1.41**	**6.09**

$ शेष राशि में निवल अंतरण को दर्शाता है।

iv) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समाधान फ्रेमवर्क- 2.0 : विवरण व लघु कारोबारियों के कोविड-19 के दबाव संबंधी फ्रेमवर्क, के संदर्भ में जारी दिनांक 5 मई, 2021 के परिपत्र संख्या डीओआर. एसटीआर.आरईसी.11/21. 04.048/2021-22 के अनुसार कार्यान्वित समाधान योजना के अंतर्गत उधारकर्ताओं की संख्या शून्य है। इसी प्रकार, संकल्प फ्रेमवर्क 1.0 के तहत जो खाते कार्यान्वित किए गए थें, उनमें कोई संशोधन मंजूर तथा कार्यान्वित नहीं किया गया।

10. अनुसूची XI में निर्दिष्ट आकस्मिक देयताएँ

आकस्मिक देयताओं में "बैंक के खिलाफ दावे जो ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किए गए" के अंतर्गत ₹6,32,89,48,451 (पिछले वर्ष ₹9,89,43,47,386) शामिल हैं। इनमें वर्तमान में चल रहे विभिन्न कानूनी मामलों और आयकर और अन्य सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा उठाई गई मांगों से संबंधित सामान्य कारोबार संबंधी बैंक के खिलाफ दायर दावे शामिल हैं। इन पर बैंक द्वारा वाद किया जा रहा है और विशेषज्ञ राय के आधार पर, प्रावधान आवश्यक नहीं माना गया है।

11. प्रबंधन की राय में, लेखांकन मानक 28- आस्तियों की हानि, के संदर्भ में बैंक की अचल संपत्तियों की कोई भौतिक हानि नहीं हुई है।

12. आकस्मिकताओं में प्रावधानों के लिए लेखा मानक 29 के तहत प्रकटीकरण। बैंक के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों की समीक्षा हर पाँच वर्ष में की जाती है। इस तरह की समीक्षा 01 नवंबर, 2022 से होना बाकी है।

विवरण	वेतन बकाय/प्रोत्साहन ₹	
	वित्त वर्ष 2025	वित्त वर्ष 2024
आदि शेष	1,39,15,33,676	23,64,78,635
जोड़:		
बक़ाया राशि	60,92,49,606	1,17,22,22,552
प्रोत्साहन		-
उपयोग:	61,16,18,134	1,71,67,511
पुनरांकन		-
इति शेष	1,38,91,65,148	1,39,15,33,676

13. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र - वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत पंजीकृत एमएसएमई उधारकर्ताओं के लिए अग्रिमों का पुनर्गठन;

11 फरवरी, 2020 के भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र के अनुसार, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत पंजीकृत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) उधारकर्ताओं के लिए अग्रिमों का पुनर्गठन किया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक ने 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र - अग्रिमों का पुनर्गठन' संबंधी दि. 06 अगस्त, 2020 के अपने परिपत्र के माध्यम से कोविड-19 के प्रभाव के कारण व्यवहार्य एमएसएमई संस्थाओं की सहायता करने के लिए उकत योजना का विस्तार किया। इसके अलावा, भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 5 मई, 2021 के अपने परिपत्र सं. आरबीआई/2021-22/32 डीओआर.एसटीआर.आरईसी.12/21.04.048/2021-22 के माध्यम से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को कोविड-19 के कारण होने वाले दबाव के समाधान स्वरूप संकल्प फ्रेमवर्क 2.0 लागू किया। इन दिशानिर्देशों के तहत पुनर्गठित एमएसएमई खातों का विवरण इस प्रकार है:

पुनर्गठित खातों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
634	334.35

14. बैंक बोर्ड द्वारा अनुमोदित त्वरित प्रावधान नीति के अनुसार, आईआरएसी मानदंडों के तहत निर्धारित न्यूनतम से अधिक दरों पर अग्रिमों पर अतिरिक्त प्रावधान कर रहा है। तदनुसार, बैंक द्वारा 31 मार्च, 2025 को ₹3,657.08 करोड़ (पिछले वर्ष ₹1,538.90 करोड़) के मानक अग्रिमों (पुनर्गठित खातों सहित) पर अतिरिक्त प्रावधान रखा गया।

15. ऋण एक्सपोजर के अंतरण के बारे में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दि. 24 सितंबर, 2021 को जारी मास्टर परिपत्र सं.आरबीआई/डीओआर/2021-22/86 डीओआर.एसटीआर. आरईसी.51/21.04.048/2021-22 (28 दिसंबर, 2023 तक अद्यतित) के दिशानिर्देशों के तहत 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान अंतरित/अधिग्रहित ऋणों का विवरण दिनांक 24 सितंबर, 2021 को नीचे दिया गया है:

i. असाइनमेंट के माध्यम से अधिग्रहित ऋण, जो चूककर्ता नहीं हैं, का विवरण नीचे दिया गया है:

विवरण	2024-25	2023-24
अधिग्रहित ऋणों की कुल राशि (₹ करोड़ में)	1157.11	48.94
भारित औसत अवशिष्ट परिपक्वता (महीनों में)	127.48	106.84
प्रवर्तक द्वारा भारित औसत होल्डिंग अवधि (महीनों में)	10.43	13.31
प्रवर्तक द्वारा लाभकारी आर्थिक हित को बनाए रखना	20%	20%
भौतिक प्रतिभूति कवरेज	216.75%	266.45%
रेटेड ऋणों का रेटिंग-वार वितरण	---	---

ii. अंतरित गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) का विवरण

विवरण	एआरसी के लिए	अनुमत अंतरणकर्ताओं के लिए	अन्य अंतरणकर्ताओं के लिए
खातों की संख्या	2	---	---
अंतरित ऋणों का कुल बकाया मूलधन	153.24	---	---
अंतरित किए गए ऋणों की भारित औसत बकाया अवधि	लागू नहीं	---	---
अंतरित ऋणों का शुद्ध बही-मूल्य (अंतरण के समय)	---	---	---
समग्र प्रतिफल	28.20	---	---
विगत वर्षों में अंतरित खातों के संबंध में ली गई अतिरिक्त राशि	---	---	---

गत वर्ष- 31.03.2024

विवरण	एआरसी को	अनुमत हस्तांतरणकर्ताओं को	अन्य हस्तांतरणकर्ताओं को
खातों की संख्या	2	---	---
अंतरित ऋणों का कुल बकाया मूलधन	939	---	---
अंतरित किए गए ऋणों की भारित औसत बकाया अवधि	ना	---	---
अंतरित ऋणों का शुद्ध बही-मूल्य (अंतरण के समय)	---	---	---
समग्र प्रतिफल	455	---	---
विगत वर्षों में अंतरित खातों के संबंध में ली गई अतिरिक्त राशि	---	---	---

मार्च 31, 2025 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान, प्रतिभूति रसीदों (एसआर) में किया गया निवेश ₹16.11 करोड़ था (पिछले वर्ष- ₹56.77 करोड़) । प्रतिभूति रसीदें प्रदान की जाती हैं अतः निवल बही मूल्य शून्य है। दबावग्रस्त ऋणों की बिक्री के कारण लाभ और हानि खाते में किए गए अतिरिक्त प्रावधान शून्य थे।

iii. बैंक द्वारा किसी भी ऋण को चूककर्ता/विशेष उल्लेख खाता (एसएमए) में अंतरित नहीं किया गया है।

iv. बैंक द्वारा किसी भी दबावग्रस्त ऋण का अधिग्रहण नहीं किया गया।

16. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिनांक 19 दिसंबर, 2023 के परिपत्र संख्या 16/आरबीआई/2023-24/90 डीओआर.एसटीआर.आरईसी.58/21.04.048/2023-24 - वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) में निवेश एवं बाद में 27 मार्च, 2024 के परिपत्र संख्या आरबीआई/2023-24/140/डीओआर. 2023/एसटीआर.आरईसी.85/ 21.04.048/2023-24 के माध्यम से जारी स्पष्टीकरण के अनुसार, बैंक द्वारा प्रभाव का पुनःमूल्यांकन किया गया और यथा 31 मार्च, 2025 को रु.26.16 करोड़ (गत वर्ष रु.110.64 करोड़) का प्रावधान रखा गया।

17. मूल और सहायक कंपनियों के अलग-अलग वित्तीय विवरणों में प्रकट की गई अतिरिक्त सांविधिक जानकारी का समेकित वित्तीय आँकड़ों के सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और उन मदों से संबंधित जानकारी जो महत्वपूर्ण नहीं हैं, उन्हें भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी सामान्य स्पष्टीकरण के मद्देनजर समेकित वित्तीय विवरणों में प्रकट नहीं किया गया है।

18. इंड-एएस का कार्यान्वयन:

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 15 मई, 2019 को जारी के पत्र के अनुसार, एआईएफआई के लिए इंड-एएस के कार्यान्वयन को अगली सूचना तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तदनुसार, बैंक के वित्तीय विवरण आईजीएएपी के तहत तैयार किए जाते हैं।

19. भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सामान्य विनियम, 2000 के विनियम 14 में लघु उद्योग विकास सहायता कोष (एसआईडीएएफ) और सामान्य निधि के तहत लेखों की प्रस्तुति के लिए अलग प्रारूप निर्धारित किया गया है। चूँकि केन्द्र सरकार द्वारा अलग से कोई एसआईडीएएफ अधिसूचित नहीं किया गया है, इसलिए सिडबी द्वारा इसका रखरखाव नहीं किया जा रहा है।

20. पिछले वर्ष के आँकड़ों को फिर से समूहीकृत किया गया है और जहाँ भी आवश्यक हो, उन्हें चालू वर्ष के आँकड़ों के साथ तुलनीय बनाने के लिए फिर से वर्गीकृत किया गया है।

अतिरिक्त समेकित प्रकटन

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार

1. पूँजी पर्याप्तता (बेसल III के अनुसार)

(₹ करोड़)

क्र. सं.	विवरण	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24
i)	सामान्य इक्विटी*	35412.42	लागू नहीं
ii)	अतिरिक्त टियर 1 पूँजी*	0	लागू नहीं
(iii)	कुल टियर 1 पूँजी*	35412.42	31260.02
(iv)	टियर 2 पूँजी *	1807.00	2192.44
v)	कुल पूँजी (टियर 1+टियर 2)*	37219.42	33452.46
vi)	कुल जोखिम भारित आस्तियाँ (आरडब्ल्यूए) *	174453.35	187300.47
vii)	सामान्य इक्विटी अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में सामान्य इक्विटी) *	20.30%	लागू नहीं
viii)	टियर 1 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में टियर 1 पूँजी)*	20.30%	16.69%
ix)	जोखिम भारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में कुल पूँजी)*	21.33%	17.86%
x)	भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत	20.85	20.85
xi)	जुटाई गई इक्विटी पूँजी की राशि	-	-
xii)	अतिरिक्त टियर 1 पूँजी जुटाई गई राशि; जिनमें से	-	-
	क.) स्थायी गैर-संचयी वरीयता शेयर (पीएनसीपीएस):	-	-
	ख.) सतत ऋण लिखत (पीडीआई)	-	-
xiii)	टियर 2 पूँजी जुटाई गई राशि; जिनमें से	-	-
	क.) ऋण पूँजी साधन:	-	-
	ख.) सतत संचयी वरीयता शेयर (पीसीपीएस)	-	-
	ग.) मोचनीय गैर-संचयी वरीयता शेयर (आरएनसीपीएस)	-	-
	घ.) मोचनीय संचयी वरीयता शेयर (आरसीपीएस)	-	-

* बेसल- I 31 मार्च, 2024 तक लागू था। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिसूचना के अनुसार, बेसल III 1 अप्रैल, 2024 से लागू है। इसलिए, आँकड़े पूरी तरह से तुलनीय नहीं हैं।

2. मुक्त आरक्षितियाँ और प्रावधान

(क) मानक आस्तियों हेतु प्रावधान

(₹ करोड़)

विवरण	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24
मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान (संचयी)	5996.43	3711.20

(b) परिवर्तनीय प्रावधान

(₹ करोड़)

विवरण	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24
अस्थाई प्रावधान लेखों का आदि शेष	495.67	495.67
लेखा वर्ष में किए गए अस्थाई प्रावधानों की मात्रा	0.00	0.00
लेखा वर्ष के दौरान किए आहरित राशि *	0.00	0.00
अस्थाई प्रावधान लेखे का इति शेष	495.67	495.67

* भारतीय रिज़र्व बैंक के 05 मई, 2021 के परिपत्र के संदर्भ में एनपीए प्रावधान करने के लिए उपयोग की गई राशि और अस्थाई प्रावधान पर बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार।

3 आस्ति गुणवत्ता और विशिष्ट प्रावधान

(क) गैर-निष्पादित अग्रिम।

(रु करोड़)

विवरण	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24
(i) निवल अग्रिमों के प्रति निवल एनपीए (%)	**0.00%**	**0.00%**
(ii) गैर-निष्पादक आस्तियों में संव्यवहार (सकल)		
(क) आदि शेष	121.50	55.05
(ख) वर्ष के दौरान जोड़ा गया	191.07	129.38
(ग) वर्ष के दौरान कटौती	129.68	62.93
(घ) इति शेष	**182.89**	**121.50**
(iii) निवल एनपीए में संव्यवहार *		
(क) आदि शेष	0.00	8.56
(ख) वर्ष के दौरान जोड़ा गया	0.00	(1.29)
(ग) वर्ष के दौरान कटौती	0.00	7.26
(घ) इति शेष	**0.00**	**0.00**
(iv) एनपीए के लिए प्रावधानों का संव्यवहार (मानक परिसंपत्तियों पर प्रावधानों को छोड़ कर)		
(क) आदि शेष	121.50	46.49
(ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	191.07	130.66
(ग) अतिरिक्त प्रावधानों को हटाना/पुनर्लेख करना	129.68	55.65
(घ) इति शेष	**182.89**	**121.50**

* यदि अस्थाई प्रावधान की राशि को उसी के प्रति समायोजित किया जाता है, तो पिछले वर्ष के लिए निवल एनपीए शून्य होगा।

(b) गैर-निष्पादित निवेश

(रु करोड़)

विवरण	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24
(i) निवल निवेश के प्रति निवल एनपीआई (%)	**0.00%**	**0.00%**
(ii) एनपीआई में संव्यवहार (सकल)		
(क) आदि शेष	680.89	331.38
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	12.66	350.31
(ग) वर्ष के दौरान कटौती	41.74	0.80
(घ) इति शेष	**651.81**	**680.89**
(iii) निवल एनपीआई में संव्यवहार		
(क) आदि शेष	0.00	0.00
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	0.00	0.00
(ग) वर्ष के दौरान कटौती	0.00	0.00
(घ) इति शेष	**0.00**	**0.00**
(iv) एनपीआई के लिए प्रावधानों में संव्यवहार (मानक आस्तियों पर प्रावधानों को छोड़ कर)		
(क) आदि शेष	680.89	331.38
(ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	12.66	350.31
(ग) अतिरिक्त प्रावधानों को हटाना/पुनर्लेख करना	41.74	0.80
(घ) इति शेष	**651.81**	**680.89**

*वित्त वर्ष 2025 में एक पीडब्ल्यूओ खाते के निपटान के लिए प्राप्त ₹100/- के अंकित मूल्य के साथ 8 करोड़ रुपये अर्थात् 800,000 यूनिट शामिल हैं और वित्त वर्ष 2024 में रु.297.76 करोड़ के वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर, 52.44 करोड़ रुपये की सुरक्षा प्राप्ति (56.77 करोड़ रुपये का प्रारंभिक निवेश) और ऋण के रूपांतरण के माध्यम से अधिग्रहित रु.0.01 करोड़ रुपये का इक्विटी शेयर शामिल है, जो भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप है।

(ग) गैर-निष्पादित आस्तियाँ (क+ख)

(रु. करोड़)

विवरण	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24
(i) निवल आस्तियों के लिए निवल एनपीए (अग्रिम + निवेश) (%)	**0.00%**	**0.00%**
(ii) एनपीए का संचलन (सकल अग्रिम + सकल निवेश)		
(क) आदि शेष	802.38	386.43
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	203.73	479.69
(ग) वर्ष के दौरान कटौती	171.42	63.73
(घ) इति शेष	**834.69**	**802.38**
(iii) निवल एनपीए का संचलन		
(क) आदि शेष	0.00	8.56
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	0.00	(1.29)
(ग) वर्ष के दौरान कटौती	0.00	7.27
(घ) इति शेष	**0.00**	**0.00**
(iv) एनपीए के लिए प्रावधानों का संचलन (मानक परिसंपत्तियों पर प्रावधानों को छोड़कर)		
(क) आदि शेष	802.39	377.87
(ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	203.73	480.98
(ग) अतिरिक्त प्रावधानों को हटाना/पुनर्लेख करना	171.42	56.46
(घ) इति शेष	**834.69**	**802.39**

(घ) पुनर्गठित लेखे

[' करोड़ में]

क्र सं	पुनर्गठन का प्रकार / परिसंपत्ति वर्गीकरण / विवरण		एसएमई ऋण पुनर्गठन तंत्र के तहत					अन्य					कुल				
			मानक	उप-मानक	संदेहास्पद	हानि	कुल	मानक	उप-मानक	संदेहास्पद	हानि	कुल	मानक	उप-मानक	संदेहास्पद	हानि	कुल
1	वित्त वर्ष के 1 अप्रैल को पुनर्गठित खाते (शुरुआती आँकड़े)*	उधारकर्ताओं की संख्या	0	0	0	0	0	2	2	0	0	4	2	2	0	0	4
		बकाया राशि	-	-	-	-	-	16.60	14.99	0.00	-	31.59	16.60	14.99	0.00	-	31.59
		उस पर प्रावधान	-	-	-	-	-	-0.00	0.00	-0.00	-	-0.00	-0.00	0.00	-0.00	-	-0.00
2	वर्ष के दौरान नए सिरे से पुनर्गठन	उधारकर्ताओं की संख्या	0	0	0	0	0	0	9	0	1	10	0	9	0	1	10
		बकाया राशि	-	-	-	-	-	-	24.53	-	0.37	24.91	-	24.53	-	0.37	24.91
		उस पर प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	वित्त वर्ष के दौरान पुनर्गठित मानक श्रेणी में उन्नयन	उधारकर्ताओं की संख्या	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		बकाया राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		उस पर प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	पुनर्गठित मानक अग्रिम, जिन पर वित्त वर्ष के अंत में उच्च प्रावधान और/या अतिरिक्त जोखिम भार लगना बंद हो जाता है और इसलिए उन्हें अगले वित्त वर्ष की शुरुआत में पुनर्गठित मानक अग्रिमों के रूप में दिखाने की आवश्यकता नहीं है।	उधारकर्ताओं की संख्या	0	0	0	0	0	-2	0	0	0	-2	-2	0	0	0	-2
		बकाया राशि	-	-	-	-	-	-16.60	-	-	-	-16.60	-16.60	-	-	-	-16.60
		उस पर प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	वित्त वर्ष के दौरान पुनर्गठित खातों का स्तर कम करना	उधारकर्ताओं की संख्या	0	0	0	0	0	0	-1	1	0	0	0	-1	1	0	0
		बकाया राशि	-	-	-	-	-	-	-0.32	0.32	-	-	-	-0.32	0.32	-	-
		उस पर प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	वित्त वर्ष # के दौरान पुनर्गठित खातों का बट्टे खाते में डाला गया	उधारकर्ताओं की संख्या	0	0	0	0	0	0	-3	0	0	-3	0	-3	0	0	-3
		बकाया राशि	-	-	-	-	-	-	-3.73	-	-	-3.73	-	-3.73	-	-	-3.73
		उस पर प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	वित्त वर्ष के 31 मार्च तक पुनर्गठित खाते (अंतिम आँकड़े)*	उधारकर्ताओं की संख्या	0	0	0	0	0	0	7	1	1	9	0	7	1	1	9
		बकाया राशि	-	-	-	-	-	-0.00	35.47	0.32	0.37	36.17	-0.00	35.47	0.32	0.37	36.17
		उस पर प्रावधान	-	-	-	-	-	-0.00	0.00	-0.00	-	-0.00	-0.00	0.00	-0.00	-	-0.00

* मानक पुनर्गठित अग्रिमों के आंकड़ों को छोड़ कर, जिन पर उच्च प्रावधान या जोखिम भार (यदि लागू हो) नहीं लगता।

नोट: क्रम संख्या 6 के आंकड़ों में मौजूदा पुनर्गठित खातों के संबंध में 0.76 करोड़ रुपये की कटौती/वसूली के बकाया शुद्ध में वृद्धि शामिल है।

(ङ) गैर-निष्पादक आस्तियों का संचलन

(रु. करोड़)

विवरण	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24
लेखांकन अवधि की प्रारंभिक तिथि को सकल एनपीए (आदि शेष)	121.50	55.05
वर्ष के दौरान परिवर्धन (नए एनपीए)	191.07	129.38
उप कुल (क)	**312.57**	**184.43**
घटाएँ :-		
(i) उन्नयन	2.57	6.72
(ii) वसूली (उन्नत खातों से की गई वसूली को छोड़कर)	24.80	1.86
(iii) तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाते डालना	101.85	54.35
(iv) उपर्युक्त (iii) के तहत बट्टे खाते में डालने वाले	0.46	-
उप-योग (बी)	**129.68**	**62.93**
अगले वर्ष के 31 मार्च को सकल एनपीए (अंतिम शेष) (ए-बी)	**182.89**	**121.50**

(च) बट्टे खाते डालना और वसूलियाँ

(रु. करोड़)

विवरण	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24
1 अप्रैल को तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाते में डाले गए खातों का आदि शेष	1,627.48	2,767.74
जोड़ें: वर्ष के दौरान तकनीकी / विवेकपूर्ण बट्टे खाते में डालें	80.18	54.35
उप कुल (क)	**1,707.66**	**2,822.09**
घटाएँ: वास्तविक बट्टे खाते में डालना	204.78	966.48
कम: वर्ष के दौरान पहले के तकनीकी / विवेकपूर्ण बट्टे खाते में डाले गए खातों से की गई वसूली	228.52	228.13
उप कुल (ख)	**433.30**	**1,194.61**
इति शेष यथा 31 मार्च (क-ख)	**1,274.36**	**1,627.48**

*इसमें 297.76 करोड़ रुपये के वैकल्पिक परिवर्तनीय डिबेंचर, 52.44 करोड़ रुपये की प्रतिभूति प्राप्ति (56.77 करोड़ रुपये का प्रारंभिक निवेश) और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप ऋण के परिवर्तन के माध्यम से अर्जित 0.01 करोड़ रुपये का इक्विटी हिस्सा शामिल है।

(छ) विदेशी आस्तियाँ, एनपीए और राजस्व

विवरण	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24
कुल आस्तियाँ	शून्य	शून्य
कुल गैर-निष्पादक आस्तियाँ	शून्य	शून्य
कुल राजस्व	शून्य	शून्य

(ज) मूल्यह्रास और निवेश पर प्रावधान

(रु. करोड़)

विवरण	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24
(1) निवेश		
(i) सकल निवेश	**47,622.46**	**37,145.88**
(क) भारत में	47,622.46	37,145.88
(ख) भारत के बाहर		
(ii) मूल्यह्रास के प्रावधान	**657.22**	**708.64**
(क) भारत में	657.22	708.64
(ख) भारत के बाहर		
(iii) निवल निवेश	**46,965.24**	**36,437.24**
(क) भारत में	46,965.24	36,437.24
(ख) भारत के बाहर		

(रु. करोड़)

विवरण	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24
(2) निवेश पर मूल्यह्रास की दिशा में प्रावधानों का प्रवाह		
(i) आदि शेष	27.75	30.87
(ii) जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	-	0.23
(iii) वर्ष के दौरान निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित खाते से विनियोग, यदि कोई हो,	-	-
(iv) कम: वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधानों को बट्टे खाते डालना/बट्टे खाते डालना*	22.70	3.35
(v) घटाएँ: निवेश, यदि कोई हो, निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित खाते में अंतरण,	-	-
(vi) इति शेष	**5.05**	**27.75**

*बैंक ने वित्त वर्ष 2025 के लिए 'शून्य' और वित्त वर्ष 2024 में रु.2.51 करोड़ (लागू करों का निवल) को निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित खाते में विनियोजित किया है।

(झ) प्रावधान और आकस्मिकताएँ

(रु. करोड़)

लाभ और हानि खाते में व्यय शीर्षक के तहत दिखाए गए 'प्रावधानों और आकस्मिकताओं का विवरण'	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24
निवेश पर मूल्यह्रास/एनपीआई के प्रावधान	(51.73)	(8.15)
एनपीए के प्रति प्रावधान	163.06@	129.21@
आयकर के लिए किया गया प्रावधान (आस्थगित कर परिसंपत्तियों/देयता सहित)	1875.16	1542.20
अन्य प्रावधान और आकस्मिकताएँ (विवरण के साथ)$	2200.74$	1966.62$

@ निवल पुनर्गठन प्रावधान

$ में मानक आस्तियों के लिए प्रावधान शामिल है।

(ञ) प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर)

(रु. करोड़)

	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24
प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर)*	100.00%	100.00%

* पीसीआर की गणना करते समय अस्थाई प्रावधान पर विचार नहीं किया गया है।

(ट) धोखाधड़ी खातों से संबंधित प्रावधान

विवरण	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24
वर्ष के दौरान रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी की संख्या	3	2
धोखाधड़ी में शामिल राशि (रु. करोड़ में)	15.66	17.33
वर्ष के अंत में वसूली/बट्टे खाते में अंकित/अप्राप्त ब्याज, धोखाधड़ी में शामिल राशि (करोड़ रुपये में)	10.79	16.79
वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान (करोड़ रुपये में)	3.02	0.00
उपर्युक्त खातों के लिए वर्ष के अंत में आयोजित प्रावधान (करोड़ रुपए में)	10.79	16.79
वर्ष के अंत में "अन्य आरक्षितयों" से डेबिट किए गए अपरिशोधित प्रावधान की राशि (करोड़ रुपये में)	-	-

4. निवेश संविभाग: संघटन और परिचालन

(क) रेपो लेनदेन

(रु. करोड़)

	वर्ष 2025 के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष 2025 के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष 2025 के दौरान बकाया दैनिक औसत	31 मार्च, 2025 तक बकाया
रेपो के तहत बेची गई प्रतिभूतियाँ				
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ	-	5,800.00	85.24	225.00
ii. कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	-	-	-	-
रिवर्स रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियाँ				
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ	10.00	27,440.90	8,334.19	24,878.00
ii. कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	-	-	-	-

(रु. करोड़)

	वर्ष 2024 के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष 2024 के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष 2024 के दौरान दैनिक औसत बकाया	31 मार्च, 2024 तक बकाया
रेपो के तहत बेची गई प्रतिभूतियाँ				
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ	-	23,510.00	7,494.65	18,985.00
ii. कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ		-	-	-
रिवर्स रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियाँ				
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ	-	22,746.00	961.13	500.00
ii. कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	-	-	-	-

(ख) ऋण प्रतिभूतियों में निवेश के लिए जारीकर्ता-संरचना का प्रकटीकरण

(रु. करोड़)

जारीकर्ता	कुल धनराशि	31 मार्च, 2025 तक की राशि			
		निजी प्लेसमेंट के माध्यम से किया गया निवेश	निवेश ग्रेड से नीचे की प्रतिभूतियाँ आयोजित की गईं	अनरेटेड प्रतिभूतियाँ आयोजित की गईं	असूचीबद्ध प्रतिभूतियाँ
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयाँ (पीएसयू)	46.94	0.00	0.00	0.00	0.00
वित्तीय संस्थाएँ (एफआई)	4954.39	4954.39	0.00	189.83	189.83
बैंक	5234.55	5234.55	0.00	103.50	103.50
निजी कॉरपोरेट	796.81	733.81	0.00	725.81	725.21
सहायक कंपनियाँ/संयुक्त उद्यम	0.00	1751.05	0.00	1751.05	1751.05
अन्य	893.75	893.75	0.00	893.75	893.75
मूल्यह्रास के लिए आयोजित प्रावधान	-656.61	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	**11269.83**	**13567.55**	**0.00**	**3663.94**	**3663.34**

(ग) एचटीएम श्रेणी से प्रतिभूतियों की बिक्री और अंतरण:

वित्त वर्ष 2025 के दौरान, बैंक द्वारा मौजूदा भारतीय रिज़र्व बैंक दिशानिर्देशों के अनुसार उद्यम पूँजी निधि में निवेश को एचटीएम से एएफएस श्रेणी में अंतरित किया गया। उपर्युक्त को छोड़कर, एचटीएम श्रेणी में निवेश में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

5. खरीदी/बेची गई वित्तीय आस्तियों का विवरण

(क) आस्ति पुनर्गठन के लिए प्रतिभूतीकरण/पुनर्गठन कंपनी को बेची गई वित्तीय आस्तियों के विवरण

(i) बिक्री का विवरण

विवरण	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24
(i) खातों की संख्या (उधारकर्ता)	2	2
(ii) एससी/आरसी को बेचे गए खातों का कुल मूल्य (प्रावधानों का निवल)	-	-
(iii) कुल प्रतिफल (करोड़ रुपए)	28.20	455.30
(iv) पिछले वर्षों में अंतरित खातों के संबंध में अतिरिक्त प्रतिफल प्राप्त किया गया	1.09	शून्य
(v) निवल बही मूल्य पर कुल लाभ/हानि	शून्य	शून्य

(ii) प्रतिभूति प्राप्तियों में निवेश के बही मूल्य के विवरण

(रु. करोड़)

विवरण	प्रतिभूति प्राप्तियों में निवेश का बही-मूल्य	
	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24
(i) अंतर्निहित के रूप में एआईएफआई द्वारा बेचे गए एनपीए द्वारा समर्थित	23.94	52.71
(ii) बैंकों/अन्य वित्तीय संस्थानों/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बेची गई एनपीए द्वारा समर्थित	0.00	0.00
कुल	**23.94**	**52.71**

(ख) खरीदी/बेची गई गैर-निष्पादक वित्तीय आस्तियों के विवरण

(i) खरीदी गई गैर-निष्पादक वित्तीय आस्तियों का विवरण:

(रु. करोड़)

विवरण	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24
1. (क) वर्ष के दौरान खरीदे गए खातों की संख्या	शून्य	शून्य
(ख) कुल बकाया	शून्य	शून्य
2. (क) इनमें से वर्ष के दौरान पुनर्गठित खातों की संख्या	शून्य	शून्य
(ख) कुल बकाया	शून्य	शून्य

(ii) बेची गई गैर-निष्पादक वित्तीय आस्तियों का विवरण:

(रु. करोड़)

विवरण	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24
बेचे गए खातों की संख्या	2	2.00
कुल बकाया (रु.करोड़)	153.24	939.14
कुल प्रतिफल प्राप्त (रु.करोड़)	28.20	455.30

6. परिचालन परिणाम

विवरण	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24
(i) औसत कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय	7.03	6.74
(ii) औसत कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में गैर-ब्याज आय	0.13	0.14
(iii) औसत कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ (प्रावधानों से पहले)	1.62	1.55
(iv) औसत आस्तियों पर प्रतिफल (कराधान प्रावधानों से पहले)	1.19	1.14
(v) प्रति कर्मचारी निवल लाभ (करोड़ रुपए)	4.40	3.72

7. क्रेडिट एकाग्रता जोखिम

(a) पूँजी बाजार में निवेश

(रु. करोड़)

विवरण	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24
(i) इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की इकाइयों में प्रत्यक्ष निवेश, जिनकी संचित निधि अनन्य रूप से कॉर्पोरेट ऋण में निवेश नहीं की गई है;	646.73	596.32
(ii) शेयरों/बांडों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों के प्रति अथवा विवरण को शेयरों (आईपीओ/ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की इकाइयों में निवेश के लिए स्वच्छ आधार पर अग्रिम;	-	-
(iii) किसी अन्य प्रयोजन के लिए अग्रिम जहां शेयर या परिवर्तनीय बांड या परिवर्तनीय डिबेंचर या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया जाता है;	-	-
(iv) शेयरों या परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की इकाइयों की संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा सुरक्षित सीमा तक किसी अन्य प्रयोजन के लिए अग्रिम, अर्थात् जहाँ शेयरों/परिवर्तनीय बांड/परिवर्तनीय डिबेंचर/इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों के अलावा प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिमों को पूरी तरह से कवर नहीं करती है;	-	-
(v) स्टॉक ब्रोकरों को प्रतिभूत और अप्रतिभूत अग्रिम और स्टॉक ब्रोकरों और बाजार निर्माताओं की ओर से जारी की गई गारंटी;	-	-
(vi) संसाधन जुटाने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की इक्विटी में प्रवर्तक के अंशदान को पूरा करने के लिए शेयरों/बांडों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों की प्रतिभूति के लिए या स्वच्छ आधार पर कॉर्पोरेटरों को स्वीकृत ऋण;	-	-
(vii) प्रत्याशित इक्विटी प्रवाहों/निर्गमों के प्रति कंपनियों को पूरक (ब्रिज) ऋण;	-	-
(viii) शेयरों या परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की इकाइयों के प्राथमिक निर्गम के संबंध में बैंकों द्वारा की गई हामीदारी प्रतिबद्धताएँ;	-	-
(ix) मार्जिन व्यापार के लिए स्टॉक ब्रोकरों को वित्तपोषण;	-	-
(x) वेंचर कैपिटल फंडों के लिए सभी एक्सपोजर (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों)	986.62	1,071.44
पूँजी बाजार में कुल एक्सपोजर	**1,633.35**	**1,667.76**

(b) देश के जोखिम के संपर्क में

(रु. करोड़)

जोखिम श्रेणी	वित्त वर्ष 2024-25		वित्त वर्ष 2023-24	
	निवल फंडेड एक्सपोजर	प्रावधान आयोजित किया गया	निवल फंडेड एक्सपोजर	प्रावधान आयोजित किया गया
अत्यल्प	20,185.27	49.90	17,782.87	43.80
निम्न	95.63	-	1,049.64	-
मध्यम	686.28	-	30.90	-
उच्च	26.02	-	5.96	-
अत्यंत उच्च	-	-	-	-
सीमित	-	-	-	-
क्रेडिट बाह्य	-	-	-	-
कुल	**20,993.20**	**49.90**	**18,869.37**	**43.80**

(ग) विवेकपूर्ण ऋण सीमा - एकल उधारकर्ता सीमा (एसजीएल)/समूह उधारकर्ता सीमा (जीबीएल) से अधिक हो गई है।

(i) वर्ष के दौरान विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमाओं से अधिक एक्सपोजर की संख्या और राशि।

क्रम संख्या	पैन नंबर	उधारकर्ता का नाम	उद्योग कोड	उद्योग का नाम	क्षेत्र	वित्तपोषित राशि	राशि गैर-वित्तपोषित	पूँजीगत निधियों के लिए % के रूप में एक्सपोजर
1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(ii) पूँजीगत निधियों के प्रतिशत के रूप में और कुल परिसंपत्तियों के प्रतिशत के रूप में ऋण एक्सपोजर, निम्नलिखित के संबंध में:

क्र. सं.	विवरण	वित्त वर्ष 2024-25		वित्त वर्ष 2023-24	
		कुल संपत्ति के लिए % के रूप में	पूँजीगत निधि के लिए % के रूप में	कुल संपत्ति के लिए % के रूप में	पूँजीगत निधि के लिए % के रूप में
1	सबसे बड़ा एकल उधारकर्ता	11.63	179.65	13.80	231.18
	सबसे बड़ा उधारकर्ता समूह	चूँकि बड़े उधारकर्ता प्राथमिक ऋण देने वाली संस्थाएँ हैं, इसलिए उधारकर्ता समूह की अवधारणा लागू नहीं होती है।			
2	20 सबसे बड़े एकल उधारकर्ता	67.54	1044.07	63.99	1071.75
	20 सबसे बड़ा उधारकर्ता समूह	चूँकि बड़े उधारकर्ता प्राथमिक ऋण देने वाली संस्थाएँ हैं, इसलिए उधारकर्ता समूह की अवधारणा लागू नहीं होती है।			

(iii) कुल ऋण आस्तियों के प्रतिशत के रूप में पाँच सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्रों को ऋण एक्सपोजर:

(रु. करोड़)

उद्योग का नाम	वित्त वर्ष 2024-25		वित्त वर्ष 2023-24	
	कुल शेष राशि	कुल ऋण आस्तियों का %	कुल शेष राशि	कुल ऋण आस्तियों का %
कपड़ा उत्पाद	7,130.23	1.44	4,179.00	0.92
ऑटो एएनसीलरीज	4,746.39	0.96	3,490.00	0.77
धातु उत्पाद एन.ई.सी.	3,275.56	0.66	2,446.00	0.54
प्लास्टिक ढाला सामान	2,609.42	0.53	2,155.00	0.47
मशीनरी को छोड़कर धातु उत्पाद पार्ट	2,567.20	0.52	1,649.00	0.36

(iv) अग्रिमों की कुल राशि जिसके लिए अमूर्त प्रतिभूतियां जैसे अधिकारों, लाइसेंसों, प्राधिकरण आदि पर प्रभार लिया गया है, 'शून्य' है।

(v) बैंक ने टीआरईडीएस के तहत वित्त वर्ष 2025 में 1984.59 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2024 में 1424.89 करोड़ रुपये का फैक्टरिंग एक्सपोजर लिया था।

(vi) बैंक ने चालू वर्ष और पिछले वर्ष के दौरान विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमाओं को पार नहीं किया था।

(घ) ऋण/ऋण लाइन, ऋण एक्सपोजर और एनपीए का संकेन्द्रण

(i) ऋणों और ऋण लाइनों का संकेन्द्रण

(रु. करोड़)

विवरण	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24
बीस सबसे बड़े ऋणदाताओं से कुल उधार	4,32,760.27	4,03,811.75
बीस सबसे बड़े ऋणदाताओं से कुल उधार लेने का प्रतिशत	79.88%	79.81%

(ii) एक्सपोजर की संकेन्द्रण

(रु. करोड़)

विवरण	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को कुल अग्रिम	3,85,908.09	3,58,526.52
कुल अग्रिमों के लिए बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को अग्रिमों का प्रतिशत	73.78%	73.93%
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों को कुल एक्सपोजर	4,05,629.10	3,89,132.18
कुल एक्सपोजर के लिए बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों को एक्सपोजर का प्रतिशत	81.43%	69.91%

(iii) एक्सपोजर और एनपीए का क्षेत्रवार संकेन्द्रण

(रु. करोड़)

क्र. सं.	क्षेत्र	वित्त वर्ष 2024-25			वित्त वर्ष 2023-24		
		बकाया कुल अग्रिम	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों की तुलना में सकल एनपीए का प्रतिशत	बकाया कुल अग्रिम	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों की तुलना में सकल एनपीए का प्रतिशत
I.	**औद्योगिक क्षेत्र**	4,49,620.81	164.27	0.04%	4,16,079.36	81.21	0.02%
1	केंद्र सरकार	-	-	-	-	-	-
2	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	-	-	-	-	-	-
3	राज्य सरकारें	2,930.80	-	0.00%	2,111.20	-	0.00%
4	राज्य पीएसयू	-	-	-	-	-	-
5	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	4,06,231.05	-	0.00%	3,85,286.86	-	0.00%
6	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	2,334.03	-	0.00%	1,709.51	-	0.00%
7	सहकारी बैंक	179.44	-	0.00%	64.72	-	0.00%
8	निजी क्षेत्र (बैंकों को छोड़कर)	37,945.49	164.27	0.43%	26,907.07	81.21	0.30%
II.	**अल्पवित्त क्षेत्र**	7,528.01	18.62	0.25%	11,028.51	40.29	0.37%
III.	**अन्य***	66,072.59	-	-	57,925.00	-	0.00%
	कुल (I+II+III)	**5,23,221.41**	**182.89**	**0.03%**	**4,85,032.87**	**121.50**	**0.03%**

* एनबीएफसी को अग्रिम शामिल है।

8. व्युत्पन्न (डेरिवेटिव)

(क) वायदा दर करार/ब्याज दर अदला-बदली

(रु. करोड़)

क्र. सं.	विवरण	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24
i)	स्वैप समझौतों का आनुमानिक सिद्धांत	शून्य	शून्य
ii)	ऐसी हानि जो यदि प्रतिपक्ष समझौतों के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहते हैं तो उन्हें नुकसान होता है	शून्य	शून्य
iii)	स्वैप में प्रवेश करने पर बैंक द्वारा आवश्यक संपार्श्विक	शून्य	शून्य
iv)	स्वैप से उत्पन्न होने वाले ऋण जोखिम की एकाग्रता	शून्य	शून्य
v)	स्वैप बुक का उचित मूल्य	शून्य	शून्य

31 मार्च, 2025 तक आईआरएस की प्रकृति और शर्तें नीचे दी गई हैं:

क्र. सं.	प्रकृति	संख्या	आनुमानिक मूलधन	कसौटी	शर्तें
1	हेजिंग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

31 मार्च, 2024 तक आईआरएस की प्रकृति और शर्तें नीचे दी गई हैं

क्र. सं.	प्रकृति	संख्या	आनुमानिक मूलधन	कसौटी	शर्तें
1	हेजिंग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(ख) एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरिवेटिव

क्र. सं.	विवरण	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24
i)	वर्ष के दौरान किए गए एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरिवेटिव की आनुमानिक मूल राशि (लिखत - वार)	शून्य	शून्य
ii)	31 मार्च की स्थिति के अनुसार बकाया एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरिवेटिव की आनुमानिक मूल राशि (लिखत के अनुसार)	शून्य	शून्य
iii)	विनिमय कारोबार ब्याज दर डेरिवेटिव की आनुमानिक मूल राशि बकाया है और "अत्यधिक प्रभावी" नहीं है (साधन - वार)	शून्य	शून्य
iv)	विनिमय कारोबार ब्याज दर डेरिवेटिव का मार्क-टू-मार्केट मूल्य बकाया है और "अत्यधिक प्रभावी" नहीं है (साधन - वार)	शून्य	शून्य

(ग) व्युत्पन्न (डेरिवेटिव) में जोखिम संबंधी प्रकटीकरण

(i) गुणात्मक प्रकटन

(1) बैंक मुख्य रूप से ब्याज दर और विनिमय दर जोखिमों को हेजिंग करने के लिए डेरिवेटिव का उपयोग करता है जो अपनी विदेशी मुद्रा उधारों में परिसंपत्ति-देयता बेमेल से उत्पन्न होता है। जबकि डेरिवेटिव हेजिंग उद्देश्यों के लिए किए जाते हैं, उन्हें अनुवाद के आधार पर गिना जाता है और बाजार (एमटीएम) के लिए चिह्नित नहीं किया जाता है। बैंक डेरिवेटिव में व्यापार नहीं करता है।

(2) डेरिवेटिव के लिए आंतरिक नियंत्रण दिशानिर्देश और लेखांकन नीतियां तैयार की गई हैं और बोर्ड द्वारा अनुमोदित की गई हैं। सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद ही व्युत्पन्न संरचनाएं शुरू की जाती हैं। डेरिवेटिव लेन-देन के विवरण भी एएलसीओ/बोर्ड को सूचित किए जाते हैं, जिससे मजबूत शासन और पारदर्शिता सुनिश्चित होती है।

(3) बैंक ने डेरिवेटिव लेनदेन से उत्पन्न होने वाले जोखिमों को कम करने के लिए सिस्टम स्थापित किए हैं। यह इस तरह के लेनदेन के लिए लेखांकन की प्रोद्भवन विधि का अनुसरण करता है। इसके अलावा, बैंक अपनी समग्र जोखिम प्रबंधन रणनीति को मजबूत करते हुए समय-समय पर एमटीएम मूल्यांकन और प्रभावशीलता परीक्षण भी करता है।

(घ) ऋण चूक अदला-बदली पर प्रकटन - बैंक ने वर्ष के दौरान कोई ऋण चूक अदला-बदली नहीं की है।

(ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण

(रु. करोड़)

क्र. सं.	विवरण	वित्त वर्ष 2024-25		वित्त वर्ष 2023-24	
		मुद्रा डेरिवेटिव	ब्याज दर डेरिवेटिव	मुद्रा डेरिवेटिव	ब्याज दर डेरिवेटिव
1	डेरिवेटिव (आनुमानिक मूल राशि)	1,152.19	-	2,571.32	-
(i)	हेजिंग के लिए	1,152.19	-	2,571.32	-
(ii)	ट्रेडिंग के लिए	-	-	-	-
2	बाजार की स्थिति के लिए चिह्नित [1]	0.25	-	431.60	-
(i)	संपत्ति (+)	0.25	-	431.60	-
(ii)	दायित्व (-)	-	-	-	-
3	क्रेडिट एक्सपोजर [2]	148.40	-	544.66	-
4	ब्याज दर में एक प्रतिशत परिवर्तन का संभावित प्रभाव (100* PV01)	73.72	-	24.44	-
(i)	हेजिंग डेरिवेटिव पर	73.72	-	24.44	-
(ii)	ट्रेडिंग डेरिवेटिव पर	-	-	-	-
5	वर्ष के दौरान अधिकतम और न्यूनतम 100*PV01 मनाया गया	-	-	-	-
(i)	हेजिंग पर	25.05/13.99	-	479.62/24.44	-
(ii)	ट्रेडिंग पर	-	-	-	-

9. एआईएफआई द्वारा जारी किए गए लेटर ऑफ कम्फर्ट (एलओसी) का प्रकटीकरण

वर्ष के दौरान जारी किए गए लेटर ऑफ कम्फर्ट (एलओसी) का विवरण, वित्तीय प्रभाव का आकलन और अतीत में जारी एलओसी के तहत संचयी वित्तीय दायित्वों का आकलन और बकाया इस प्रकार है:

(रु. करोड़)

01 अप्रैल, 2024 तक एलओसी का बकाया		वर्ष के दौरान एलओसी जारी की गई		वर्ष के दौरान एलओसी को भुनाया गया		31 मार्च, 2025 तक एलओसी बकाया	
एलओसी की संख्या	कुल धनराशि	एलओसी की संख्या	कुल धनराशि	एलओसी की संख्या	कुल धनराशि	एलओसी की संख्या	कुल धनराशि
-	-	-	-	-	-	-	-

10. आस्ति देयता प्रबंधन

(रु. करोड़)

	1 से 14 दिन	15 से 28 दिन	29 दिन से 3 महीने	3 महीने से अधिक और 6 महीने तक	6 महीने से अधिक और 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
जमा	83.39	624.11	5,882.30	22,109.42	40,209.20	1,22,410.67	3,102.23	1,181.40	1,95,602.72
अग्रिम	7,238.13	3,088.18	36,904.55	67,761.40	1,30,472.13	2,64,477.74	11,857.02	3,726.38	5,25,525.53
निवेश	8,199.92	4,681.19	16,843.37	20,079.74	16,408.02	2,082.81	50.00	3,062.22	71,407.27
उधार	33,753.00	9,750.00	64,294.11	37,744.60	96,141.64	57,210.30	49,602.96	178.75	3,48,675.36
विदेशी मुद्रा आस्तियाँ	16.52	1,108.83	208.37	73.71	153.62	2,055.12	356.70	1.31	3,974.18
विदेशी मुद्रा देनदारियां	15.12	10.55	164.91	1,150.14	111.55	399.65	469.09	141.02	2,462.03

एएलएम में केवल सिडबी और मुद्रा के आँकड़े शामिल हैं।

11. आरक्षितियों से आहरण

वर्ष और पिछले वर्ष के दौरान आरक्षितियों से कोई आहरण नहीं किया गया।

12. व्यापार अनुपात

विवरण	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24
औसत इक्विटी पर रिटर्न (कराधान के प्रावधान से पहले) (%)	20.44	20.14
औसत संपत्ति पर रिटर्न (कराधान के प्रावधान से पहले) (%)	1.31	1.27
प्रति कर्मचारी शुद्ध लाभ ('करोड़)	4.95	4.31

13. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाए गए दंड का प्रकटन

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा चालू वर्ष के दौरान बैंक पर ₹ 6,43,998/- का और पिछले वर्ष के दौरान शून्य रुपये का दंड लगाया गया।

14. ग्राहकों की शिकायतें

1. बैंक को अपने ग्राहकों से प्राप्त शिकायतें

	विवरण	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24
1	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	3	1
2	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	151	163
3	वर्ष के दौरान निवारण की गई शिकायतों की संख्या	153	161
3(i)	इनमें से बैंक द्वारा खारिज की गई शिकायतों की संख्या	0	48
4	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	1	3

2. बैंक को ग्राहकों से प्राप्त शिकायतों के शीर्ष पाँच आधार

(रु. करोड़)

शिकायतों के आधार, (अर्थात् शिकायतों के विषय)	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	पिछले वर्ष की तुलना में प्राप्त शिकायतों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि/कमी	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	5 में से 30 दिनों से अधिक समय तक लंबित शिकायतों की संख्या
1	2	3	4	5	6
वित्त वर्ष 2025					
ऋण और अग्रिम	-	32	6.67	-	-
बिना किसी पूर्व सूचना के प्रभार लगाना / अत्यधिक शुल्क / समयपूर्व चुकौती प्रभार	-	18	(18.18)	-	-
अन्य	-	69	50	-	-
वित्त वर्ष 2024					
ऋण और अग्रिम	-	30	(14.29)	-	-
बिना किसी पूर्व सूचना के प्रभार लगाना / अत्यधिक शुल्क / समयपूर्व चुकौती प्रभार	-	22	(37.14)	-	-
अन्य	1	46	(13.21)	-	-

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों में शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने के संदर्भ में, दिनांक 27.01.2021 को जारी अपने परिपत्र सीईपीडी.सीओ.परिपत्र.सं. 01/13.01.013/2020-21 के माध्यम से शिकायतों को 16 श्रेणियों के तहत वर्गीकृत किया गया था और बैंकों को तदनुसार प्रकटन करने के अनुदेश दिए गए थे।

15. ऑफ-बैलेंस शीट एसपीवी प्रायोजित

चालू वर्ष और पिछले वर्ष के दौरान बैंक के पास कोई ऑफ-बैलेंस शीट एसपीवी प्रायोजित नहीं था।

16. विशिष्ट लेखांकन मानकों के अनुसार प्रकटीकरण

(क) लेखांकन मानक 5 - अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि, पूर्व अवधि की वस्तुओं और लेखांकन नीतियों में परिवर्तन

अनुसूची XIII में आय - 'अन्य आय' में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए रु.28,54,115 की पूर्व अवधि आय [पिछले वर्ष रु.49,48,292] और अनुसूची XIV में अन्य व्यय - वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 'परिचालन व्यय' में (रु.5,28,73,830) [पिछले वर्ष रु.3,55,13,145] की पूर्व अवधि व्यय शामिल है।

(ख) लेखांकन मानक 17 - खंड रिपोर्टिंग

भारतीय रिज़र्व बैंक मास्टर निर्देश और लेखा मानक-17 'सेगमेंट रिपोर्टिंग' के अनुसार बैंक ने "बिजनेस सेगमेंट" को प्राथमिक खंड के रूप में घोषित किया है। चूँकि बैंक भारत में काम करता है, इसलिए कोई रिपोर्ट करने योग्य भौगोलिक खंड नहीं हैं। व्यापार खंड के तहत, बैंक ने अपने तीन रिपोर्टिंग खंडों के रूप में थोक बिक्री संचालन (प्रत्यक्ष ऋण), थोक संचालन (पुनर्वित्त) और ट्रेजरी की पहचान की है। इन खंडों की पहचान उत्पादों और सेवाओं की प्रकृति और जोखिम प्रोफाइल, संगठन संरचना और बैंक की आंतरिक रिपोर्टिंग प्रणाली पर विचार करने के बाद की गई है। पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष की कार्यप्रणाली के अनुरूप फिर से संगठित और पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

भाग ख: व्यापार खंड

(रु. करोड़)

व्यापार खंड		थोक परिचालन (प्रत्यक्ष ऋण)		थोक संचालन (पुनर्वित्त)		राजकोष		कुल	
विवरण		**वित्त वर्ष 2025**	**वित्त वर्ष 2024**	**वित्त वर्ष 2025**	**वित्त वर्ष 2024**	**वित्त वर्ष 2025**	**वित्त वर्ष 2024**	**वित्त वर्ष 2025**	**वित्त वर्ष 2024**
1	**सेगमेंट रेवेन्यू**	3,250.90	2,314.39	32,523.56	27,701.56	4,978.36	4,214.91	40,752.82	34,230.86
	अपवादात्मक मदें		-	-					
	कुल							**40,752.82**	**34,230.86**
2	**सेगमेंट परिणाम**	157.43	83.20	5,811.61	5,494.11	2,048.05	1,815.08	8,017.09	7,392.40
	अपवादात्मक मदें							-	(500.00)
	कुल							**8,017.09**	**6,892.40**
	गैर-आवंटित व्यय							546.09	537.35
	परिचालन लाभ							7,471.00	6,355.05
	आयकर (राइट बैक का निवल)							1,875.05	1,542.33
	सहयोगी संस्थाओं में लाभ का हिस्सा							(0.36)	(9.61)
	शुद्ध लाभ							**5,596.31**	**4,822.34**
3	**अन्य जानकारी**								
	खंड आस्तियाँ	41,200.39	29,089.78	4,91,882.57	4,69,014.38	62,943.58	58,692.44	5,96,026.53	5,56,796.60
	असंबद्ध संपत्ति							4,885.91	3,789.44
	कुल संपत्ति							**6,00,912.44**	**5,60,586.04**
	खंड देयताएँ	32,985.06	24,107.47	4,60,521.58	4,40,489.41	62,921.83	58,037.55	5,56,428.47	5,22,634.43
	असंबद्ध देनदारियां							5,057.69	4,122.03
	कुल							**5,61,486.15**	**5,26,756.46**
	पूँजी/भंडार	8,103.59	4,835.95	30,768.66	27,972.00	554.03	1,041.63	39,426.28	33,829.58
	कुल							**39,426.28**	**33,829.58**
	कुल देनदारियां							**6,00,912.44**	**5,60,586.04**

भाग ख : भौगोलिक खंड - बैंक का संचालन केवल भारत तक ही सीमित है, इसलिए कोई रिपोर्ट करने योग्य भौगोलिक खंड नहीं है।

(ग) लेखा मानक 18 - संबंधित पक्ष प्रकटीकरण

(i) संबंधित पक्षों का ब्यौरा

इकाई का नाम	रिश्ते की प्रकृति
सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड (एसवीसीएल)	गौण
सिडबी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड	गौण
माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड	गौण
इंडिया एसएमई टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड	साथी
एक्यूइट रेटिंग्स प्राइवेट लिमिटेड	साथी
रिसीवेबल्स एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड	साथी
इंडिया एसएमई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड	साथी
दिल्ली फाइनेंस कॉर्पोरेशन	साथी
किटको लिमिटेड	साथी

(ii) प्रमुख प्रबंधन कर्मी

श्री मनोज मित्तल	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्री सुदत्त मंडल	उप प्रबंध निदेशक
श्री प्रकाश कुमार	उप प्रबंध निदेशक

(iii) संबंधित पक्षों के साथ महत्वपूर्ण लेनदेन

(रु. करोड़)

आइटम/संबंधित पक्ष	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक@	प्रमुख प्रबंधन कर्मियों के रिश्तेदार	कुल
उधार#	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया	-	-	-
वर्ष के दौरान अधिकतम	-	-	-
निक्षेप#	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया	1.29	-	1.29
वर्ष के दौरान अधिकतम	1.29	-	1.29
जमा का स्थान#	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया	-	-	-
वर्ष के दौरान अधिकतम	-	-	-
अग्रिम#	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया	-	-	-
वर्ष के दौरान अधिकतम	-	-	-
निवेश#	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया	-	-	-
वर्ष के दौरान अधिकतम	-	-	-
गैर-वित्त पोषित प्रतिबद्धताएं#	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया	-	-	-
वर्ष के दौरान अधिकतम	-	-	-
पट्टे की व्यवस्था का लाभ उठाया गया#	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया	-	-	-
वर्ष के दौरान अधिकतम	-	-	-
पट्टे की व्यवस्था प्रदान की गई#	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया	-	-	-
वर्ष के दौरान अधिकतम	-	-	-
अचल संपत्तियों की खरीद	-	-	-
अचल संपत्तियों की बिक्री	-	-	-
ब्याज का भुगतान	0.11	-	0.11
प्राप्त ब्याज	-	-	-
प्राप्त लाभांश	-	-	-
भुगतान किया गया लाभांश	-	-	-
सेवाओं का प्रतिपादन*	-	-	-
सेवाओं की प्राप्ती*	-	-	-
प्रबंधन अनुबंध**	1.98	-	1.98

@ बोर्ड के पूर्णकालिक निदेशक

वर्ष के अंत में बकाया और वर्ष के दौरान अधिकतम का प्रकटन किया जाना है

* ठेका सेवाएँ आदि और प्रेषण सुविधाएँ, लॉकर सुविधाएँ आदि जैसी सेवाएँ नहीं।

** प्रमुख प्रबंधन कर्मियों को पारिश्रमिक।

17. अपरिशोधित पेंशन और ग्रेच्युटी देनदारियाँ

पेंशन और ग्रेच्युटी देयता अनुमानित इकाई ऋण पद्धति के आधार पर प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत में किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान की जाती है। बीमांकिक लाभ/हानि को लाभ और हानि खाते में ले जाया जाता है और इसका परिशोधन नहीं किया जाता है।

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते जे. काला एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन.118769W

जयेश काला
भागीदार
सदस्यता क्र. 101686

निदेशक मण्डल के आदेश से

वाई एम कुमारी
मुख्य वित्तीय अधिकारी

प्रकाश कुमार
उप प्रबंध निदेशक

सुदत्त मंडल
उप प्रबंध निदेशक

मनोज मित्तल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

लक्ष्मी चंद मीना
निदेशक

पी जे थॉमस
निदेशक

स्थान: मुंबई
दिनांक: 29 अप्रैल, 2025

समेकित नकदी प्रवाह विवरण

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

(रु)

मार्च 31, 2024	विवरण	मार्च 31, 2025	मार्च 31, 2025
	1. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
63,55,05,26,872	पी एंड एल खाते के अनुसार कर पूर्व शुद्ध लाभ		74,71,12,30,498
	के लिए समायोजन:		
61,89,71,613	अवमूल्यन	22,05,27,331	
23,53,946	निवेश में शुद्ध मूल्यह्रास का प्रावधान	35,96,393	
23,71,80,43,474	किए गए प्रावधान (पुनर्लेखन का निवल)	24,86,70,57,509	
(93,40,45,879)	निवेश की बिक्री पर लाभ (निवल)	(1,57,74,87,268)	
(35,85,730)	अचल आस्तियों की बिक्री पर लाभ	90,392	
(10,00,98,51,810)	निवेश पर प्राप्त आय	(7,21,24,07,045)	16,30,13,77,312
76,94,24,12,486	**परिचालन से जनित नकदी**		**91,01,26,07,810**
	(परिचालन आस्तियों और देयताओं में परिवर्तन से पहले)		
	निवल परिवर्तनों के लिए समायोजन:		
(14,48,12,30,097)	वर्तमान आस्तियाँ	5,06,23,44,696	
32,95,45,60,348	वर्तमान देयताएँ	(22,50,65,61,783)	
(8,82,05,13,503)	विनिमय-बिल	(7,42,44,97,132)	
(10,61,08,79,39,978)	ऋण एवं अग्रिम	(3,99,54,75,53,774)	
7,00,09,62,36,090	बॉन्ड व डिबेंचर और अन्य ऋणों से निवल आय	5,29,55,74,63,211	
4,87,92,33,65,970	प्राप्त जमा	(1,58,14,46,65,983)	
1,36,58,44,78,830			(53,00,34,70,765)
2,13,52,68,91,316			38,00,91,37,045
(22,17,09,56,152)	कर का भुगतान	(25,63,66,21,507)	(25,63,66,21,507)
1,91,35,59,35,164	**परिचालन गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह**		**12,37,25,15,538**
	2. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
(50,92,74,876)	अचल आस्तियों की निवल (खरीद)/बिक्री	(16,10,47,424)	
(1,78,06,46,45,874)	निवेश की निवल (खरीद)/बिक्री/मोचन	(39,20,41,14,636)	
10,07,12,69,195	निवेश पर प्राप्त आय	7,27,85,85,483	
(1,68,50,26,51,555)	**निवेश गतिविधियों में उपयोग की जाने वाली निवल नकदी**		**(32,08,65,76,576)**
	3. वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
-	शेयर पूँजी और शेयर प्रीमियम जारी करने से प्राप्त आय	-	
(1,13,70,82,338)	इक्विटी शेयरों पर लाभांश और लाभांश पर कर	(1,13,70,82,338)	
(1,13,70,82,338)	**वित्तपोषण गतिविधियों में उपयोग की जाने वाली निवल नकदी**		**(1,13,70,82,338)**
21,71,62,01,271	4. नकद और नकद समकक्षों में निवल वृद्धि / (कमी)		**(20,85,11,43,376)**
31,22,62,61,125	5. अवधि के आरंभ में नकद और नकद समकक्ष		**52,94,24,62,395**
52,94,24,62,396	6. अवधि के अंत में नकद और नकद समकक्ष		**32,09,13,19,019**

समेकित नकदी प्रवाह विवरण

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

(रु)

मार्च 31, 2024	विवरण	मार्च 31, 2025	मार्च 31, 2025
	7. अवधि के अंत में नकद और नकद समकक्ष शामिल हैं		
6,08,479	हाथ में नकदी		6,26,065
1,95,73,06,212	बैंक के साथ चालू खाते की शेष राशि		2,37,24,42,648
3	म्यूचुअल फंड		-
50,98,45,47,702	जमा		29,71,82,50,306

नोट: भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी एएस-3 (संशोधित) 'नकदी-प्रवाह विवरणी' में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार नकदी-प्रवाह-विवरणी तैयार की गई है।

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ XV

लेखा टिप्पणियाँ अनुलग्नक 1

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते जे. काला एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन.118769W

जयेश काला
भागीदार
सदस्यता क्र. 101686

निदेशक मण्डल के आदेश से

वाई एम कुमारी
मुख्य वित्तीय अधिकारी

प्रकाश कुमार
उप प्रबंध निदेशक

सुदत्त मंडल
उप प्रबंध निदेशक

मनोज मित्तल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

लक्ष्मी चंद मीना
निदेशक

पी जे थॉमस
निदेशक

स्थान: मुंबई
दिनांक: 29 अप्रैल, 2025

टिप्पणियाँ

टिप्पणियाँ

सिडबी
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

www.sidbi.in

SidbiOfficial SidbiOfficial SidbiOfficial SidbiOfficial SidbiOfficial

Great Place To Work. Certified

Concept & Design (info@wyatt.co.in)